खण्ड-305, अंक-2
बुधवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1895
(9 मई, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 305 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. .. ..	105–109
प्रश्नोत्तर	.. ..	109–136
विविध विषय (जारी)	.. .. ..	136
उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर के प्रथम द्वितीय व तृतीय प्रतिवेदन आडिट रिपोर्ट सहित (सदन के पटल पर रखे गये)	..	136–137
नगर महापालिका कानपुर चुंगी नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. .. ..	137
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. .. ..	137
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समिति के सदस्यों को चुनने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	137–138
सामुदायिक विकास विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस) आय-व्ययक (सदन के पटल पर रखा गया)	.. ..	138–139
विविध विषय		139
श्री सूबेदार सिंह द्वारा थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के सब इन्सपेक्टर्स, श्री कृष्णपाल तथा श्री शिशुपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. .. ..	139–147
गोरखपुर के एक नव-निर्वाचित ब्लाक प्रमुख की हत्या के मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की मांग	.. .. ..	147–148
खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	148
राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	148–149
कुछ नये ब्लाक प्रमुखों के शपथ न दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी		149–150
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	.. ..	151–154
प्रदेश के गन्ना कर्मचारी संघ द्वारा अपने मांगों के समर्थन में क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. .. ..	154–157
प्रदेश की 33 आटा मिलों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं न मिलने के कारण लगभग 5000 मजदूरों के बेकार होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	157–159

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 (पुर:स्थापित किया गया)	159
1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 26––नियोजन तथा समन्वय (स्वीकृत) ..	160–173
अनुदान संख्या 28––सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	173–197
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	197–198
सतई, सुत श्री चिरकुट बन मानुष, निवासी कटरा रानो रणजीत कुंवरि जिला सुल्तानपुर की नसबन्दी के कारण मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 49 अन्तर्गत चर्चा	198–203
रामगंगा नव निर्माण मेंठेकेदार की असावधानी से सुरंग की छत गिरने पर भी उसकी धन राशि का भगतान करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	203–208
नत्थियां	209–213

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 9 मई, 1973

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप,,लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-360

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी , श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गिरधारी लाल, चौधरी
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री

देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर, पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बांके लाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूदअली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (श्री जिला आगरा)
रघुनाथ, सिंह (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)

रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पांडेय,श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह बैस, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय शंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री

सन्तूराम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज , श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमींदा हबीबुल्ला, बेगम
हर नारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 9 मई, 1973

श्री अध्यक्ष—

पहला सवाल मैंने स्थगित कर दिया है क्योंकि बेगम साहिबा जिनको जवाब देना था उनके भतीज की मृत्यु हो गई है । (व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री भी तो हैं वें जवाब दे सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

वे अभी यहां थीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह स्थगित कर दिया गया है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

*** 1—श्री दुर्जन भाई तथा श्री भगेलू सिंह—**

[स्थगित]

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण हेतु श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

**** 2—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित) तथा शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति चीनी मिलों के सरकार के कब्जे में लेने या राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की और क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया। प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की सरकार की घोषित नीति है और उसे पूरा करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उपरोक्त रिपोर्ट अभी गोपनीय है और उसे सदन के पटल पर रखने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री शफीक अहमद खां—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिन्हें गोपनीय रखा जा रहा है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अगर उन्हें बता ही दिया जायेगा तो गोपनीयता क्या रहेगी।

श्री शफीक अहमद खां—

सरकार इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है यह बात चीनी मिल मालिकों को मालूम है और इसलिये वे लोग अपनी मशीनों को तोड़ने-फोड़ने में लगे हैं और अच्छी तरह काम नही कर रहें हैं जिसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है और उनका गन्ना सूख रहा है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

काश्तकारों की रक्षा के लिये यह सरकार सतत् प्रयत्नशील है। जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है वह तो सरकार की घोषित नीति है और विद इन रीजनेबिल टाइम इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण के सवाल पर कमेंटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और आपकी यह घोषित नीति है तो उसको मद्देनजर रखते हुये जो आपका चुनाव है इसके आने के पहले आप मिलों को टेक ओवर कर लेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

चुनाव और नीति में कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नित्या नन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो एक वादविवाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैदा कर दिया था कि इसका अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है हम को नहीं है क्या कोई अन्तिम रूप से फैसला हो गया कि यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीयकरण कर सकें?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह सब बात अन्तिम रूप से निर्णीत होने के प्रासेस में है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह प्रश्न प्रदेश की सरकार के विचाराधीन है या प्रदेश की सरकार ने अपनी ओर से निर्णय लेकर इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है? यदि हां, तो क्या उसका उत्तर प्राप्त हो गया है या है या उसकी प्रतीक्षा में हैं?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपने विचारों से अवगत करा दिया है और केन्द्रीय सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण या टेक ओवर करने के विषय में जो भी कार्यवाही की जा रही है क्या बीरेन्द्र वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है या उसके अलावा और किसी आधार पर की जा रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

उसमें तमाम आधार है। उसमें बीरेन्द्र वर्मा कमेटी रिपोर्ट भी एक आधार है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या यह सही है कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि चीनी उद्योग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट के शेड्यूल में से निकाल दिया जाय ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

निश्चित रूप से उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

प्रदेश सरकार इस बात के लिये सक्षम है या नहीं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीय-करण कर सकें। क्या इस बात को स्पष्ट रूप से जानने के लिये कि प्रदेशीय सरकार इस बात के लिये सक्षम है कानूनी राय दी गयी और प्रदेश सरकार ने अन्तिम रूप से इस विषय में क्या फैसला किया है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

प्रदेश सरकार ने अपनी कुछ राय भारत सरकार के कसेंट के लिये भेजी हुई है और उनके निर्देश की प्रतीक्षा में है।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

जो कमीशन गठित किया गया था जिसकी रिपोर्ट शासन को सुपुर्द की गयी तो क्या शासन ने उस कमीशन के मेम्बरों को हिदायत कर दी थी कि वे कृपया इस रिपोर्ट को गोपनीय रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

किसी भी कमीशन के मेम्बर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि जब तक उनकी रिपोर्ट पर अमल न हो गोपनीय रखें इस लिये हिदायत देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इस सदन के दो सदस्य माननीय गेंदासिंह और माननीय वीरेन्द्र वर्मा और सदन के बाहर के सदस्य श्री पृथ्वी नाथ सेठ मेम्बर थे, उनसे कहा जा रहा है कि गोपनीय है, सदन के बाहर के सदस्य हैं उनसे और इस सदन से गोपनीयता का क्या सम्बन्ध है और क्या पृथ्वीनाथ सेठ ने यह सिफारिश की थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण न किया जाय ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

रिपोर्ट जिस समय सरकार को प्राप्त हो गयी सरकार ने मुनासिब समझा कि गोपनीय है और गोपनीयता को मेंटेन करने का सम्बन्ध सरकार से है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वीरेन्द्र वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ रिपोर्ट दिया था जो जनमत के विरुद्ध थी इस लिये गोपनीय रखी है जान बचाने के लिये ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस प्रश्न का उत्तर देना गोपनीयता के आधार पर उचित नहीं होगा ।

श्री शफीक अहमद खां—

क्या दो साल के अन्दर इसका फैसला हो सकेगा ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

दो साल का प्रश्न नहीं है । विदिन रीजनेबिल टाइम करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जब मंत्री जी मिलों का राष्ट्रीयकरण जनहित में नहीं समझते तो फिर रिपोर्ट को गोपनीय रखने से क्या फायदा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को हम तय कर चुके हैं और राष्ट्रीयकरण करने की हमारी घोषित नीति है, जब उपयुक्त समय आयेगा तो उसे कार्यान्वित किया जायगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

सरकार ने भारत सरकार को अपनी संस्तुति कब भेजी और वह क्या संस्तुति थी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

ठीक तारीख बतलाने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी । 5, 6 महीने हो गये रिपोर्ट भेजे लेकिन बीच में जब अमेंडमेंट हो रहे थे संविधान के तो दूसरी रिपोर्ट भेजी । अब दो तीन महीने का अरसा हो गया है हम निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

रिपोर्ट को गोपनीय रखते हुये क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मेरे नाम से गठित जो समिति है उसने मिलों को टेक ओवर करने के लिये सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी थी उससे क्या सरकार सहमत है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस प्रश्न के उत्तर के बाद गोपनीयता रह ही क्या जाती है जिसे गोपनीय रखा जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार चीनी मिलों का समाजीकरण तथा किसानीकरण करने के पक्ष में है अथवा वह जानबूझ कर इसलिये देर कर रही है क्योंकि उसे मिलों से चन्दा लेना है और प्रतिक्रियावादी तत्व ऐसा होने देना नहीं चाहते ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

प्रश्न का पहला भाग है उसका उत्तर हां में है और दूसरे भाग का उत्तर नहीं में हैं ।

प्रदेश के गन्ना कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का प्रतिफल

**3—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के 10 कर्मचारियों ने अपनी आवश्यक मांगों की पूर्ति न होने के फलस्वरूप दिनांक 23 अप्रैल, 1973 से केन फेडरेशन के मुख्यालय पर भूख हड़ताल और डेढ़ सौ कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिये धरना दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने गन्ना कर्मचारियों की आवश्यक मांगों की पूर्ति के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

गन्ना कर्मचारी संघ, सहारनपुर के कुछ सदस्यों ने दिनांक 23 अप्रैल, 1973 के लिये भूख-हड़ताल प्रारम्भ की और उसे 26 अप्रैल, 1973 को समाप्त कर दिया ।

चूंकि यह समिति भोगी कर्मचारियों का मसला है, इसलिये गन्ना संघ की कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों व अध्यक्ष के हस्तक्षेप पर यह हड़ताल दिनांक 26 अप्रैल, 1973 को समाप्त हो गई । संघ इस बात पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार कर्मचारियों की समस्त मांगों की पूर्ति करने के लिये जो साठ लाख रुपये की आवश्यकता है, साधन जुटाये जांय अथवा किस हद तक उनकी मागों की पूर्ति की जा सकती है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गन्ना सहकारी संघ की क्या-क्या मांगें थीं और क्या उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचारोपरान्त ही उन्होंने हड़ताल समाप्त की है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, इस संघ की चार मुख्य मांगे थीं। पहली और तीसरी मांग एक ही तरह की है जिसमें कहा गया है कि इस संघ के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी का वेतन और मंहगाई भत्ता राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और मंहगाई भत्ते के समान होना चाहिये । उनकी दूसरी मांग यह थी कि उनकी सेवा नियमावली तत्काल लागू कर दिया जाय। चौथी मांग यह थी कि इस संघ में काम करने वाले सीजनल कर्मचारियों को चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की भांति स्थायी घोषित कर दिया जाय और सीजन के समाप्त होने पर तथा सीजन के शुरू होने तक उन्हें आधा वेतन जीवन निर्वाह दे दिया जाय ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो समान स्तर के वेतन की जो उनकी मांग थी उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है और शासन उस पर कार्यवाही करने के लिये तैयार है या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, जो पैसे से ताल्लुक रखने वाली मांग थी उसमें 60 लाख रुपये की रकम इन्वाल्व थी। इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है कि धन की पूर्ति वहां से की जाय। उसके उपरान्त ही शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गन्ना संघ ने जो हड़ताल अपनी तोड़ी है वह उसके उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य श्री शिवनाथ सिंह तथा महाबीर सिंह के

आश्वासन पर तोड़ी है । साथ ही क्या 7 तारीख को उनकी आंशिक मांगे स्वीकार कर ली गई हैं और बाकी के लिये कहा गया है कि अगली बैठक में स्वीकार कर ली जायेंगी ? यदि हां, तो स्वीकृत क्या-क्या मांगे हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, उनकी मांगों पर उनसे बात करते वक्त फेडरेशन के पदाधिकारियों से बातें हुई थी। क्या बातें हुई, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और यदि आदेश होगा तो जानकारी करके बता दूंगा । वह एक आटोनामस बाडी है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आये दिन विभिन्न विभागों में हड़तालें हुआ करती हैं । विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधायें भी भिन्न-भिन्न हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि सभी विभागों के कर्मचारियों को एक सी सुविधायें मिलें ताकि यह समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो जाय ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह नीति विषयक प्रश्न है । हम इस नीति में विश्वास करते हैं और उसी दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, यहां पर कैबिनेट के कई मंत्री बैठे हुये हैं । उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें । क्योंकि आप कहते हैं कि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने जैसे कि अभी बताया कि इस विषय पर 60 लाख रुपये की रकम देने का प्रश्न है मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन लोगों की जो कैटेगरी है वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान है और उसी के अनुसार उन्हें वेतन आदि भी मिलना चाहिये ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं पहले ही आपके सामने बता चुका हूं कि यह नीति विषयक प्रश्न है । जब नीति निर्दिष्ट हो जायेगी तब यह दिया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नीति सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा । आप या तो तैयार होकर आयें या ऐसा जवाब न दें। सूचना की आवश्यकता वाली तो बात हो सकती है लेकिन नीति सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर तो आना ही चाहिये ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कोई प्रश्न नीति विषयक करेंगे तो उसके लिये मैं निश्चित रूप से तैयार होकर आऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उत्तर देना चाहिये था कि कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को मानती है कि सभी लोगों को समान कार्य के लिये और जीवित रहने के लिये कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाय जिसे

इस सरकार के वेतन आयोग ने 165 रुपया माना है और केन्द्रीय सरकार के वेतन आयोग ने 185 रुपया माना है । इस सरकार के वेतन आयोग के अनुसार कम से कम 165 रुपये देने की संस्तुति की गयी है और सरकार ने उसे स्वीकार भी कर लिया है तो गन्ना विभाग में इसको लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जहां तक पे कमीशन की रिपोर्ट का प्रश्न है वह तो आपने स्वीकार कर ही लिया है और धीरे-धीरे उस पर अमल होगा ही ।

श्री शिवराज सिंह—

संविधान के आर्टिकल 309 के अनुसार अपेक्षित है कि सरकार राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में कानून बनावे, तो क्या सरकार इस कानून के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

संविधान की तहत में जो कुछ मुनासिब कार्यवाही जनहित में होगी, उस पर सरकार को विचार करना ही होगा ।

श्री राम गोपाल संड—

सारे उत्तर टालते हुये दिये जा रहे हैं, मान्यवर।

(व्यवधान)

अकबरपुर टेक्सटाइल कारपोरेशन, फैजाबाद के अधिकारी द्वारा 100 गांठ स्टेपिल की अवैध बिक्री

**4—श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 7 अप्रैल, 1973 को अकबरपुर जिला फैजाबाद के बुनकर यूनियन के अध्यक्ष की इस सूचना पर कि एक ट्रक, यू0 पी0 जेड 8098, जिस पर अकबरपुर टेक्सटाइल कारपोरेशन के लिये 100 गांठ स्टेपिल आया था उक्त कार्यालय के अधिकारी ने ब्लैक से बेंच डाला है ? क्या जिला अधिकारी, फजाबाद ने गोदाम व कार्यालय को सील करा दिया था ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है !

श्री यादवेंन्द्र सिंह—

जी हां। संबन्धित अधिकारी की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस अधिकारी की सर्विस को समाप्त करने का आदेश कब हुआ और जो सर्विस समाप्त की गयी, उन पर क्या इल्जाम लगाया गया था ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कारपोरेशन ने अपने अधिकारियों की जांच के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही की—

1—कारपोरेशन ने अपने अधिकारियों को तुरन्त मौके की जांच हेतु भेज दिया ।

2—उक्त अधिकारियों ने फैजाबाद, अकबरपुर, तथा जलालपुर में 10-4-73 से 15-4-73 तक जांच की ।

3—डिपो मैनेजर, अकबरपुर को तुरन्त कार्य मुक्त करने के आदेश इस कार्यालय के आदेश संख्या 1724, दिनांक 18-4-73 द्वारा पारित किये गये और डिपो मैनेजर को कारपोरेशन के मुख्यालय पर उपस्थित होने को कहा गया था।

4—डिपो मैनेजर इस कार्यालय में 28-4-73 को उपस्थित हुं और उसी दिन तुरन्त उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं।

5—कारपोरेशन अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर डिपो मैनेजर के विरुद्ध फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है।

6—सुविधा के लिये कारपोरेशन ने अकबरपुर व जलालपुर के सेल डिपो के लिये अलग-अलग डिपो मैनेजर नियुक्त कर दिये हैं।

श्री राम गोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उस मनेजर की सेवायें 28 तारीख को समाप्त कर दी गयीं तो उस मैनेजर महोदय के प्रोविडेंट फंड में कितनीं धनराशि थी ? उनसे रिकवर करने केलिये मुकदमा चल रहा है यह तो सही है लेकिन सरकार क्या कोई कानूनी कार्यवाही करेगी जिससे वह धन प्राप्त हो सके ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

फौजदारी की कार्यवाही हो रही है। और बातों के जवाब देने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है और आपको भी जानकारी होगी कि जब माननीय जयराम वर्मा सामान्य प्रशासन पर बोल रहे थे तो उस दिन पूर्ण विवरण आया था तो जिस अधिकारी की सेवायें समाप्त की गयी हैं उसमें अन्य अधिकारियों का भी हांथ था क्या इसकी मंत्री जी जांच करा लेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा जांच हुई और जिसकी सेवा समाप्त की गयी उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जांच में कितने और वाकये ऐसे पाये गये ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इन वाकयों के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लैक मार्केटिंग के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत एफ० आई० आर० लाज की गयी और उसको पुलिस के हवाले किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, फौजदारी में मुकदमा चल रहा है। माननीय सदस्य मुझे मौका देंगे तो मैं सूचना दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी घटना का विवरण बतायेंगे और किस कानून के तहत मुकदमा चल रहा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जो कुछ विवरण उपलब्ध है वह इस प्रकार है कि 7-4-73 को अकबरपुर, फैजाबाद के बुनकरों ने अध्यक्ष को सूचना दी कि ट्रक नम्बर यू0 पी0 जेड0 898 जिस पर अकबरपुर के लिये 100 गांठें स्टेपिल यार्न की आयी थीं जो चोर बाजारी में बिकने जा रहीं थी उसको पकड़ा गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, सवाल यह था कि मुकदमा किस कानून के तहत चलाया जा रहा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक्जेक्ट सैक्शन बताने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, आज मंत्री जी को हर चीज के लिये सूचना चाहिये, ऐसा वे कह रहें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया है । जी हां, संबन्धित अधिकारी की सेवायें समाप्त कर दी गयीं हैं और कानूनी कार्यवाही की जा रही है । यह उत्तर उनको जिले से मिला है जिसको उन्होंने सदन में दे दिया आप निश्चित दफा पूछना चाहते हैं उसके लिये वह सूचना चाहते हैं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्टेपिल यार्न के वितरण के लिये सरकार वही व्यवस्था करेगी जो काटन यार्न के बटवारे के लिये की गई है यानी रिटेलर्स मुकर्रर किये जायं और कार्ड पर सूत दिया जाय ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सिल्क यार्न के बारे में प्रश्न उठने लगे हैं और सरकार आपके सुझाव पर जरूर बिचार करेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शारदा कैनाल के कुलावा नं० 29 का सिंचन क्षेत्र बढ़ाने हेतु रायबरेली की जनता की प्रार्थना

*1—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली की शारदा कैनाल, इलाहाबाद शाखा, प्रतापगढ़ ब्रांच माधवपुर कोठी के आगे ग्राम सलेमपुर मैरो की जनता की शिकायतों को स्थानीय विधायक ने अपने पत्र के साथ दिनांक 16-11-72 व 12-1-73 तथा 24-1-73 को जिसमें कलावा नं० 29 की अव्यवस्थाओं को दूर करने के संबन्ध में है, शासन को दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

जी हां। कुलावे का सिंचन क्षेत्र बढ़ाने के संबन्ध में पत्र प्राप्त हुये थे परन्तु वर्तमान परिस्थिति में यह संभव नहीं है।

श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन तारीखों को उनको शिकायती-पत्र मिले ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 16 नवम्बर, 1972 को मिला, फिर 15 दिसम्बर, 1972 को और फिर 15 जनवरी, 1973 को मिले हैं।

श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो विभाग के अधिकारी होते हैं उन्हीं से करायी गयी।

श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सलेमपुर भैंरों की ओर पुल पर 3 इंच की टेल थी उसको किस अधिकारी ने गिरवा दिया जिसके कारण वहां पानी नहीं पहुंचता ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी बात नहीं है, वहां पानी की कमी है जिसके कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचता।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद शाखा में वहां की सोरांव तहसील में पानी नहीं पहुंचता, 3–4 बार जिलाधीश ने भी लिखा फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या इलाहाबाद शाखा के अन्तर्गत सोरांव तहसील में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह जो शारदा सहायक परियोजना बन रही है उसके बनने पर वहां पानी की व्यवस्था हो सकेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कुलावा नं0 29 पर क्या अव्यवस्था है और उसको दूर करना आपने बताया कि असम्भव है, तो वह किन कारणों से असम्भव है?

श्री वीर बहादुर सिंह –

इसमें कहा गया है कि कुलावा नं0 29 का व्यास बढ़ाया जाय, लेकिन इसके व्यास बढ़ाने से भी पानी नहीं मिलेगा और कोई लाभ नहीं होगा।

श्री शिव प्रसाद पांडिया—

यदि कुलावे का व्यास बढ़ाने से नहीं तो फिर क्या व्यवस्था होगी जिस से वहां पानी पहुंच सकेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय सदस्य का जो कहना है उससे उस क्षेत्र को जिसे वह कह रहे हैं पानी नहीं मिलेगा लेकिन ऊंचाहार माइनर से जब शारदा सहायक परियोजना बढ़ेगी तो उससे यहां के लिये पानी दिया जायगा।

श्री रामगोपाल संड---

इलाहाबाद जिले की सोरांव तहसील में भी इस नहर से पानी जाता है, मंत्री जी ने बताया कि शारदा सहायक परियोजना से वहां पानी जायगा तो यह योजना वहां पानी पहुंचाने के लिये कितने दिन में कार्यान्वित कर सकेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

शारदा सहायक परियोजना अभी बन रही है और आशा है कि सन् 78 तक उससे पानी मिल सकेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसका क्या कारण है कि व्यास बढ़ाने पर भी पानी नहीं पहुंचेगा ? और क्या व्यास कम किया जाय तब पानी वहां तक नहर का पहुंचेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

5 इंच का व्यास तो उसका है ही, 4 इंच का नहीं है लेकिन फिर भी सिंचाई उससे नहीं हो पाती है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप कहते हैं कि सन् 78 तक पानी वहां पहुंच सकेगा लेकिन इन 5 सालों के लिये उस क्षेत्र के किसानों को पानी देने की सरकार ने इधर क्या व्यवस्था की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

उसी व्यवस्था के लिये शारदा सहायक परियोजना बनाई जा रही है, इस समय और कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो सकती और अगर कोई दूसरी योजना बनायी जाय तो वह डप्लीकेशन ही होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय---

5 साल तक जब तक नहर वहां पहुंचेगी उस क्षेत्र के किसान सिंचाई के साधन से महरूम रहेंगे, इस 5 साल में आप का जो टारगेट शतप्रतिशत इरिगेशन करने का है उसके मातहत वहां कोई नलकूप आदि का साधन ही उपलब्ध करायेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)---

इसके बारे में देख लिया जायगा ।

श्री राम किशोर शुक्ल---

शृंगवेरपुर में गंगा जी का पानी पंप के द्वारा उठाकर शारदा कैनाल को देकर सोरांव तहसील में सिंचाई की व्यवस्था की जायगी । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करग कि सोरांव पंप कैनाल योजना कब से चालू कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना की आवश्यकता होगी ।

गोरखपुर में राप्ती के कटाव को रोकने हेतु सर्वेक्षण कार्य का विवरण

*2—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम मजिगांवा तथा गजपुर में राप्ती नदी के कटाव को रोकने के लिये 1 सितम्बर, 1972 से 5 मार्च, 1973 के बीच कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया था ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है तथा कटाव निरोधक कार्यवाही कब से सम्पन्न की जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राप्ती नदी के कटाव से कटने के कारण कितने व्यक्तियों को गांव समाज की जमीन में बसाया गया है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । सर्वे रिपोर्ट तथा कटाव निरोधक कार्यवाही के संबंध में विवरण संलग्न है ।

13 परिवारों को चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़े गये गांव समाज की भूमि पर बसा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 209 पर)

*3—श्री त्रिलोक चन्द—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

पतेरी व सेमरी माइनर मड़िहान ब्रान्च, मिर्जापुर का गेट तोड़कर सिंचाई से सरकार की क्षति

*4—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के मड़िहान ब्रांच के पतेरी व सेमरा माईनर की दिनांक 10 से 15 अक्तूबर, 1972 के अन्दर गेट तोड़कर नाजायज ढंग से आबपासी की गयी है ? यदि हां, तो सरकार को इससे कितने धन की क्षति हुई है ? क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मड़िहान ब्रांच की सेमरा व पतेरी माइनर को 10 से 25 अक्तबर, 1972 के बीच कुछ अवधि के लिये नाजायज ढंग से चला कर सिंचाई की गयी । इस अवधि में केवल पतेरी माइनर का गेट तोड़ा गया जिससे शासन को लगभग 900 रु0 की क्षति हुई । क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम निहोर राय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो नहर गलत ढंग से तोड़ कर सिंचाई की गयी, वह किस अधिकारी द्वारा तोड़ी गयी थी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

इसे काश्तकारों ने तोड़ी थी, किसी अधिकारी ने नहीं तोड़ीं थी ।

श्री राम निहोर राय—

आपने केवल इसके कारण 900 रु0 का नुकसान दिखाया है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें 7–8000 रु0 का नुकसान हुआ है और वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर इसको तुड़वाया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने को कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच कराने के उपरान्त ही, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नहर तोड़ी गयी, वह कब तोड़ी गयी ? और शासन को कब सूचना उपलब्ध हुयी ?

श्री वीर बहादर सिंह—

यह नहर 17–24 अक्टूबर के बीच में तोड़ी गयी ।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया । यह नहर कब तोड़ी गयी और शासन को इसकी कब सूचना मिली ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब यह नहर तोड़ी गयी, उनको उसी समय जानकारी हो गयी थी ।

श्री रामगोपाल संड—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच करने के बाद किस आधार पर अनुमान लगाया गया कि केवल 900 रुपये का ही नुक्सान हुआ और क्या इसकी जांच एस0 ई0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वहां के स्थानीय अधिकारी से इसकी जांच करायी गयी थी और जैसा अब माननीय सदस्य चाहते हैं इसकी जांच एस0 ई0 से भी करवा ली जायगी ।

बढ़ापुर, बिजनौर में नगीना से बढ़ापुर सड़क पर खों नदी पर पुल निर्माण

*5—श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना बढ़ापुर, जिला बिजनौर के निवासियों का एक ज्ञापन दिनांक 3–8–68 को नगीना से बढ़ापुर सड़क पर खों नदी पर पुल निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस नदी का पुल कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां ।

इस पुल का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है और जून, 1974 तक पूर्ण होने की आशा है ।

1972–73 में दोहरीघाट नहर सहायक परियोजना पर आवन्टित धनराशि तथा व्यय एवं अभियन्ता की नियुक्ति

6*—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1972–73 में दोहरीघाट नहर सहायक परियोजना के लिये कितना धन निर्धारित था तथा कितना खर्च हुआ है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में इस कार्य के लिये अलग से कोई अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं की गयी एवं हेड के साइट का चुनाव अंतिम महीनों में किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1972–73 में दोहरी घाट सहायक परियोजना के लिये 92800 रु0 निर्धारित था और 48,638 रु0 खर्च हुआ । इस कार्य के लियें अलग से कोई अधिशासी अभियंता नियुक्त नहीं किया गया ।

हेड स्थल के चुनाव हेतु विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच जुलाई, 72 में प्रारम्भ की गयी थी तथा अन्तिम निर्णय फरवरी, 1973 में किया गया है।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1972–73 में इस परियोजना के लिये बजट में 5 लाख रुपये निर्धारित किये गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह तो अपने मैंने उत्तर में बताया है कि इस परियोजना के लिए 1972–73 में 92,800 रुपया था ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या यह सही है कि बजट में 5 लाख रुपये अंकित है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं 92 हजार । क्या आप दुबारा बदलवाना चाहते हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

बजट में तो 5 लाख रुपये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

टोटल होगा । 72–73 में 92 हजार था ।

श्री निर्भयनारायण सिंह—

मान्यवर मेरा दूसरा प्रश्न है कि 5 लाख रुपये में से केवल 48 हजार खर्च हुए और वित्तीय वर्ष के अन्त में सेलेक्शन हुआ कि इसका हेड बन जायेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या अधिकारियों को उचित निर्देश देने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किसी योजना के लिये पहले सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन सा स्थान उपयुक्त होगा । बेलथरा बाजार की बात थी । वह उपयुक्त स्थान नहीं था । फ्लड लेविल से नीचा था । इसमें समय लगा । टेस्टिंग-बोरिंग, तमाम काम होते हैं, इसलिये उसमें समय लगा । जो काम हुआ, वह समय से हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये 48 हजार रुपये किस मद में खर्च हुए, जबकि कोई अभियंता नहीं रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उसका सर्वेक्षण आदि काम हुआ, जो उप-खण्ड, बलिया द्वारा कराया गया । ऐसा नहीं है कि कोई आदमी न रहा हो ।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि यह परियोजना अपने निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, प्रयास किया जा रहा है कि यह निर्धारित समय में पूरी हो जाय ।

सिंचाई परामर्श दात्री समिति, बलिया के नलकूप लगाने से संबंधित प्रस्ताव पर कार्यवाही

*7--श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिंचाई परामर्श दात्री समिति, बलिया का निर्णय दिनांक 4-11-72 तथा 13-11-72 के अनुसार जिले में नलकूपों के लगाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति प्रस्ताव किया था, तथा उस के अनुसार कार्य न होने के क्या कारण है? क्या दोषी अधिकारी को दंडित करने की कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस संबंध में आवश्यक पूछतांछ की जा रही है। तथ्य मालूम होनें पर वांछित कार्यवाही की जावेगी।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

प्रश्न से स्पष्ट है कि जिला सिंचाई समिति ने सर्व-सम्मति से निर्णय दिया कि अमुक-अमुक स्थान पर, ट्यूबवे ल लगाय जायं उसके बारे में माननीय मंत्री जी को कोई सूचना नहीं दी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई समिति के उस सर्वसम्मति से हुए निर्णय के बारे में क्या सूचना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति है उसका यह निर्णय हुआ कि जिले के हर ब्लाक में टयूबवेल लगा दिये जायं और एम0पी0 और एम0एल0सी0 जहां कहें वहां लगा दिया जाय । इस तरह से 18 ब्लाकों में से 17 ब्लाकों में टयूब वैल लगा दिये गये और एक ब्लाक में नहीं लग पाया।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या यह सही है कि दोषी इंजीनियर का दोष छिपाने के लि ेसर्वसम्मति से हुए प्रस्ताव के विपरीत कार्य किया और रेवन्यू और डी0एम0 पर दोष डालने के लिये पुनः कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा था उसमें किस बात की तथ्य की सूचना इकट्ठा कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप बतला दें कि कौन से तथ्य जानना चाहते हैं और किन तथ्यों की सूचना इकट्ठा कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि तथ्य क्या है तो इस संबंध में मेरा कहना यह है कि वह अधिकारी दोषी है अथवा नहीं इस तथ्य की जानकारी न हो जाय तो कैसे कहा जाय कि अधिकारी दोषी था।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)---

जिला सिंचाई समिति में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहता है और विधायक भी होते हैं लेकिन जो सुझाव दिये जाते हैं उनका वहां पर आर्थिक दृष्टिकोण से विचार कर लिया जाता है, फिर भी बाद में राज्य सरकार उन पर अमल नहीं करती। इसके क्या कारण है ? ऐसा क्यों करती ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जो सलाहकार समिति अपनी राय देती है उसके बाद चयन समिति उसको देखती है और जहां उपयुक्त होता है वहां पर वह करती है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस केस में जब जिला सलाहकार समिति ने अपनी राय देने के बाद चयन समिति नें निर्णय किया अथवा नहीं क्योंकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और आपने मनमाने ढंग से काम किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

मंझनपुर इलाहाबाद में सिंचाई के साधनों का अभाव

*8---श्री धर्मबीर (जिला इलाहाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद नहर कामांड में है और फिर भी नहरों में टेल ऐन्ड होने से पानी नहीं पहुंच पाता है न ही कोई राजकीय नलकूप लगे हैं, जिससे किसानों को पानी नहीं मिलता और फसल सूख जाती है । यदि हां, तो वहां राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह---

प्रश्न गत क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिये किशनपुर पंप नहर का निर्माण कराया जा रहा है । अतः वहां नलकप लगाने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री धर्मबीर---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा और कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इस कैनाल की बनानें की योजना बना ली गई है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बन जाय ।

श्री धर्मवीर—

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह बात सही है कि इसके टेंडर वगैरह आमंत्रित कर लिये गये हैं और कार्य अक्तूबर से प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब माननीय सदस्य को स्वयं इतनी जानकारी है तो इसके उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि मंझनपुर ब्लाक में ग्राम धनपुरा, अरकमहनतपुर, बंधवा तथा सुरसवां ब्लाक में कटरी ढरहरवल की तरफ तथा नैली ब्लाक के पूर्वी हिस्से में जहां पर भूमि नहर के स्तर से ऊंची वहां पर अधिकारियों की यह राय है कि वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर नलकूल लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब राम गंगा परियोजना बन जायेगी तब पानी मिलने लगेगा और यह परियोजना 1974 तक पूरी बन जायेंगी ।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मुझे अधिकारियों ने यह बताया है कि उस स्थान पर पानी नहीं पहुंचता है और वहां पर ट्यूबबेल की आवश्यकता है । तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नहरी कमान्ड से हट कर वहां पर ट्यूबबेल की व्यवस्था करेंगे और ऐसा आश्वासन देंगे ?

श्री महमूद अली खां—

अगर कोई ऐसा ऐरिया है तो वहां पर नलकूप लगवा दिया जायेंगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में बहुत सी ऐसी नहरें हैं जिनके कमान्ड एरिया बहुत दूर-दूर तक हैं और आप वहां पर पानी नहीं दें पाते हैं और ऊंची-नीची जमीन है, तो क्या आप उसका आल्टरनेटिव समाधान करने के लिये, सरकारी ट्यूबबेल लगायेंगे और इस प्रकार का सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो सूखे पड़े हुये हैं और वहां पर पानी की बिलकुल व्यवस्था नहीं है तो पहले वहां पर पानी की व्यवस्था करनी होगी क्यों कि यहां तो पानी मिल ही जाता है कुछ न कुछ और जहां पर कुछ भी पानी नहीं मिलता वहां पर पहले प्रयास किया जायेगा, बाद में दूसरी जगह ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां पर नहरों के अतिरिक्त ट्यूबबल की आवश्यकता है तो क्या शासन इस पर विचार करेगा और कोई न कोई निर्णय लेगा कि इस गर्मी की ऋतु में अगले साल फसल अच्छी हो तो क्या स्वयं किसी बड़े अधिकारी द्वारा मुआइना करायगे और कुछ न कुछ ट्यूबबेल लगाने की आज्ञा देगें ?

श्री महमूद अली खां—

हर जिले को यहां से नलकूप अलाट कर दिये जाते हैं और जिले की जो कमेटी होती है वही तय करती है कि कहां पर नलकूप लगे । तो यह तय तो आपको करना होगा और जहां पर आवश्यकता हो आप लगवा सकते हैं ।

श्री धर्मवीर—

माननीय मंत्री जी को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिला चयन समिति का जो सिंचाई से सम्बन्धित है उसकी कोई बैठक हुई ही नहीं आज तक और न ही विधायकों से परामर्श लिया जाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी जिला चयन समिति को यह निर्देश भेजेंगे कि जहां पर नलकूपों की आवश्यकता है वहां पर तुरन्त लगायें जायं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो नियम अभी तक बने हुये हैं ट्यूबबेल लगाने के उसी के अनुसार ट्यूबबेल लगेंगे ।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, जिला चयन समिति में विधायकों से परामर्श नहीं लिया जाता है और अधिकारी ही मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो मैं यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे निदश भेजेंगे ताकि प्राथमिकता के आधार पर कार्य हो सके ?

श्री महमूद अली खां—

एक सरकूलर चला गया है कि हर जिले में हर महीने यह मीटिंग हुआ करे और वही निर्णय लेगी कि कहां-कहां ट्यूबबेल लगेंगे ।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, चुनाव समिति में सम्बन्धित अधिकारी, कृषि के अधिकारी और डी० पी० ओ० रहते हैं । वह यह कहा करते हैं कि परामर्शदात्री समिति को केवल परामर्श देने का अधिकार है, तो क्या आप परामर्शदात्री समिति को सक्षम बनायेंगे कि वह उन स्थानों का चयन कर लें ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

परामर्शदात्री समिति तमाम जगहों पर कार्य करती है, लेकिन कहां पर भूमि नीची है और कहां पर ऊंची, कहां लगना चाहिये यह टेक्नीकल काम है, इसलिये चयन समिति रखी गई है ।

श्री राम गोपाल संड—

मंत्री जी ने अभी कहा कि परामर्शदात्री समिति से देख लेगी । मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मिर्जापुर से 7 एम० एल० ए० और इलाहाबाद से 14 एम० एल० ए० आते हैं । प्रत्येक जिले में विधायकों की संख्या देख कर मंत्री जी क्या ट्यूबबेल एलाट करने की कृपा करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

आपके जिले को और मिर्जापुर को ज्यादा ट्यूबबेल दिये गये हैं । इस समय मेरे पास फिगर्स नहीं हैं इसलिये अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री राम निहोर राय—

मंत्री जी ने जिला कमेटी की बात कही मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि मिर्जापुर में ट्यूबबेल का सर्वे हो चुका है, सिटी ब्लाक और मंझवा ब्लाक में सर्वे हो चुका है । लेकिन

जो चयन समिति है वही निर्णय लेती है । यह होना चाहिये कि विधायक जहां के लिये निर्णय दे तो उनकी राय मानी जानी चाहिये क्या मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला सलाहकार समिति इसीलिये बनायी गयी है कि विधायक जो राय दें उसको मानते हुये चयन करे ।

श्री राम गोपाल संड—

मंझनपुर और सराय में सूखा पड़ रहा है लेकिन विधायकों की राय नहीं मानी जाती।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मंत्री जी ने कहा कि हर जिले में सलाहकार समिति बनी हुई है । और जिलों की बात तो नहीं जानता लेकिन पौडी-गढ़वाल में सलाहकार समिति की मीटिंग दो साल से नहीं बुलायी गयी । क्या आप इसकी जांच कर के कार्यवाही करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

इस तरह की शिकायत मिली थीं और इसलिये यह तय किया कि हर महीने के आखिरी शनिवार को इसकी मीटिंग हुआ करे ।

गणेशपुर बांध तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग,गोंडा के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही

*9—श्री महेश्वर दत्त सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 को एक पत्र बाबत गणेशपुर बांध जनपद गोन्डा में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा जमीन वितरण में भ्रष्ट तरीके अपनाने के विषय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, इस पत्र में पानी से खाली होने पर बन्धे की जमीन को वितरित करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं तथा उक्त भूमि के वितरण में अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने की शिकायत भी की गयी है इस पर प्रमुख अभियन्ता को जांच करने के आदेश दिये गये हैं ।

सितलाखेत–दौलाघाट मार्ग, अल्मोड़ा पर पुल निर्माण

*10—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा में सितलाखेत–दौलाघाट मार्ग पर पुल निर्माण न होने से दौलाघाट के कठपुलिया तक यातायात बन्द रहता है ? यदि हां, तो उल्लिखित पुल का निर्माण कब तक होने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत सड़क पर पहले से ही छड़ी का पुल बना था अतः यहां यातायात बन्द नहीं रहता है ।

ग्राम लालू नगला, बहेड़ी, बरेली के निकट सियाठेरी माइनर का साइफन टूटने से नुकसान

*11—श्री शफीक अहमद खां—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में चाचंतडाम से निकलने वाली सियाठेरी माइनर पर एक साइफन सियाठेरी लालू नगला के गांव के करीब बार-बार टूट जाने के कारण वहां के तीन चार सौ एकड़ रकबे के सिचाई न होने से हानि हो रही है ? यदि हां, तो वह कब तक बन पायेगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सियाठेरी माइनर के मील 1—0—464 पर स्थित साइफन सितम्बर, 1971 की वर्षा में टूटी जिसे दिसम्बर, 1971 में बना दिया गया साइफन की मरम्मत के बाद उसके पास माइनर की तली एवं किनारों की कुछ मिट्टी बैठ जाने से नहर में पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न हुयी जिसके कारण 1971—72 की 1379 फसली में साइफन के नीचे पूरा पानी नहीं पंहुचा और सिचाई कम हुयी,साइफन अब ठीक दशा में है और इस से वर्ष 1972—73 की 1380 फसली में अच्छी सिचाई हुयी है ।

श्री शफीक अहमद खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि साइफन टूटने से 300—400 एकड़ जमीन की सिचाई न होने के कारण हानि पंहुची है । जो जवाब है वह पूरा नही है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचा और कितने रुपये का नुकसान हुआ ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सन् 1971—72 साइफन टूटने से सिचाई कम हुई और हानि भी हुई ।

श्री शफीक अहमद खां—

मेरा सवाल पढ़ लें मैंने एकरेज दिया है, अगर वह गलत है या सही है तो वह बतलायें । अगर बतलाने में असमर्थ हैं तो इसको मुल्तवी कर दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

1379 खरीफ में 48 एकड़ और रबी में 259 एकड़ सिचाई हुई ।

श्री शफीक अहमद खां—

आपके अधिकारियों ने झूठी इत्तला दी है । कोई काम नहीं हुआ है जिससे कि किसानों को आइन्दा पानी मिले । मेरी इस बात पर यकीन कर के क्या अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को सरकार तैयार है ?

श्री वीर बहादर सिंह—

ऐसी बात नहीं है । जितनी सिचाई पहले होती थी इस साल उससे ज्यादा हुयी है । 565 एकड़ खरीफ में और 557 एकड़ रबी में सिचाई हुयी है ।

श्री शफीक अहमद खां—

मैंने दो स्पष्ट गांव लिखे हैं और उनका रकबा लिखा है । मैं माइनर की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अपनी सूचना दे दें ।

बस्ती में कलवारी टांडा के बीच घाघरा नदी पर स्वीकृत पुल निर्माण–कार्य में विलम्ब

*12—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलवारी टान्डा जिला बस्ती के बीच घाघरा नदी पर पीपे का पुल बनने के लिये स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कब और 31 मार्च सन् 1973 तक उसकी क्या प्रगति हुई और कब तक बन कर तैयार होने का लक्ष्य था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । स्वीकृति फरवरी, 1969 में दी गई थी । 31 मार्च, 1973 तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है । मार्च, 1972 तक बन कर तैयार होने का लक्ष्य था ।

श्री सुखपाल पांडेय—

1969 से 31 मार्च, 1973 तक निर्माण के काम में क्या प्रगति की गयी और निर्माण न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब इसकी स्वीकृति हुयी थी तो उस समय नदी एक धारा में बहती थी, बाद में 3 धाराओं में बहने लगी । पीपे बढ़ गये और कीमत बढ़ गयी । तमाम समस्यायें उत्पन्न हो गयीं । इसलिये विलम्ब हुआ ।

श्री सुखपाल पांडेय—

ठेका किस अधिकारी के आदेश से दिया गया और कितने पीपे दिये गये ? क्या कारण है कि पुल न बन सका ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह तो 13 नम्बर का प्रश्न पूछ रहे हैं माननीय सदस्य ।

*13—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलवारी से टांडा, जिला बस्ती में घाघरा नदी पर पीपे का पुल के निर्माण के लिये इलाहाबाद के किसी ठेकेदार को लगभग तीन लाख रु0 की स्टील दी गई ? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति तथा कितनी मात्रा में स्टील दी गई है ? 31 मार्च सन् 1973 तक कुल कितने पीपे सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि नहीं प्राप्त हुये, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार कौन-सी कार्यवाही करने के लिये सोच रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । इस पीपे के पुल के लिये पीपे बनाने व सप्लाई करने वाले ठेकेदार को केवल 43,302 रुपये मूल्य की स्टील दी गई है । इस स्टील की मात्रा 29.362 मीट्रिक टन है । 31 मार्च, 1973 तक विभाग को कोई भी पीपा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार द्वारा पीपों का पूर्ण निर्माण न किया जा सका । इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

नोट:—तारांकित प्रश्न 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सहायक अभियन्ता, गण्डक नहर, देवरिया के चेक बुक से ब्लैंक चेक की चोरी पर कार्यवाही

*14—श्री बैजनाथ सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर निर्माण खंड 5 देवरिया के किसी सहायक अभियन्ता के चेक बुक से लगभग 36,000 रु0 का चेक सन् 1968 से 1970 के बीच चोरी से कटा था ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता को कितने दिन बाद पता चला तथा उक्त रुपये की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । उक्त खंड की चेक बुक से 12 नम्बर का ब्लैंक चेक दिनांक 6 जून, 1968 के लगभग चोरी चला गया। इसका पता कैशबुक बन्द करने पर दिनांक 28 जून, 1968 को लगा । पता लगते ही सूचना स्टेट बैंक को दी गयी, परन्तु पता लगा कि इस चेक पर बैंक से 35,965 रु0 दिनांक 11 जून, 1968 को किसी राम लाल ठेकेदार के नाम से प्राप्त किये जा चुके हैं । इस चोरी हुये चेक से बैंक पर जालसाजी हुई है ।

पुलिस ने अपराधी पर केस चला रखा है । मामला अदालत के विचाराधीन है । हस्तलिखित विशेषज्ञ एवं पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित विभागीय व्यक्ति दोषी नहीं पाये गये ।

निर्वाचन क्षेत्र 194, गोरखपुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट वर्क

*15—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में प्रश्नकर्ता निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सूखा ग्रस्त क्षेत्र में किन-किन सड़कों पर 1972 में टेस्टवर्क द्वारा मिट्टी डलवायी गयी और क्या यह भी सही है कि जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य शुरू हुआ वह अधूरी रह गया । क्या सरकार ने जिन सड़कों पर टेस्ट वर्क का कार्य करने का आदेश दिया था उन सड़कों पर जब तक पूरी न हो जाये टेस्ट वर्क चलाने के लिये आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

1972–73 में जिन मार्गों पर मिट्टी का कार्य किया गया है उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं । कुछ मार्गों पर कार्य अधूरा रह गया है । अधूरे मार्गों पर कार्य चालू रखने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ210पर)

[बुधवार, 9 मई, 1973 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री परमाई लाल—

[11वें मंगल में प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित ।]

फरवरी, 1973 में आर० टी० ए०,मेरठ द्वारा स्वीकृत परमिटों का आधार

*2—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0टी0ए0 मेरठ ने 17, 19 व 20 फरवरी, 1973 की बैठक में हरद्वार से रोहतक तक के कितने बस परमिट दिये ? क्या सरकार बतायेगी किये परमिट किन व्यक्तियों को दिये गये और इन परमिटों के देने का आधार क्या था ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विजय)—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी यमुना नहर के हैंड वर्क्स की रिमोडिलिंग

*3—श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री ऋषिपाल सिंह (जिला बदायूं), तथा श्री जे0 एन0 सिन्हा (जिला सहारनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतावेंगे कि पूर्वी यमुना नहर के नाकिस पुराने सन् 1877–78 के बने हेड वर्क्स के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर मेरठ जिलों के कृषकों को बंटवारे का अपना पानी भी न मिलने से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें सुधार लाने की दृष्टि से क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1973–74 में हैंड वर्क्स को रिमोडिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं, सुधार लाने के लिये एक नये बैराज के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*4—श्री विश्राम दास—

[15वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*5—श्री राम गोपाल सण्ड—

[15वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

श्री मांगलिक, अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई), झांसी के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

*6—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सरकार के पास बी0 एम0 मांगलिक, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत विधायकों द्वारा प्राप्त हुई जबकि वे झांसी में थे ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई या नही ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । शिकायतों की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी। जांच प्रतिवेदन शासन के विचाराधीन है।

मालिन नदी, मंडावर–किरतपुर मार्ग, बिजनौर पर स्वीकृत पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब

*7—श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बिजनौर में मंडावर-किरतपुर मार्ग पर मालिन नदी का पुल तीन वर्षों से स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण है, और इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, पुल के निर्माण स्थल में परिवर्तन के कारण पुनः सर्वे करना पड़ा जिसमें समय लगा । इस विलम्ब के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ।

*8—श्री सूरजलाल गुप्ता—

[15वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*9—श्री दुर्जन भाई—

[15 वें बुधवार केलिये स्थगित ।]

*10—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

[15वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*11—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

[15 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*12—श्री चौधरी राम पाल सिंह यादव—

[15 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

दिसम्बर, 1970 में सेन्ट्रल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में संस्तुति

*13—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 दिसम्बर, 1970 को नयी दिल्ली में सेन्ट्रल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उत्तर प्रदेश के लिये मास्टर प्लान बनाये जाने तथा अन्य क्या क्या संस्तुतियां की गई थीं, और उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? तथा क्या सरकार उन संस्तुतियों को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री महमूद अली खां—

दिनांक 14 नवम्बर, 1970 को नई दिल्ली में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण परिषद् की बैठक हुई थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लिये कोई संस्तुति नहीं की गई थी बल्कि सामान्य रूप से प्रदेशों द्वारा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विस्तृत योजनायें बनाने पर बल दिया गया था जिसमें विभिन्न कार्यों की इस उद्देश्य से प्राथमिकतायें इंगित करने को कहा गया था कि प्रत्येक प्रदेश में वर्ष 1980 तक बाढ़ से क्षति कम से कम 50 प्रतिशत कम हो जावे। यह भी संस्तुति की गई थी कि यह योजना दो वर्षों में पूर्ण कर ली जाय ताकि पंचम योजना बनाते समय प्राथमिकता प्राप्त कार्यों की तफसील उपलब्ध रहें। उत्तर प्रदेश के लिये उक्त योजना बनाने हेतु रु0 1 करोड़ की लागत का आगणन तैयार कराके स्वीकृत किया जा चुका है और सर्वेक्षण आदि का कार्य इस आगणन के अन्तर्गत किया जा रहा है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण परिषद् की बैठकों कार्यवृत्त गोपनीय होने के कारण उसे सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

*14—श्री हरिवंश सहाय, श्री भगेलू सिंह, श्री मेंहरबान सिंह, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री भाभी यादव, तथा श्री मोती लाल देहलवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*15—श्री मोती लाल देहलवी—

[15 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

सन् 1968 में प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) लखनऊ द्वारा ली गई उप लेखक एवं प्रालेखक के चयन हेतु परीक्षा से नियुक्तियां

*16—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में कुछ कनिष्ठ उप-लेखक एवं प्रालेखक की नियुक्ति हेतु 1968 में एक परीक्षा हुई थी और उसम से कुछ लोगों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था किन्तु पुनः चार वर्ष बाद उसी परीक्षा के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से कुछ को 1972 में उत्तीर्ण घोषित किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री महमूद अली खा—

जी हां, उस समय की 18 रिक्तियां 18 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्राप्त अंकों के अनुसार भर दी गईं । शेष 17 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सन् 1972 तक जमा हुई रिक्तियां दे दी गईं । 1968 के बाद कोई अन्य परीक्षा नहीं आयोजित की गई ।

*17—श्री नत्थाराम रावत—

[15 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*18—19—श्री दल सिंगार यादव—

[15 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

किछा नहर, बहेड़ी, बरेली की मरम्मत में अनियमिततायें

*20—श्री शफीक अहमद खां—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न कर्त्ता ने 8 मार्च, 1973 को बहेड़ी, जिला बरेली की नहर किछा इत्यादि की मरम्मत म अनियमिताओं के बारे में कोई सूचना उन्होंन दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । मामले में जांच कराई जा रही है ।

*21—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[15 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन हेत प्रार्थना-पत्र तथा उनका निस्तारण

1—श्री सन्तू राम (जिला बस्ती) तथा श्री राम निहोर राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष गर्मियों के लिये नैनीताल में सरकारी क्वार्टर आवंटन के लिय कितने प्रार्थना-पत्र आय और उसमें कितने मंत्री व राज्य मंत्री, उप मंत्री और विधायकों के प्रार्थना-पत्र हैं और कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किय गये हैं ?

श्री महमूद अली खां—

नैनीताल में सरकारी आवासों के आवंटन हेतु अब तक कुल 577 प्रार्थना-पत्र शासन को प्त हय ह । शेष प्रश्न के सम्बन्ध में ब्योरा संलग्नक में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' अन्त पृष्ठ 211 पर ।)

ग्राम गंगारामबाला, बढ़ापुर, नगीना, बिजनौर में नलकूप लगाने का कार्य

2—श्री राम अवध (जिला फैजाबाद), श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा), श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री शिव बचन (जिला देवरिया)—

नत्थी 'ग' प्रश्न सं0 5, दिनांक 4 अप्रैल, 1973 के प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस ग्राम और क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कब आरम्भ किया गया और कब तक समाप्त होगा ?

श्री महमूद अली खां—

ग्राम गंगारामवाला, परगना बढ़ापुर में एक्सप्लोरेटरी बोरिंग माह जून, 1971 में प्रारम्भ की गई थी परन्तु अभी तक सफलता नही मिल सकी ।

3—श्रीमती मसाली देवी—

[15वें बुधवार के लिए स्थगित]

4—श्री कल्याण सिंह—

[15वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

5—श्री हरिवंश सहाय—

[15वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

6—श्रीमती प्यारी देवी गुप्त—

[11वें मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न सख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर में वर्क चार्ज पर कार्यरत नलकूप चालकों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति तथा उनको रेगुलर करना

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के नलकूप विभाग में इस समय कितने कूप चालक वर्क चार्ज पर कार्य कर रहे हैं, इनमें अनुसूचित जाति के कौन-कौन कूप चालक हैं ? क्या सरकार इन्हें रेगुलर करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

गोरखपुर जनपद के नलकूप विभाग में इस समय 15 कूप चालक वर्क चार्ज पर कार्य कर रहे हैं। इनमें अनुसूचित जाति के निम्नलिखित चार कूप चालक हैं :—

(1) श्री खट्टर प्रसाद,
(2) श्री दुखरन,
(3) श्री अवध बिहारी,
(4) श्री अलगू ।

सिंचाई विभाग के वे सब वर्क चार्ज कर्मचारी जिनकी सेवायें 3 वर्ष से अधिक की हैं और जो सेवा में बने रहने के योग्य हों उन्हें रेगुलर करने का निर्णय ले लिया गया है। इसके लिये एक समिति का गठन कर लिया गया है। उसकी संस्तुति अपेक्षित है ।

रायबरेली में शारदा कैनाल के प्रतापगढ़ ब्रांच के कुलावा नं0 7 से नई माइनर निकालने की प्रार्थना

8—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली की शारदा कैनाल, प्रतापगढ़ ब्रांच के अरखा रजबहा के कुलाबा नं0 7 से एक नई माइनर निकालने के लिये जनता का प्रार्थना-पत्र स्थानीय विधायक के द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1972, 12 जनवरी, 1973 व 24 फरवरी, 1973 को दिया गया ? यदि हां, तो माइनर निकालने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ।

जांच करने के बाद ज्ञात हुआ कि अरखा राजबहा से माइनर निकाला जाना वांछित नहीं है ।

मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ के निकट डाक बंगले का निर्माण

9—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे के निकट विभाग द्वारा कोई डाक बंगला के भवन का निर्माण का कार्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ।

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

10—श्री धूम प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मऊरानीपुर, झांसी में नहरों की वृद्धि

11—श्री प्रेम नारायण अहिरवार (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर, जिला झांसी में वर्ष 1973-74 में नहरें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

12—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

1970-71 में 1972-73 तक बस्ती में बानगंगा नहर द्वारा सिंचित एरिया का विवरण

13—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बानगंगा नदी के नहर से बस्ती जिले में 1970 तथा 1972 में सिंचाई की कमान्ड एरिया कितनी थी और कितनी एरिया में सिंचाई हो पाई तथा इसमें कितनी एरिया दो बार या अधिक उपरोक्त वर्षों में सींची गई ?

श्री महमूद अली खां—

(अ) बानगंगा नहर पर बस्ती जनपद में 1970-71 से 1972-73 तक सिंचाई कमान्ड एरिया 66,330 एकड़ था जिसमें प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

धान—13278

रबी—9957

(ब) इन वर्षों में सिंचाई के आंकड़े निम्न रहे :—

वर्ष	धान	रबी	योग
1970-71	13,654	15,646	29,300
1971-72	6,747	17,840	24,587
1972-73	14,650	12,676	27,326

(स) नहरों पर पानी लगाने की संख्या रिकार्ड नहीं होती है। अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

विविध विषय

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष जी, सदन 11 तारीख को बन्द हो रहा है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

सारे देश में शादियां हो रही हैं और डालडा का अभाव हो गया है लखनऊ, इलाहाबाद नगरों में 10 रु० किलोग्राम डालडा बिक रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ये बाद में होंगी। पहले कुछ चीजें रखी जा रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रश्न संख्या 1 माननीय दुर्जन भाई का आया तो उस समय कोई मंत्री सदन में नहीं थे। एक गम्भीर वैधानिक संकट पैदा हो गया है। सामूहिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी कोई मंत्री सदन के पटल पर रखने के लिये नहीं हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप कृपा करके इनको डांटिये तो सही ताकि वे मौजूद रहें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं भी चाहता हूं कि आप इन्हें चेतावनी दें।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर के प्रथम, द्वितीय तृतीय प्रतिवेदन आडिट रिपोर्ट सहित†

उद्योग राज्य मंत्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिवेदनों

† छापी नहीं गई।

को, आडिट रिपोर्ट सहित कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

नगर महापालिका कानपुर चुंगी नियमावली, 1973†

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । इसी के बारे में कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको रख देने दीजिये ।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नगरपालिका अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 6601 बी(1) 11-6-183-72, दिनांक 24 मार्च, 1973 द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका कानपुर चुंगी नियमावली, 1973 को नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री मनोहर लाल—

चुंगी की दरें बढ़ायी गयीं हैं । यह जनहित में नहीं है । कानपुर नगर महापालिका ने बहुत जल्दी में प्रस्ताव पास करके भेज दिया है। इस पर हम संशोधन पेश करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर नोटिस दीजिये ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

श्री अध्यक्ष—

यह बड़ी अनुचित बात है कि सामुदायिक विकास मंत्री नहीं हैं। मैं सब के पास कार्य-सूची भेज देता हूं । उसमें जिनके नाम हैं उनको हाजिर रहना चाहिये ।

उद्योग राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 440-बी/33-235-72, दिनांक 13 फरवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समिति के सस्दयों को चुनने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

उद्योग राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग (2) की अधिसूचना संख्या 1819-बी 33-66-73, दिनांक 30 अप्रैल, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला

† छापी नहीं गई ।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

परिषद् (क्षेत्र समिति के सदस्यों को चुनने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सामुदायिक विकास विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स) आय-व्ययक††

उद्योग राज्य मंत्री (श्री यादवेंन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सामुदायिक विकास विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस) आय-व्ययक सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी, गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

जो जो चीजें आती जायेंगी वैसे वैसे ली जायेंगी ।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो सदन के पटल पर रखा गया है उसके बारे में मुझे कहना है । सामुदायिक विकास मंत्री जी के मद संख्या 4 और 5 इस सदन के पटल पर नियमावली के अनुसार रखने हैं । इसमें अगर संशोधन देने की कोशिश की जाय तो उस पर इस सदन में विचार कब होगा ? व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लगातार जितने पत्र रक्खे गये हैं उनमें संशोधन देने के बावजूद सरकार ने आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया है जिससे उन पर विचार हो सके । आप कह देंगे कि सदन की पटल पर रख दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उसके लिये मौका मिलेगा । हम यह कर रहे हैं कि इनकी लिस्ट बना ली जाय । जिस तारीख को रखना है उस तारीख को आ जावेगा। मेरी बात हो गई है । 30 जुलाई के बाद हम बैठेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

30 जुलाई से पहले जो नियमावली बनी हुई है वह भी इस सदन में संशोधन के लिये रक्खी जावेगी । जितने संशोधनों की सूचना कार्यालय को प्राप्त हो गई होगी, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

उनमें जो सुधार रखना चाहते हैं, वह रख सकेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

असेम्बली प्रोरोग हो जावेगी तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये तय कर रहे हैं कि अमुक अमुक चीज पहले ली जावेगी ।

---

†† छापा नहीं गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप दूसरी बात कह रहे हैं । मेरा निवेदन है कि जो नोटिसेज आपके कार्यालय में नियमावली में संशोधन के लिये जा चुके हैं वह लैप्स हो जावेंगे । ऐसी हालत में सरकार का यह कर्त्तव्य था कि सरकार इन नोटिसेज को देखते हुए इस सदन में इसी सत्र में इन पर विचार करती और चर्चा कराती। इस सरकार ने ऐसा नहीं किया है इसलिये जो नोटिसेज दी गई हैं उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम देखकर बतलाऊंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप व्यवस्था दे दीजिये कि वह प्रोरोगेशन के कारण लैप्स नहीं होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

लैप्स भी हो जावेंगे तो फिर दिये जा सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कैसे दिये जायेंगे ?

विविध विषय (क्रमागत)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कल मैंने एक प्रश्न उठाया था कि लाउडस्पीकर्स के कारण छात्रों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो शाम के 7 बजे तक यह बन्द हो जाने चाहिये। सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई आदेश जारी नहीं किये हैं । वित्त मंत्री जी ने कल कहा था कि वह तुरन्त आदेश जारी कर देंगे वह आज सदन में नहीं हैं इसलिये मैं यह बात मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी का कोई सदस्य सदन में नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के हमारे हरिजन सदस्य, डा0 गया प्रसाद प्रशान्त, दफा 144 में गिरफ्तार हो गये हैं । जमानत नहीं हुई है। वह इतने दिन से बन्द हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी उन्हें छुड़ाने का आदेश करें।

श्री अध्यक्ष—

वह चीज उठाने नहीं दूंगा । पहले विशेषाधिकार का सवाल आयेगा, बाद में दूसरे प्रश्नों.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं लाउड स्पीकर के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री मौजूद हैं ...

श्री अध्यक्ष—

वह भागने वाले नहीं हैं ।

श्री सूबेदार सिंह द्वारा थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के सब इन्सपेक्टर्स श्री कृष्णपाल तथा श्री शिशुपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सूबेदार सिंह का बहुत महत्व का है । जो इसमें कहा गया है उससे ज्यादा उन्होंने मुझे बताया है इसमें संक्षेप में कहा गया है । मैं कुछ और ज्यादा जानकारी जानता हूं :—

[श्री अध्यक्ष]

"सर्वश्री कृष्णपाल तथा शिशु पाल सिंह, सब इंसपेक्टर्स, पुलिस थाना भोगांव जिला मैनपुरी के विरुद्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना निम्न आधार पर देता हूं—

कल दिनांक 7 मई, 1973 ई0 को रात्रि लगभग साढ़े नौ बजे में अपने कृषक विद्या-पीठ हायर सेकेंडरी स्कल, मुरलीनगर (भोगांव) से विधान सभा के सत्र में उपस्थित होने के उद्देश्य से भोगांव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहा था। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच भी न पाया था कि पीछे से एक जीप आयी उसमें भोगांव थाने के दो पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स, सर्वश्री कृष्णपाल तथा शिशुपाल सिंह व 3 अन्य व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठे थे श्री कृष्णपाल सब इन्सपेक्टर उपरोक्त ने जीप रुकते ही मुझसे कहा, ठहर जाइऐ, आप इस गाड़ी से लखनऊ नहीं जा सकत । जीप में बैठिये, कप्तान साहब के यहां आपको चलना है ।"

मैंने उनसे नम्रतापूर्वक कहा कि मैं लखनऊ तक का टिकट ले चुका हूं और कल विधान सभा का सत्र है, मुझे इसी गाड़ी से जाना अनिवार्य है । इस पर श्री शिशुपाल सिंह, सब इंस-पेक्टर ने बिगड़ते हुए कहा कि इस गाड़ी से तो आपके जाने का प्रश्न ही नही उठता । मैं अपने को खतरे में देख कर उनके साथ जीप में बैठ लिया मुझे लेकर यह लोग तेजी के साथ मैनपुरी की ओर चल दिये।

रास्ते में रेलवे क्रासिंग से आगे मैदान में इन लोगों ने जीप रोकी इसी समय श्री कृष्णपाल, पुलिस सब इन्सपेक्टर उपरोक्त ने मुझे दो सफेद कागज देते हुए कहा कि इन पर एम0 एल0 ए0 शिप से अपना स्तीफा लिख दो । मैंने ऐसा करने से इंकार किया । इस पर शिशुपाल सिंह सब इंन्सपेक्टर उपरोक्त ने अपनी रिवाल्वर पर हाथ रखते हुए कहा कि लिखता है या नहीं ? फिर कहा अच्छा इस्तीफा लिखने म देरी होगी, आप इन दोनों कोरे कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिये बाकी सब ठीक हो जायेगा । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए . . .

(मतलब यह है कि पिस्तौल पर हाथ रखा)

मैंने दोनों कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये जिन्हें श्री शिशुपाल सिंह सब इंसपेस्टर उपरोक्त ने अपनी जेब में रख लिया और मुझे वहीं जीप से उतार कर स्वयं वहां से रवाना हो गये । मैं किसी प्रकार वहां से रात्रि के लगभग साढ़े दस बजे मैनपुरी पहुंचा जहां मुझे सड़क परिवहन निग म की आगरा से लखनऊ जाने वाली रात्रि बस सेवा मिल गयी उससे किसी प्रकार मैं लखनऊ आने में समर्थ हो सका ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों पुलिस सब इंसपेक्टर्स ने इस प्रकार का अवांछनीय व्यवहार करके मुझे,—

1—विधायक के कर्त्तव्यों का पालन करने तथा विधान सभा में उपस्थित होने से रोका है ।

2—मुझे आतंकित करके विधान सभा की सदस्यता से मेरा त्यागपत्र लिखाने की कोशिश की, है तथा

3—कोरे कागजों पर जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर बनवाकर कोई षड़यंत्र रचने का प्रयास किया है ।

उपरोक्त मामला अत्यन्त गम्भीर है और मेरे विधायक संबंधी विशेषाधिकारों की स्पष्ट रूप से अवहेलना है ।"

मैंने इसके ऊपर यह फैसला लिया है कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना दिखाई देती है, इसलिये विशेषाधिकार समिति को मैं इसको भेजता हूं, वह उस पर विचार करेगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

यह भोगांव का मामला है। मेरा निवेदन है कि इस पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व मजीद इसकी इंक्वायरी कर लीजिये। चूंकि यह मामला भोगांव का है, न मालूम कितनी ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं। मैं समझता हूं आगे चलकर कुछ दूसरा ही नतीजा निकलेगा।

श्री अध्यक्ष---

मालूम होता है भोगांव का असर आप पर भी हो गया। मैंने तो फैसला ले लिया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

आपने फैसला दे दिया ठीक किया। मुझे एक दूसरा निवेदन करना है। वह यह है कि विशेषाधिकार समिति और सदन जो भी अपना निर्णय देंगे वह एक अलग बात है। उसकी सिफारिश और सदन का निर्णय अभी प्रतीक्षित है। मुख्य मंत्री जी सौभाग्य से इस सदन में मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस सब-इंसपेस्टर की यह हिम्मत हो जाय कि विधान सभा के सदस्य से इस्तीफा लिखवा ले अथवा कोरे कागज पर दस्तखत करवा ले और विधान सभा का सदस्य आपके सम्मुख विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित कर, उचित यह होगा कि संबंधित सब-इंसपेक्टर को अविलम्ब मुख्य मंत्री जी मुअत्तल करने की घोषणा इस सदन में कर दें यह हमारी मांग है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जो माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा मैं उसका बिलकुल समर्थन करता हूं। पुलिस हस्तक्षेप हम लोगों के जीवन में बहुत बढ़ता जा रहा है। जब बहुत से लोग इधर से उधर गये थे तब मुझे इसकी भी सूचना मिली थी कि एक डी० आई० जी० का बहुत बड़ा हाथ था। इसके पीछे भी कुछ राजनीति होगी। उस वक्त, आप को स्मरण होगा, इस सदन में कहा गया था कि सरकार इस हद तक पहुंच गयी है कि लोगों को मजबूर कर रही है कि उस दल से इस दल में आ जायं। आप गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करिये। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। जैसा कि कल्पनाथ जी कह रहे हैं, अगर वह कुछ कहें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, सचमुच यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। विशेषाधिकार समिति के पास भेजने में कोई फौरी कार्यवाही नहीं होने वाली है। लेकिन यह मामला ज्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री को फौरन कोई न कोई उचित कार्यवाही करनी चाहिये और उसकी घोषणा करनी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

यह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं है। जो घटना आपसे बतायी है उससे तो क्रिमिनल केस बनता है। प्रिविलेज कमटी विचार करेगी वह तो है अपनी जगह पर लेकिन उस सब-इंसपक्टर के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिये, उसका इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये और उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

उसके विरुद्ध कुछ न कुछ तो हो ही जाना चाहिये। आपने जब एक निर्णय दे दिया कि प्राइमा फेसी केस बन गया तो फिर सरकार को कोई कारण नहीं रह गया यह कहने के लिये कि निराधार है। इसलिये उस सब-इंसपेक्टर को सस्पेंड तो कर ही देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि सूबेदार सिंह जी इसके पीछे जो राजनीति है जो उन्होंने मुझे सुनायी वह कृपा करके मुख्य मंत्री जी को बतला दें ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप सूबेदार सिंह जी को कह लेने दीजिये । मुख्य मंत्री जी बाद में कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जो ऐक्शन आप मुख्य मंत्री जी से लिवाना चाहते हैं उसका तरीका यह है कि कमेटी में जब जायगा तो क्रास-एग्जामिनेशन में वह चीजें निकालेंगे लेकिन आप मुख्य मंत्री जी को पहले से यह सूचना दें कि यह यह चीजें इसके पहले हो चुकी हैं जिसकी वजह से यह हुआ है लिहाजा उसके ऊपर ऐक्शन ले लें ।

*श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं उस घटना का पूर्ण विवरण सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं । श्रीमन्, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 को मुझे यह सूचना मिली कि भोगांव पुलिस के सब-इंसपेक्टर, जिनका जिक्र यहां पर आया है, मनपुरी से एक महिला को पकड़ कर करीब डेढ़ या दो बजे लाये हैं ।

तो मैंने इन पुलिस सब-इन्स्पेक्टर के पास सूचना दी कि जब मैनपुरी में आपने एक औरत को गिरफ्तार किया था तो वहां पर सारी कोर्ट्स अदालतें मौजूद हैं तो आपने इस मसले को अदालत के सामने क्यों नहीं पेश किया ? बहुत से लोगों को यह भी यकीन था कि रात को एक औरत का वहां रहना ठीक नहीं है और उसके शील भंग होने की आशंका है । तो मैंने उनसे यह भी कहा कि आप उस औरत को भेज दीजिये या फिर आप किसी की सुपुर्दगी में उसको दे दीजिये लेकिन पुलिस सब-इन्स्पेक्टर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उसको कहां रखा ?

श्री सूबेदार सिंह—

उसी थाने में ।

श्री अध्यक्ष—

कहां, भोगांव के थाने में ?

श्री सूबेदार सिंह—

जी हां । दूसरे दिन 29 तारीख को लोगों ने मुझसे मिलकर कहा कि उस रात को उस औरत की बेइज्जती की गयी है और आप इसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करें । 29 तारीख को ही सबेरे मैं जिलाधीश, मैनपुरी से मिला और उनसे सारी बातें बतायीं । उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिया गया कि वे जांच करें । जांच करने के लिये जो मैजिस्ट्रेट मैनपुरी से गये तो मैंने उनसे कहा कि यह जो इन्क्वायरी आप कर रहे हैं यह तो पुलिस की हिरासत में आप कर रहे हैं । पुलिस आपको चारों ओर से घेरे हुये हैं और किसी इंडिपेंडेंट विटनेस को पेश नहीं होने देते हैं । आप उनको पहले हटा दें तब जांच कीजिये । लेकिन वह इन्क्वायरी पुलिस की कस्टडी में हुई । मैजिस्ट्रेट चले गये तब 29 की शाम को ही पुलिस सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन्स्पेक्टर ने मुझको धमकी दी कि इस के गम्भीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे और उसी शाम की यानी 29 तारीख को ही मैंने मुख्य मंत्री जी को, गृह सचिव को, आई0जी0,डी0आई0जी0 और जिलाधीश महोदय, और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को टेलीग्राम पर इन्फार्म कर दिया कि मैंने पुलिस सब इन्स्पेक्टर की शिकायत की थी और इसके एवज में इन लोगों ने हमें गम्भीर चेतावनी दी थी खतरे के लिये । उसके बाद में यहां चला आया और यहां से 5 तारीख को आगरा गया और वहां से 6 को मैनपुरी गया 7 तारीख को प्रातः मैं फिर वहां एस0पी0 साहब से मिला और फिर उनसे सारी बातें कहीं । मैंने कहा कि बराबर सूचना मिल रही है कि पुलिस सब इन्स्पेक्टर्स मुझे कोई भारी नुकसान पंहुचाना चाहते हैं । 7 तारीख को सबेरे सात या आठ बजे मैं उनसे मिला था । उन्होंने कहा कि कोई बात पैदा नहीं होगी मैं उनको समझा दूंगा। मैंने सोचा था कि उन्होंने शायद कोई बात कर ली होगी लेकिन उसके बाद यह घटना शुरू हुई । उस रात को ट्रेन से शिकोहाबाद होकर मैं लखनऊ आना चाहता था । मैंने टिकट भी खरीद लिया था । जैसे ही मैं ट्रेन के लिये रवाना हुआ कि स्टेशन आने से पूर्व ही ये दोनों सब इन्स्पेक्टर, श्री शिशुपालसिंह और श्री कृष्णपाल मय तीन सिपाहियों के मेरी गाड़ी के बराबर आये और आकर रोक दिया और मुझ से कहा कि आप इस गाड़ी से लखनऊ नहीं जा सकते । मैंने कहा कि मैंने टिकट ले लिया है, असेम्बली में मुझे पंहुचना जरूरी है । उन्होंने कहा कि नहीं आपको अभी कप्तान साहब पुलिस के यहां चलना है । मैंने समझा कि कप्तान साहब ने मुझे किसी सिलसिले में बुलाया होगा लेकिन उनका उस समय जो एटीट्यूड था वह धमकी से भरा हुआ था लिहाजा मैं उनकी जीप में बैठने के लिये मजबूर हो गया लेकिन रेलवे क्रासिंग से आगे ही उन्होंने जीप रोक ली और उनमें से एक सब-इन्स्पेक्टर ने मुझ से कहा कि जो मैं ये दो कोरे कागज दे रहा हूं इस पर आप अपना एम0एल0ए0 शिप से इस्तीफा लिख दीजिये और जब मैंने ऐसा करने से इन्कार किया तो दूसरे सब-इन्स्पेक्टर ने अपने हाथ में पिस्तौल लेकर कहा कि लिखता है या नहीं। इतने में पहले सब-इन्स्पेक्टर ने कहा कि अच्छा इस्तीफा लिखने में देरी हो सकती है आप इन दोनों सादे कागजों पर दस्तखत कर दें । स्थिति गम्भीर थी लिहाजा मैंने उन दोनों सादे कागजों पर दस्तखत कर दिये और फिर उन दोनों कागजों को उनमें से एक सब इन्स्पेक्टर ने अपनी जेब में रख लिया और उन्होंने इतनी भी इन्सानियत नहीं बरती कि मुझे मैनपुरी या भोगांव ही पंहुचा देते । मुझे उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और चले गये । किसी प्रकार मैं मैनपुरी पंहुचा और वहां पर जो बस लखनऊ के लिये तैयार थी उससे यहां आया । कल मेरी तबियत खराब रही इसलिये मैं नहीं आ सका और इसलिये आज यह प्रस्तुत किया है । मुझे खेद इस बात का है कि मैंने जब 29 तारीख को ही शासन को टेलीग्राफिकली इन्फार्म कर दिया था कि इस तरह की गम्भीर स्थिति है लेकिन तब भी मेरे प्रोटेक्शन के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी और न कोई कार्यवाही की गयी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, आपने इस मामले को यह देख कर कि इसमें प्राइमाफेसी केस बनता है, विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया । मैं समझता हूं कि पहले इस सदन को इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि सदन के एक माननीय सदस्य के अवमान का यह प्रश्न है । शासक पार्टी के माननीय सदस्य से अगर पुलिस के अधिकारी इस तरह से धमका कर इस्तीफा लेंगे तो यह जनतंत्र के लिये एक चुनौती है । इस तरह से तो वे 100 माननीय सदस्यों से भी इस्तीफा लिखा सकते हैं । मैं तो सूबेदार सिंह जी से कहना चाहता हूं कि उस पार्टी में अब उनकी इज्जत सेफ नहीं रह गयी है, अपनी इज्जत को बेचकर उधर लोग बैठे हुये हैं . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पार्टी की बात यहां नहीं है, आप विषय पर ही रहें ।

श्री बंशीधर पांडेय---

पार्टी का सवाल इसलिये है कि इतने बड़े पैमाने पर दल बदल कभी नहीं हुआ . . . (व्यवधान) आप उस हैसियत में नहीं हैं, शास्त्री जी, आप चुप रहिये . . . (व्यवधान)

श्री राम कुमार शास्त्री---

आप उस कुर्सी पर बैठें हैं, आप अगर इनको नहीं रोकेंगे तो क्या मैं रोकूंगा, आप इन्हें रोकिये यह विषयान्तर कर रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

विषयान्तर नहीं है । आपको गलत फहमी है। सदन को इस मामले को लेना चाहिये और उन सब इन्स्पेक्टर्स की शास्ति यहां पर पहले होना चाहिये, उसके बाद विशेषाधिकार समिति को इसे भेजना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

नियमों के अनुसार ही तो कार्यवाही होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह बड़ा गम्भीर मामला है । हमारा यह कर्तव्य है कि हम आफिसर्स की त्रुटियों को शासन की जानकारी में लायें । इसलिये इस मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन सब इन्स्पेक्टरों को सदन के समक्ष बुलाया जाय । उनको मुअत्तल तुरन्त किया जाय । फिर विशेषाधिकार समिति में विचार के लिये जाय ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

यह तो आपको मालूम है कि यदि कोई त्याग-पत्र भेजता है तो आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आप उसे स्वीकार करें । माननीय गोविन्दसिंह नेगी जी ने एक दिन यहां कहा था । उसका महत्व अपनी जगह पर है । यह विशेषाधिकार की कार्यवाही है उसको सदन में बुलायें, सब कुछ होना चाहिये । 29 तारीख को जो टेलीग्राम दिया गया उसके बाद लगातार माननीय विधायक ने बार बार यह बात कही, उनकी सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही न होना, उसके बाद यह घटना होना और इस घटना के हुये 36 घंटे हो चुके हैं अब तक क्या कार्यवाही की गयी सब इन्स्पेक्टर के खिलाफ, क्यों नहीं जेल के अन्दर मुअत्तल करके डाल दिया गया ? क्यों उसने वह अपराध किया है कागनिजेलेबिल आफेंस है, रांगफुल रेस्ट्रेंट, उनके साथ जबरदस्ती करना, जबरदस्ती कागज पर लिखवाना यह सब अपराध किये हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की सूचना नहीं थी ? यदि उनको सूचना हुई, जिला वालों को हुई, एस० पी० को हुई तो अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की ? आपने तुरन्त कर दिया लेकिन उन लोगों ने अपने लेबल पर क्यों कार्यवाही नहीं की, यह मैं जानना चाहता हूं ?

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)---

यह जो घटना सुनायी गयी इसके बारे में कुछ कहना नहीं है । लेकिन मुझे यह कहना है । सदन में पुलिस के खिलाफ रोजाना आये दिन सवाल होते हैं और प्रश्न उपस्थित किये जाते हैं । अभी एक हफ्ता पहले मनकापुर से एक मामला आया । वहां पर एक आदमी को मार डाला गया । वहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने पूरे स्टाफ को बुला कर सदन की भावना का आदर किया । जैसा बंशीधर जी पांडेय ने कहा पुलिस की स्वेच्छाचारिता इतनी बढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है । हम लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है । जैसे एक महिला को बेबुनियाद पकड़ लाये वहां पर कोई साधारण आदमी खड़ा नहीं हो सकता । अगर एक माननीय विधायक खड़ा हुआ तो उसको इस तरह से दंडित करते की बात होती है । यह पुलिस के मत्थे पर, इस सरकार के मत्थे पर एक घोर कलंक है । आज अगर हम अन्याय के विरोध में नहीं खड़े होते हैं तो कौन खड़ा हो सकता है ?

मैं अपने साथ बीती घटना बताता हूं जिस तरह की यह घटना हुई है ठीक इसी तरह की घटना हुई थी । लेकिन चूंकि इस विधान सभा का सदस्य हूं, थानेदार से कोई बात हुई है, इसको विधान सभा में प्रस्तुत करूं यह अच्छी बात नहीं थी । मैंने उस मामले को हटा दिया । मैं बहराइच के जिलाधीश से मिलने जा रहा था । मैंने बताया कि मैं विधायक हूं । लेकिन उसने सुना नहीं । मुझे पयागपुर थाने में ले गया । रूल निकाला, झगड़ा किया और मुझे मारने तक की धमकी वहां दी लेकिन मैंने उस चीज को विधान सभा में रेज नहीं किया । लेकिन ओम प्रकाश सिंह के सामने सारी घटना बतायी । उस सब इन्स्पेक्टर के खिलाफ क्या हुआ ? इससे पुलिस का हौसला बढ़ता जायगा । जो इस विभाग के मंत्री हैं, खास तौर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो गोरखपुर के एक मंत्री हैं उन्होंने पुलिस के दरोगाओं का हौसला बहुत ऊंचा किया है । अपने कमरे में बैठा कर, उनकी सिफारिशें सुन कर उनके हौसले को इतना ऊंचा कर दिया है कि आज माननीय सदस्यों की इज्जत और सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है । यह निर्णय दीजिये कि आज उस सब इन्स्पेक्टर को तत्काल मुअत्तल किया जाय, इसमें जरा भी संकोच न कीजिये, इस बात के लिये माननीय मुख्य मंत्री से कहिये इसको करें क्योंकि माननीय सदस्य की इज्जत का सवाल है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

प्वाइन्ट आफ आर्डर । एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि 29 तारीख को मुख्य मंत्री जी को उन्होंने तार दिया, आज 9 मई, हो गयी, 11 दिन हो गये । सारा विषय आपके सामने आया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, वह भी उपस्थित हैं 11 दिन के अन्दर उन्होंने उस सूचना पर क्या कार्यवाही की सदन को अवगत कराएं, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर ऐसा न करूं तो अनपार्लियामेन्टरी बात होगी । इन 11 दिनों में इन्क्वायरी करने के बाद उस सब इन्स्पेक्टर को सस्पेंड अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

प्रिविलेज समिति में आपने इसे भेजने का निर्णय ले लिया, वह कोल्डस्टोरेज में चला गबा । पुलिस का अत्याचार अब बढ़ गया है और आये दिन विधायकों के साथ दुर्व्यवहार होता है । यह सब इसलिये हो रहा है कि विभाग मुख्य मंत्री नहीं देख रहे हैं । सम्बन्धित तार मुख्य मंत्री के यहां नहीं पंहुचा होगा, राज्य मंत्री के पास पंहुचा होगा । राज्य मंत्री गोस्वामी जी जब एम0 एल0 ए0 रहे तो उनका सम्बन्ध थाने से रहा ।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह वैयक्तिक हमला करना उचित नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

उनकी मजबूरी है । वह कुछ कर नही सकते । इसी तरह से शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उनको पढ़ाये हुये हैं और उस विभाग से सम्बन्धित भी कोई काम नहीं हो सकता । विद्युत विभाग ही इनके पास रहने दिया जाय और पुलिस विभाग को मुख्य मंत्री ही देखें वर्ना शासन तथा पार्टी की बहुत बदनामी होगी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं अब और किसी को इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझे भी कुछ निवेदन करना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मंत्री जी मौन तोड़ें । उनके मौन से इसकी गम्भीरता बढ़ गयी है ।

मुख्य मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—

यह नई परम्परा है कि तत्काल उठकर जबाब देने को कहा जाता है । मुझे तार का कुछ स्मरण नहीं है । मैंने उसे देखा है । आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें । तत्काल सम्बन्धित कागज भेज दें मैं उसे देख लूंगा, कल जबाब दे दूंगा ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

कुछ कार्यवाही अवश्य की होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । आपने सूबेदार जी की शिकायत को प्रिविलेज समिति के सुपुर्द कर दिया । आप मुख्य मंत्री जी से यह भी कहते कि वह आदेश दें ताकि इस मामले से सम्बन्धित सब इन्स्पेक्टर को वह अविलम्ब मुअत्तल करते ।

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि रूल्स की परवाह बिलकुल न की जाय । रूल यह है कि प्राग-दर्शन में यह सिद्ध हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो विशेषाधिकार समिति को मैं दे दूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह प्रशासनिक मामला भी है, सरकार से इसका सम्बन्ध है ।

श्री अध्यक्ष—

आप वह सुझाव दे सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी उसको सस्पेंड कर दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सदन की भावनाओं के अनुकूल मुख्य मंत्री जी उस सब इन्स्पेक्टर को सदन में बुलाते और मुअत्तल करने का आदेश देते ।

श्री अध्यक्ष—

जिस आदमी पर जो कुछ बात गुजरी है वह मुख्य मंत्री जी के पास जा कर उनको बतला दे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उसने तो पूरे सदन को बतला दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री ने उस पर कहा तो है कि मैं उसे देख लूंगा । आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री सूबेदार सिंह द्वारा थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के सब-इन्सपेक्टर्स श्री कृष्णपाल तथा श्री शिशुपाल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री कल्पनाथ सिंह---

जांच की कार्यवाही तो विशेषाधिकार समिति कर लेगी ।

श्री अध्यक्ष---

29 तारीख को तार भेजा गया । इस बात की जांच वह अपने आफिस से कर लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हमारी मजबूरी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, माननीय सूबेदार सिंह जी ने जो कुछ कहा वह मैंने सुन लिया है और यह काफी गम्भीर मामला है । अगर ऐसी घटना हुई है तो वह ऐसी है जिस पर कि तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये । मान्यवर, आपके पास उन्होंने लिखकर भेजा है और आपने उसे विशेषाधिकार समिति के सामने भी भेज दिया है जहां कि इस मामले की जांच पड़ताल होगी । उस पर जो भी निर्णय वह समिति करेगी वह सदन के सामने आयेगी ही और मेरे जिम्मे जो काम होगा उसका उत्तरदायित्व लेता हूं और शीघ्र ही उस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही होगी, अवश्य कर दूंगा ।

श्री कल्पनाथसिंह---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी भी उस व्यक्ति को मुअत्तल करने की घोषणा नहीं की ।

श्री अध्यक्ष---

आप तो ऐसा चाहते हैं जैसे कि मुकदमा पेश करते ही जज फौरन ही सजा दे दे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है कि इस के प्रति घोर विरोध व्यक्त करते हुये हम दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

गोरखपुर के एक नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख की हत्या के मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, कल यहां पर गोरखपुर में एक नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख की हत्या के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था । इस हत्या में प्रभावशाली आदमी का हाथ बताया जाता है । कल यह कहा गया था कि वहां से रिपोर्ट मंगा ली जाय मैंने कहा था कि रिपोर्ट मंगाने से काम नहीं चलेगा इसलिये सी० आई० डी० से इसकी जांच करवा ली जाय लेकिन चूंकि कल मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिये उनकी मौजदगी में ही यह प्रश्न उठाया जायेगा, ऐसा मुझे बताया गया । आज मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि वे सदन में आज आश्वासन दें कि वे इसकी जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दें क्यों कि उस ब्लाक प्रमुख की हत्या के सम्बन्ध में बहुत ही इन्फुलयेन्सिव आदमी का हाथ बताया जाता है और कहा जाता है कि वह व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री जी का सम्बन्धी है । इसलिये बात साफ हो जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

कल गोरखपुर में एक ब्लाक प्रमुख की हत्या के सिलसिले में जो प्रश्न उठाया गया था उसमें कहा गया कि वह व्यक्ति मुख्य मंत्री जी का रिश्तेदार है, ऐसा संकेत किया गया था और राज्य

[श्री अध्यक्ष]
मंत्री से यह प्रार्थना की गयी थी कि इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करवा ली जाय । उन्होंने कहा कि वह बात मुख्य मंत्री जी के सामने आ जानी चाहिये तभी वे इसका जवाब दे पायेंगे इसलिये आप इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करा ली जाय । कौन है, क्या है, सम्बन्धी है चाहे किसी का भी सम्बन्धी हो, उसके विरुद्ध कोई बात आती है तो इन्क्वायरी अवश्य होनी चाहिये और सजा मिलनी चाहिये । इसमें पूछना क्या है ।

खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सवाल माननीय नित्यानन्द स्वामी ने उठाया है, वह मैंने अस्वीकार कर दिया है । उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न निहित नहीं है । उन्होंने लिखा है कि इसी सत्र के पांचवें सोमवार को मेरे तथा श्री जगन्नाथ खन्ना के प्रश्न संख्या 55 के उत्तर द्वारा माननीय खाद्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है । प्रश्न का उत्तर यह दिया जाना चाहिये था कि "जनसंघ द्वारा 9 दिसम्बर, 1972 को नहीं बल्कि 9 जनवरी, 1973 को प्रदर्शन तथा घिराव किया गया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने स्वयं गलत तिथि का उल्लेख किया है, शासन ने कोई गलत बयानी नहीं की है । इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ।

इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आप अस्वीकृत करने के लिये सक्षम हैं । लेकिन कई बार इस प्रकार के मामले सदन में आ चुके हैं और उत्तर दिया गया है कि इस तिथि को न होकर इस तिथि को यह चीज हुई । तो वहां हजारों लोगों ने प्रदर्शन किये, खाद्यान्नों के अभाव में, राशन की दूकानों पर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, वहां खाद्य मंत्री जी के पुतले भी जलाये गये और उत्तर में यह दिया गया है कि वहां कुछ हुआ ही नहीं, इसका उत्तर तो सही देना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष---

वह दिसम्बर के बजाय जनवरी था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आखिर उन्होंने सदन को गुमराह क्यों किया ?

राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न राजस्व मंत्री के विरुद्ध था, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मंत्री का यह है कल फोन कराके लिखित रूप में मैंने उनसे ले लिया था ।

"अप्रैल, 1973 के प्रश्नोत्तर काल में परिवार नियोजन के कार्य में शिथिलता के लिये किसी कर्मचारी को दंडित न किये जाने की माननीय राजस्व मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद

खंड विकास अधिकारी अलीगंज, एटा द्वारा श्री साहब सिंह तथा श्री बाबूराम, पंचायत सेवकों को उक्त कार्य में शिथिलता के कारण निलम्बित किये जाने पर माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध श्री नित्यानन्द स्वामी एवं श्री सियाराम, सदस्य विधान सभा द्वारा की गई सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना ।

महोदय,

जिस प्रश्न के संदर्भ में मैंने यह सूचना दी थी कि जहां तक मेरी जानकारी है किसी लेखपाल को नसबन्दी का लक्ष्य न पूरा करने के कारण निलम्बित नहीं किया गया है । वह लेखपालों से सम्बन्धित था जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में है । जिन लोगों का श्री नित्यानन्द स्वामी एवं श्री सियाराम सदस्य विधान सभा ने उल्लेख किया है, वे पंचायत सेवक हैं जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में नहीं आते । उनके विषय में पंचायती राज विभाग ही कोई स्थिति स्पष्ट कर सकता था और माननीय सदस्यों को यदि कोई शंका है तो उसी विभाग के मंत्री से उसका निवारण कराना चाहिये । लेखपालों के विषय में कहीं कोई बात का पंचायत सेवकों से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतएव सदन के अवमान का कोई प्रश्न किसी भी प्रकार नहीं उठना चाहिये । मैंने जो सूचना दी वह अपनी उस वक्त तक की जानकारी के अनुसार सही थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं कहता हूं कि कैबिनेट के मन्त्री की हैसियत से उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी कर्मचारी नसबन्दी के काम में ढिलाई के कारण निलम्बित नहीं किया गया है। मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही ही आप मंगा लें, प्रश्नोत्तर देते वक्त इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया था जबकि सप्लीमेंटरी सवाल हुआ था ।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि आप बतला रहे हैं, उनका उत्तर मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

कुछ नये ब्लाक प्रमुखों के शपथ न दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—

दूसरा श्री बलदेव सिंह आर्य का आया है जो इस प्रकार है—

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपके द्वारा सदन में कल दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के आस्थगित निर्वाचनों की सूची संलग्न है। केवल इन्हीं 6 क्षेत्र समितियों प्रमुखों में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1962 के नियम 4(5) के अधीन पुनः मतदान के पुनः गणना के निर्देश पारित हुये। इस सम्बन्ध म उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई और स्थगन आदेश पारित हुये हैं जिन का विवरण संलग्नक में उल्लिखित है।

इनमें से एक याचिका में स्थगन आदेश रद्द हो गया है और परिणाम विज्ञप्ति जारी होने व शपथ की कार्यवाही हो रही है। शष पांच मामलों का उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के सन्दभ म विधिक स्थिति का परीक्षण हो रहा है।"

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, हाई कोर्ट ने काउंटिंग रोकी और आर्डर्स यह हैं कि..

श्री अध्यक्ष---

एक के बारे में इजाजत दे दी है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, यह तो इस बात को दिखाने के लिये है ताकि शपथ न हो सके। हाई कोर्ट ने यह आर्डर दिया है कि डायरेक्टर के सारे आर्डर्स स्टे किये जाते हैं। इसमें शपथ देने का आदेश भी स्टे कर दिया गया है। जब लोग इसको ले कर जा रहे हैं। रिकाउंटिंग के आडर्स स्टे है।

श्री अध्यक्ष---

हाई कोर्ट के स्थगन की तारीख अलग-अलग है। श्री ठाकुर प्रसाद की तारीख 16 मार्च, 1973 है और मंडावरा महेंद्र सिंह (झांसी) की 10 अप्रैल 1973 है, परसपुर (गोंडा के देवीदत्त सिंह की 30 मार्च, 1973 है, बलसर (गोंडा) के विद्यापाल सिंह की 30 मार्च, 1973 है, पयागपुर बहराइच के रामशेखर की 28 मार्च, है और खुर्जा (बुलन्दशहर) के बहोरी सिंह का स्थगन खत्म हो चुका है। यह सूचना मैंने आपको दे दी।

अब इसके बाद आगे चलते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, राय बरेली के बारे में.....(व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, आज स्थिति बहुत खराब हो गई है। डालडा 10 रु0 किलो बिक रहा है। आज जनता परेशान है, डालडा मिल नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष---

स्थगन के प्रस्ताव यह हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र प्रताप सिंह जी ने रायबरेली में जो विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस उपस्थित किया था। आपने कहा था कि पूरी रिपोर्ट 7 दिन में आ जायेगी। लेकिन अभी तक नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष ---

मैंने रिमाइंडर भेजा है ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह नहीं सुनते हैं तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---

तो मैं क्या करूं। अगर उनको कोई दिक्कत है तो वे लिखकर भेजते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या भेजा है वही सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं देख तो लूं। मैं उसको देख लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाओं को लेता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, हमने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव जीवनोपयोगी वस्तुओं के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष--

मैं एक-एक को ले रहा हूं । पहला माननीय चन्द्रमोहन सिंह नेगी का है कि जिला पौड़ी गढ़वाल में जिला विद्यालय निरीक्षक के दुर्व्यवहार के फलस्वरूप समस्त कर्मचारियों न त्याग-पत्र दे दिया है जिससे एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । मैंने यह कहा कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव में यह नही आ सकता है । लेकिन कार्यवाही के लिये मैं इसको भेज देता हूं और सम्बन्धित मंत्री इस पर उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, हालत यह है कि वहां पर कोई इंसपेक्टर आफ स्कूल नहीं है । उसका कहीं पता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह माननींय चन्द्र मोहन सिंह नेगी का है और आप बोल रहे हैं । उनको बोलने दीजिये ।

*श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

मान्यवर, मामला यहीं तक सीमित नहीं है । सारे कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है । डी0 आई0 ओ0 एस0 डी0 एम0 के निवास स्थान पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं चले गये हैं । उनको पता नहीं चल रहा है । इतनी बात ही नहीं बल्कि कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा था कि आप इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दीजिये । उसने एस0 डी0 एम0, पौड़ीं को लिखा और उन्होंने इंक्वायरी शुरु कर दी और डी0 आई0 ओ0 एस0 और कर्मचारियों को सम्मन इश्यू कर दिये .....

और उसके बाद कर्मचारियों में संतोष हो गया कि डी0 एम0 एक्शन लेंगे और इंक्वायरी करायेंगे लेकिन अब वह इन्क्वायरी भी रोक दी गई है पौड़ी के अन्दर और उसका नतीजा यह हुआ है कि वहां की सारी जनता में, कांग्रेस आर0 के पदाधिकारियों तक ने चिट्ठियां भेजी हैं, वह भी दौड़ धूप कर रहे हैं । वहां यह एक अभूतपूर्व घटना हुई है । अनशन, हड़ताल, प्रदर्शन होते ह सब जगह लेकिन वहां पर तो सब लोगों ने स्तीफा दे दिया है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करुंगा, कि आज गढ़वाल कमिश्नर लखनऊ में, आई हुई हैं उनसे बातचीत करके इस मामले को निबटा दें ताकि ऐसी स्थिति नहो जैसी पिथौरा-गढ़ में हुई है । हमने उन को समझाने के लिये कहा लेकिन वहां अधिकारी वर्सेज प्रेस्टीज का क्वेशचन बना रखा है । वहां के सारे जन समाज में एक असंतोष व्याप्त है । पौड़ी वहां का हेड क्वार्टर है वहां के तमाम कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है वह मैं यहां कहना नहीं चाहता .....

श्री अध्यक्ष--

आप मंत्री जी के पास जाकर यह कहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मैं कह रहा था कि आज कमिश्नर, गढ़वाल आई हुई हैं, उनसे मुख्य मंत्री जी बुलाकर पूंछ लें और स्थिति को साफ करा लें और हमें बता दें....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह करे देते हैं कि जांच करके कार्यवाही मंत्री जी करें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जो मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी रोक दी गयी है उसको जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष--

वह सब आप उनसे कहिये। अब दो दिन रह गये उसमें क्या यहां होगा ?

एक यह दूसरा श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री वंशीधर पांडेय, श्री राम बिलास पांडेय व श्री महातम तिवारी का बांदा तथा बहराइच जिले में हरिजनों पर अत्याचार के विषय में हैं। जिलाधिकारी बहराइच ने उन को पट्टा देने को कहा लेकिन बाद में बेदखल कर दिया।

यह एक महत्व का विषय है, इस पर माननीय मंत्री जी विचार करके उचित कार्यवाही करेंगे।

एक यह दूसरा श्री रामगोपाल संड, श्री बंशीधर पांडेय और श्री राम बिलास पांडेय का है प्रदेश के शहरों के बाजारों में डालडा वनस्पति का अभाव के बारे में। इसके विषय में जहांतक मुझे मालूम हुआ है.....

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, सरकार की ओर से विज्ञप्ति निकली थी कि शादी के लिये वनस्पति दिया जायगा, अब शादी शुरू हो गई है लेकिन डालडे के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी शादियों के लिये डालडा अलाट नहीं करते। आज बाजार में दस रुपया किलो डालडा बिक रहा है, इलाहाबाद के अन्दर जो टीन डालडे का 109 का है वह 155 और 170 रुपये तक बिक रहा है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी सदन में घोषणा करें कि चूंकि अब शादियां शुरू हो गई हैं....

श्री अध्यक्ष--

11 तारीख को उनसे इसका उत्तर लीजिये।

श्री रामगोपाल संड--

इसकी वजह से शादियां रुक गई हैं।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। आप मुख्य मन्त्री से मिलकर ऐक्शन कराइये।

एक दूसरा विषय यह है कि माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री मोहन लाल कपूर और श्री हिम्मत सिंह का है कि प्रदेश में डीजल आयल, मिट्टी का तेल, गेहूं और तेल आदि के अभाव के विषय में। इसको भी 11 की बहस में ले लिया जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमें ऐसी स्थिति में डाले कि हमारे अधिकार छीनें, हम शांतिप्रिय ढंग से एक आवश्यक सवाल को उठायें और आप उस की भी इजाजत न दें। यह महत्वपूर्ण मामला है, आपने कहा कि एक एक चीज को लें तो आज स्थिति यह है कि जीवनोपयोगी वस्तुएं बाजार से गायब हैं और बेहद ऊंचे दाम पर ब्लेक में बिक रही हैं। आप इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करें और हमें सही स्थिति सरकार के सामने रखने का अवसर दें। स्थिति यहां भी नागपुर और महाराष्ट्र की सी है, यहां भी फूड रायट्स हो सकते हैं। आज कई जीवनोपयोगी वस्तु जनता को नहीं मिल रही है, मिट्टी का तेल, डीजल, डालडा कोई चीज नहीं मिलती है। सिंचाई तक के लिये डीजल का अभाव है, बिजली का अभाव है, हर चीज का अभाव है, हर पदार्थ का उत्पादन कम हो गया है। आप से प्रार्थना है कि जनता की कठिनाई और पूरे उत्पादन के ठप्प होने की स्थिति को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करके आप इस पर बहस की हमें इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—

महत्वपूर्ण अवश्य है लेकिन इसे आप 11 तारीख को ले लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, 11 तारीख को तो आप खाद्यान्नों के बारे में ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसके दौरान आप और चीजें भी शामिल कर लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उस दिन तो विशेषरूप से फूड सिचुएशन के बारे में बहस होगी।

श्री अध्यक्ष—

कहते हैं कि खाद्यान्न के बारे में यह तय कर लिया है कि खाद्यान्न इस प्रकार से दें। न हमको मिट्टी का तेल मिलता है न डालडा मिलता है, न शूगर मिलता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं तो कहता हूं कि न हमको बिजली मिलती है, न डीजल मिलता है जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है। राशन जनता को नहीं मिल रहा है, 2-2 दिन लोग क्यू में खड़े रहते हैं। बिजली के कनेक्शन समय समय पर काट दिये जाते हैं। तो यह इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप ले लें। मैं तो समझता हूं कि इससे बढ़कर और महत्वपूर्ण और क्या विषय हो सकता है। और यदि आप नहीं लेते हैं तो हम 2 मिनट को सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

अब एक प्रश्न माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी आदि का है जिसमें उन्होंने वेतन आयोग में खंड विकास अधिकारियों के प्रति बरते गये भेदभाव के बारे में कहा है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि वेतन आयोग के बारे में जितने भी प्रश्न हों वे सब इकट्ठे ही लिये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा प्रश्न माननीय हुकुम सिंह परिहार, माननीय तेजभान सिंह आदि का है जिसमें उन्होंने प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों द्वारा संगठित संस्था के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा संस्था के सदस्यों को आतंकित करने के प्रयास के बारे में कहा है। इसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, बाजार में डालडा नहीं मिल रहा है।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

मान्यवर, नियम 56 में मैंने भी एक सूचना दी है, उसका क्या हुआ है?

श्री अध्यक्ष---

उसे एलाउ नहीं किया है। सरकार का कहना है कि कानपुर में फेयर प्राइस शौप्स से ये बंटवायेंगे।

श्री मनोहरलाल---

मान्यवर, वहां के लोग परमिट लिये हुए हैं, डालडा लोगों को नहीं मिल रहा है। आपने हमारे काम रोको प्रस्ताव पर क्या किया है ?

प्रदेश के गन्ना कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग राज्यमन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

गन्ना कर्मचारी संघ ने अपनी निम्नलिखित मांगों की पूर्ति हेतु दिनांक 5-4-73 को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 12-4-73 को मांगों की पूर्ति हेतु 23-4-73 से भूख हड़ताल नोटिस दी। गन्ना कर्मचारी संघ, सहारनपुर जो समिति भोगी कर्मचारियों की संस्था है के कुछ सदस्यों ने दिनांक 23-4-73 को प्रतिनिधान (रिले) भूख हड़ताल प्रारम्भ की और उसे 26-4-73 को समाप्त कर दिया।

मांगें

(1 तथा 3) प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों का वेतन तथा महंगाई भत्ता राजकीय कर्मचारियों के समान किया जाय।

(2) गन्ना संघ एवं समिति भोगी कर्मचारियों की सेवा नियमावली को तत्काल लागू किया जाय।

(4) समिति में कार्य करने वाले सीजनल कर्मचारियों को चीनी मिलों के कर्मचारियों की भांति स्थायी घोषित किया जाय और सीजन समाप्ति के बाद जब तक वह पुनः सीजन में न रक्खें जाय तब तक आधा वेतन महंगाई सहित निर्वाह हेतु दिया जाय।

उपर्युक्त क्रमांक 1 तथा 3 की मांग के सम्बन्ध में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि वेतन वृद्धि सम्बन्धी मुख्य मांग को पूरा करने के लिये .....

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। इसलिये मैं भी 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं। (श्री मनोहर लाल सदन त्याग कर चले गये)

(इस समय 1 बज कर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

साठ लाख रुपये जुटाने होंगे और यह किस प्रकार है, कैसे व कितना हो सकता है इसमें 15 जून, 1973 तक का समय लगेगा गन्ना कर्मचारी संघ ने इस आश्वासन पर अपनी भूख हड़ताल 26-4-73 को समाप्त कर दी ।

(2) गन्ना संघ एवं समिति भोगी कर्मचारियों की सेवा नियमावली गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 5-1059, दिनांक मई 9, 1972 द्वारा शासन को प्रस्तुत की जा चुकी है । अतएव यह तत्काल तभी लागू हो सकेगी जब शासन से अनुमोदित होकर गजट में प्रकाशित हो जाय । कोआपरेटिव सोसायटी ऐक्ट की धारा 122 के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त ने जो नया सर्विस रूल्स शासन की स्वीकृति हेतु भेजा है वह शासन के अभी विचाराधीन है । विशेष सचिव, श्रम की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 1972 को हुई मीटिंग में श्री काशीनाथ पाण्डेय ने यह अनुरोध किया था कि इस रूल्स को अन्तिम रूप देने से पहले उसमें किये गये प्राविधानों पर उनकी राय भी जान ली जाय । उक्त मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त रूल्स की एक प्रतिलिपि उन्हें भेज दी जाये और उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर शासन द्वारा पूर्ण रूप से विचार कर सर्विस रूल्स को अन्तिम रूप दिया जाय । तद्नुसार गन्ना आयुक्त को लिखा गया है कि वह उक्त रूल्स की एक प्रति श्री काशीनाथ पाण्डेय प्रधान मन्त्री इंडियन नेशनल शूगर मिल्स फेडरेशन, 19 लाजपतराय मार्ग लखनऊ को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें ।

(3) गन्ना विकास विभाग ने नियमावली का परीक्षण, करके उसे श्रम विभाग के परामर्श के लिये भेजा था । श्रम विभाग ने जोर दिया है कि पहले श्री पाण्डेय को आलेख्य नियमावली भेज कर उनके विचार प्राप्त कर लिये जावें तभी वह अपनी राय देंगे । यह मामला यहीं पर रुका हुआ है ।

(4) गन्ना संघ को सुझाव दिया गया है कि 5 सीजनों में लगातार अच्छा कार्य करने वाले सीजनल कर्मचारियों को सीजनल स्थाई किया जाय और यह भी सुझाव दिया गया है कि सीजनल कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची के अनुसार गन्ना समितियों में भविष्य में रिक्त स्थाई पदों पर उनमें से नियुक्त किये जाने पर विचार करें ।

आशा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ की कार्यकारिणी समति निकट भविष्य में उक्त विषयों पर शीघ्र विचार करेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं अंग्रेजी से केवल तीन प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा । पहला तो उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते का है । उसमें यह जानना चाहता हूं कि जब तक आप रुपये की व्यवस्था कर देंगे, तब-तक क्या आप सिद्धांतरूप से स्वीकार करते हैं कि उनको राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाय ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मान्यवर, समान काम करने वालों को समान वेतन मिलना ही चाहिये । लेकिन जो रुपया व्यय होने वाला है । उसकी अपनी स्थिति के अनुसार काम होगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

गन्ना संघ और समिति भोगी कर्मचारियों की सेवा-नियमावली गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, द्वारा दिनांक 9 मई, 1972 को शासन को भेज दी गयी थी । मान्यवर, आज 9 मई, 1973 है । साल भर शासन में वह पड़ी रही । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी कितने और साल तक शासन में वह पड़ी रहेगी, तब जाकर नियमावली बनेगी ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर भाषण के और अंशों को देखते तो मालूम हो जाता कि श्रम विभाग ने लिखा है कि श्री काशी नाथ पांडेय की राय ले ली जाय। उनकी राय लने में ही बिलम्ब हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

गन्ना विभाग में दो तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक तो वे हैं, जो सीधे सरकार के मुलाजिम हैं और दूसरे इन समितियों द्वारा संघ के मुलाजिम हैं गन्ना सुपरवाइजर आप भी रखते हैं और इन्हें समितियां भी रखती हैं। कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि गन्ना सुपरवाइजर जो सरकार का है और जो समितियों का है, इन दोनों के वेतन में क्या फर्क है? जहां तक लिपिक हैं, उनके वेतन में क्या फर्क है और जो सीजनल लोग हैं तथा जो परमानेंट लोग हैं, उनके वेतन में क्या फर्क है इस पर प्रकाश डाल दें कृपया।

श्री यादवेंद्र सिंह—

गन्ना ग्राम सेवक सीजनल नहीं हैं। वे तो बराबर काम कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कह रहा था कि एक तरफ वहां कार्य करने वाले सरकार के मुलाजिम हैं और दूसरे उन समितियों के हैं। तो जो गन्ना सुपरवाइजर दोनों के हैं, उनके वेतन में क्या अन्तर है, इस पर प्रकाश डाल दें। उसके अलावा जो लिपिक हैं और कांटे पर काम करने वाले लोग हैं, उनमें जो सीजनल लोग हैं और जो परमानेंट हैं, उनके वेतन में क्या फर्क है?

श्री यादवेंद्र सिंह—

इसमें सूचना की आवश्यकता है। बाद में सूचित कर देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह आवश्यक था कि सरकार इसको श्री काशीनाथ पांडेय के पास सर्विस रूल्स के लिये भेजकर इसमें एक साल का बिलम्ब कर दे? क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि उनकी जो भी आख्या हो गयी हो, अब इस मसले को एक/दो महीनों में ही फाइनलाइज कराने की कृपा करेंगे?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मान्यवर, इस बात के लिये पूरा प्रयास किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मंत्री जी ने कहा कि काशीनाथ पांडेय के पास नियम भेजे गये। 9 मई, 72 को शासन में आये और 29 अगस्त को काशीनाथ पांडेय के पास भेजा और अभी तक काशीनाथ पांडेय को पहुंचा है या नहीं, खुदा जाने, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नियमावली काशीनाथ पांडेय जी के पास कौन सी तारीख को भेजी, क्या उनसे यह अनुरोध किया गया था कि फलां तारीख तक इसका उत्तर देंगे और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई समयबद्ध करेंगे जिस समय के अन्दर नियमावली को पास कर सकें?

श्री यादवेंद्र सिंह—

इसको समयबद्ध करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो आपने कहा है कि 5 सीजन में जो लगातार कार्य करेगा उनको सीजनल स्थायी घोषित कर दिया जायेगा, इसका मतलब यह है कि 5 सीजन-5 साल। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि क्या वह इसमें कुछ थोड़ी सी ढिलाई बरतने की कृपा करेंगे कि जो सीजन में अच्छा काम करेगा उसको स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

आप अपने सुझाव भेज दीजिये, विचार कर लिया जायेगा।

प्रदेश की 33 आटा मिलों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं न मिलने के कारण लगभग 5000 मजदूरों के बेकार होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग राज्य मंत्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। शासन स्वतः इस समस्या के प्रति सजग है और बावजूद इसके कि गत मई महीने से भारत सरकार ने राज्य सरकार के कोटा में भारी कटौती कर दी है शासन रोलर मिलों को इस कोटा का लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक आटा तथा अन्य गेहूं उत्पाद बनाने हेतु आवंटित कर रही है।

2—प्रदेश में इस समय 33 लाइसेंस प्राप्त रोलर फ्लोर मिल्स हैं जिनकी मासिक क्षमता (3 शिफ्ट की) लगभग 88 हजार टन है। इन 33 मिलों में से दो मिलें मूलचन्द श्याम लाल फ्लोर मिल, आगरा तथा रावलपिंडी फ्लोर मिल्स, मुरादाबाद, जिसकी मासिक क्षमता क्रमशः 4064 तथा 4050 टन प्रति माह है, प्रतिरक्षा के लिये पिसाई करती है बरेली की एक मिल शंकर फ्लोर तथा दाल मिल्स, बरेली में भागीदारों के बीच झगड़े के कारण बन्द पड़ी है। इसकी क्षमता 1164 टन प्रति माह है इस प्रकार से कुल 30 मिलें जिनकी क्षमता लगभग 8,000 टन 3 शिफ्ट की तथा लगभग 26,000 टन एक शिफ्ट की ही कार्य कर रही है।

3—इन मिलों को अगस्त, 1972 तक उनके द्वारा सूचित की गयी मात्रा के अनुसार पूर्ण आवंटन दिया गया। सितम्बर 1972 से भारत सरकार ने प्रदेश के गेहूं का कोटा कम करना शुरू किया। इस माह में भारत सरकार से मांगी गयी मात्रा, आवंटित मात्रा तथा मिलों को दी गई मात्रा का विवरण निम्नलिखित है:—

(आंकड़े मेट्रिक टन में)

माह	भारत सरकार से मांगी गयी मात्रा	भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा	मिलों को आवंटित मात्रा
1	2	3	4
सितम्बर, 1972 ..	1,60,000	60,000	20,000
अक्तूबर, 1972 ..	1,60,000	75,000	25,947
नवम्बर, 1972 ..	1,60,000	60,000	26,780
दिसम्बर, 1972 ..	1,07,000	35,000	20,079
जनवरी, 1973 ..	87,000	35,000	20,079
फरवरी, 1973 ..	87,000	35,000	26,965
मार्च, 1973 ..	87,000	35,000	26,780
अप्रैल, 1973 ..	67,000	35,000	10,000
मई, 1973 ..	1,07,000	45,000	15,000

[श्री यादवेंद्र सिंह]

4--उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार आवंटित गेहूं की मात्रा में से रोलर फ्लोर मिलों को बराबर गेहूं दे रही है जिससे मजदूरों की छटनी न होने पावे तथा जनता और बेकरीज को आटा और मैदा मिलता रहे । बिजली की कटौती के कारण मिलों को पूरे तीन शिफ्ट चलने के लिये बिजली भी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल शासन की चेष्टा बराबर इस बात की रही है कि भारत सरकार द्वारा आंकड़े में भारी कटौती के बावजूद तथा सम्भव मिलों को एक शिफ्ट की क्षमता तक आवंटन प्राप्त होता रहे ।

आशा है कि भविष्य में गेहूं की खरीदारी में प्रगति के साथ साथ भारत सरकार से अधिक आवंटन प्राप्त हो सकेगा जिससे मिलों को भी उनकी एक शिफ्ट की क्षमता तक का पूरा गेहूं आवंटित किया जा सकेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि 26,700 टन तक आप मिलों को देते रहे तब भी बिजली की कटौती थी । उस समय यह छूट नहीं हुई थी । दस हजार टन आप दे रहे हैं और अब जब प्रश्न किया था तो 15 हजार टन कर दिया है और इस हालत में 5 हजार मजदूर बेकार हो गये । क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि आपके द्वारा गेहूं कम दिये जाने के कारण कोई छटनी नहीं होगी ?

श्री यादवेंद्र सिंह---

गेहूं की उपलब्धि के साथ-साथ यह प्रयास किया जायगा कि गेहूं की कमी के कारण छटनी न हो ।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

आटा मिलों के द्वारा जो आटा पीसा जाता है राशन की दुकानों के जरिये राशन कार्ड होल्डर्स को दिया जाता है । जो गेहूं आप मिलों को देते हैं वे आटा पीसते समय उसमें कूड़ा करकट मिला देते हैं और जब वह आटा राशन शाप्स से वितरित होता है कंज्यूमर्स को शिकायत रहती है । इसलिए आप आटा मिलों को गेहूं न देकर सीधे राशन की दुकानों से गेहूं का ही वितरण करायें ।

श्री यादवेंद्र सिंह---

यह प्रश्न तो मूल प्रश्न के विरोध में जा रहा है । ऐसी स्थिति में उन मजदूरों का क्या होगा ।

श्री मनोहर लाल---

राशन कार्ड होल्डर्स की लिखित शिकायतें हैं कि हमको आटा न चाहिये । हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या वह इस तरह का आश्वासन देंगे कि आटा मिलों को गेहूं न देकर राशन शाप्स से गेहूं ही उपभोक्ताओं को दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इस से संबंधित नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि मिलों को जो गेहूं दिया जाय तो उसकी वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गेहूं के बदले ठीक आटा मिले जिससे लोगों को शिकायत न रह जाय ?

श्री यादवेंद्र सिंह---

जी हां । इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे कि आटा ठीक तैयार करें ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अप्रैल में 10 हजार टन और मई में 15 हजार टन गेहूं मिलों को दिया जा रहा है । हमारे यहां मेरठ में पलावर मिल्स हैं, रामा पलावर मिल और कृष्णा पलावर मिल्स यह पूरी नहीं चल रही है । भारत सरकार से आपको 45 हजार टन मिला । आप क्यों कम दे रहे हैं ? क्या इस मात्रा को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

अगर आप आंकड़ों को देखें तो जिस प्रोपोर्शन में गेहूं मिला उसको देखते हुए हमने ज्यादा ही दिया है जिससे मजदूर बेकार न होने पायें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

दूसरी एक और समस्या है । राशन की दुकानों पर जो आटा दिया जा रहा है वह कम पहुंच रहा है और मैदा भी कम पहुंच रहा है जिससे डबल रोटी मारकेट से गायब है । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी मात्रा बढ़ाने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

यह बात तो बयान के अंतिम अंश में हमने स्वयं कही है कि भविष्य में गेहूं की उपलब्धि की प्रगति के साथ-साथ अधिक मात्रा दी जावेगी । इससे यह साफ हो गया कि हमारी नीयत है कि हम यह कार्य करेंगे ।

श्री मनोहर लाल—

क्या मंत्री जी को पता है कि कानपुर के आटा के मिल के बारे में वहां के कर्मचारियों को शिकायत है कि उसका मालिक आटा में बहुत अधिक मिलावट कर रहा है ? इस पर जांच की गई और लाइसेंस ससपेंड हो गया । तो मंत्री जी क्या इस सदन में आश्वासन देंगे कि जो आटा राशन की दुकानों से दिया जा रहा है उसमें मिलावट नहीं होगी ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

हर संभव उपाय किया जावेगा कि आटा शुद्ध और पर्याप्त लोगों को मिल सके ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973

बन मंत्री (श्री अजित प्रताप सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 212–213 पर)

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 26–नियोजन तथा समन्वय

*नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–नियोजन तथा समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,56,96,500 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब (2) बाद में लिया जायेगा। दोनों बातें हो सकती हैं जिसे आप चाहें कर दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अलग-अलग तय हुये थे। आधा आधा दिन हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, बाद में ढाई बजे से सूचना को लिया जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, नियोजन और समन्वय विभाग के अन्तर्गत हमारा सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आता है और प्लानिंग रिसर्च एण्ड ऐक्शन इन्सटीट्यूट भी आता है। इसका उद्देश्य जनता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति करना है। इससे जीवन में उत्थान और विकास के कार्यक्रम के अवसर देना, कृषि विकास के अवसर देना आते हैं। इस प्रकार ग्रामीण जीवन के उत्थान सम्बन्धी सभी कार्यक्रम इसमें आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, निजी लघु सिंचाई पशुपालन, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण योजना की द्रुत योजना, पंचायत राज वगैरह का कार्यक्रम—ये सारी विकास खंडों के माध्यम से आती हैं और इनका सारा बजट जो मैंने प्रस्तुत किया है इसमें इसका समावेश है। इसी तरह से हमारा प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट है जो इसका वह भाग है जिसके अब तक 6 प्रभाग थे और इसकी 1954 में स्थापना की गयी थी। विकास योजनाओं के पहले आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु ऐसे तरीके ढूंढना जिन से समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि हमारी अग्रगामी योजनाओं के द्वारा और कार्य-प्रणालियों के द्वारा ऐसी खोजें और परीक्षायें हों जिनसे हम जनता को वह सामग्री जुटा सकें जिनसे उनका परिचालन हो सके। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया और उपरोक्त बजट में उन सबका समावेश है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रथम वे अपने सुझाव दे दें, बाद में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या 26 के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय, यह कटौती का प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करता हूं। मैंने इस बजट को पेश किये जाते समय एक चीज देखी कि इस बजट को राज्य शिक्षा मंत्री जी पेश करने वाले थे, उन्होंने एक पर्ची दी विकास मंत्री जी को कि वे पेश करें, लेकिन तब तक राज्य नियोजन मंत्री जी आ गये। उन्होंने कहा कि मैं कह दूंगा। तो यह एक ऐसा विभाग है जिसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे सम्बन्ध है, सभी विभागों से संबंध है, लेकिन अभी यही सरकार के अन्दर पता नहीं है कि इसको कौन पेश करेगा, किस ढंग से करेगा––यह भी ज्ञान नहीं है।

तो जहां तक आज का बजट है यह करीबन 29 करोड़ 70 लाख 86 हजार का बजट है और गत वर्ष यह 24 करोड़ 26 लाख 6 हजार का था। इसमें आधे से ज्यादा बजट, बल्कि 85 प्रतिशत बजट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह में लगेगा। ये कहते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए बजट है। मेरी समझ में नहीं आया कि कहां है ग्रामीण विकास। खाली द्रुत योजनाओं की तरफ करीब 7 करोड़ रुपया और डेढ़ लाख के करीबन उन्होंने "अधिक अन्न उपजाओ" में रखा है। इसके अलावा बहुत कम मद लोगों की सहायता के लिए है। बाकी सारा बजट खाली विभाग के लिए है और विभागीय कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए है। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रखा गया है कि प्रमुखों को भत्ता वगैरह दिया जायगा तो उनको केवल आनरेरियम रखिये, अगर सही काम लेना है, भत्ता वगैरह की बात बिलकुल गलत है।

इस बजट में पर्वतीय विकास परिषद् के व्यय के लिये 42,300 रुपये रखे हैं। पिछले वर्ष 2–3 मीटिंगों के अलावा कोई और मीटिंग उस विकास परिषद् की नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आया कि इतना रुपया किस चीज पर खर्च हो गया। इसका मंत्री जी अपने उत्तर में जवाब दें।

जहां तक नियोजन का प्रश्न है, सन् 50 में यह बात तय हुई थी कि नियोजित ढंग से प्लानिंग किया जायेगा। मगर वह कुछ नहीं हुआ। गलत ढंग से नियोजन हुआ। मान्यवर, 14 जुलाई, 1952 को उस समय के डेवलपमेंट कमिश्नर का जो आल इंडिया रेडियो से भाषण हुआ था उसका एक अंश मैं पढ़ कर सुनाता हूं––" ....जैसा मैंने शुरू में कहा था इस प्रकार की योजनाओं का ध्येय एक तो जनता में अपने सुधार के प्रति उत्साह की जागृति पैदा करना है और दूसरा उन सुधारों में जनता का सहायक होना है। सदियों की गुलामी ने हमें यह भुला दिया है कि हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। भूख का उसे डर न हो।" अन्त में कहा है कि हम इसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट क्यों रख रहे हैं। पहले तो एग्रीकल्चरल विभाग था ही। लेकिन उसमें सब विभागों का समन्वय नहीं हुआ। इसलिये एक ऐसे विभाग को बनाया गया जिसमें सभी विभागों का समन्वय हो सके। इसलिये इस विभाग के बजट का संबंध सभी विभागों से है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आप देखें कि पहली और दूसरी योजनाओं में 382 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तीसरी योजना में 502 करोड़ और चौथी योजना में 1,046 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। इतना खर्च करने के बाद हमारी उपलब्धियां क्या हैं? उपलब्धियां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नियोजन विभाग की 1968 की यह पुस्तिका है। इसमें हमारी प्रति व्यक्ति आय को बताया गया है। पहली योजना में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 259.62 रुपये थी, जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 247.50 रुपये थी। दूसरी योजना में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 310 रुपये हो गयी, जब कि हमारी आय 245.88 रह गयी। बिहार को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी। 1965–66 में इसमें और गिरावट आयी और वह 244.38 ही रह गयी। जब कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 315.30 थी। इस समय हमारी आय 354 रुपये के करीब है जो अखिल भारतीय स्तर से कहीं अधिक कम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हमारा प्रान्त जो आजादी के समय प्रति व्यक्ति औसत आय में अन्य सब प्रान्तों से आगे था आज बिहार के बाद सब प्रान्तों से गरीब हो गया है। तो इसका कारण क्या है? अगर पहली या दूसरी या तीसरी योजना के बाद जो हमारे योजना बनाने वाले हैं वह उन कारणों का सही विश्लेषण कर देते

[श्री इन्द्रमणि]

जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पायें हैं तो आगे की योजना सही होती । लेकिन इनके तरक्की के आंकड़े जैसे कार्बन कापी निकलती है बिलकुल उसी तरह निकाल दिये जाते हैं । पंचम पंच वर्षीय योजना भी जिसके बारे में इतना हल्ला हो रहा है बिलकुल कार्बन की प्रतिलिपि की तरह पेश कर रहे हैं । इस प्रान्त के पिछड़ेपन का सब से बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के तीन तीन प्रधान मंत्री रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश को उतना नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिये था । इनके आंकड़े इस बात के द्योतक है कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले उत्तर प्रदेश को केन्द्र से जितना धन मिलना चाहिये था वह नहीं मिला । प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 24 रुपये खर्च हुये जबकि समस्त भारत में 40 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुये । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को 14 रुपये मिली जबकि समस्त भारत का औसत 25 रुपये था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 34 रुपये प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में खर्च हुये जबकि समस्त भारत में 52 रुपये खर्च हुये और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 18 रुपये उत्तर प्रदेश में मिली जब कि भारत का औसत 27 रुपये था । तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति व्यय उत्तर प्रदेश में 72 रुपये हुआ जबकि समस्त भारत में 92 रुपये हुआ और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को 46 रुपये मिली जबकि अन्य राज्यों का औसत 58 रुपये है । इस प्रकार हम देखेंगे कि हमको केन्द्र से जितनी सहायता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली । इतना ही नहीं, अन्य मदों में भी उत्तर प्रदेश को केन्द्र से कम सहायता मिली । राज्य की विशेष समस्यायें तथा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी पहली योजना के दौरान, प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को बहुत ही कम रही । इसी प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं में लिखा है कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता कुल विनियोजन की केवल 4.1 प्रतिशत थी ।

दूसरा कारण इस प्रदेश के पिछड़ेपन का यह है कि जो भी थोड़ी बहुत सहायता हमको केन्द्र से मिली उसको हम सही ढंग से खर्च नहीं कर सके । हमें जो सहायता मिली उसकी क्या हालत रही वह मैं आपको बताना चाहता हूं । यह जो मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान का प्रतिवेदन है उसके पेज 11 पर पूरे राज्य के आयोजनागत परियोजनाओं के बजट प्राविधान एवं वास्तविक व्यय के जो आंकडे दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं:--

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल आय-व्ययक प्राविधान	वास्तविक व्यय
1966-67	164.54	150.95
1967-68	157.48	151.23
1968-69	162.03	149.36
1969-70	169.48	173.68
1970-71	187.96	214.74

इस प्रकार श्रीमन्, यह हमको मिलता है कि जो धन हमें प्राप्त भी हुआ सेन्टर से उससे करीब 30 करोड़ रुपये कम हो हम खर्च कर पाये हैं यानी जो हमें मिला भी उसमें से भी हम खर्च नहीं कर सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त है ।

श्री इन्द्रमणि––

श्रीमन्, जो जरूरी जरूरी बातें है वह तो मैं कह लूं । यह बड़े दुख की बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसके ऊपर सारे प्रदेश का नियोजन आधारित है उस पर केवल आधा दिन ही विवाद के लिये रखा गया है । फिर भी मैं, अपनी जरूरी बातें कहता हूं ।

मैं कह रहा था कि जो हमें मिला भी उसमें से खर्च नहीं कर सके । और जो, खर्च भी हुआ वह किस ढंग से हुआ है । उसके लिये मैं एकाध उदाहरण देना चाहता हूं । किस ढंग से इस प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, समय कम है इसलिये मैं केवल अपने जिले का एक उदाहरण रखूंगा । यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की 1970 की है, इसके पृष्ठ 78 पर अनुपयुक्त स्थलों पर क्वार्टरों का निर्माण, के अन्तर्गत कहा गया है कि मई 1963 में टेहरी में सीमा निर्माण-कार्य डिवीजन के लिये 1.60 लाख रुपयों की लागत से 14 रिहायशी क्वार्टरों और कार्यालय भवनों का निर्माण किया गया । जून, 1966 में डिवीजन के समाप्त किये जाने पर सितम्बर, 1966 में इन इमारतों को प्रान्तीय डिवीजन, टेहरी को अन्तरित कर दिया गया ।

इनमें से बारह क्वार्टरों (लागत 0.82 लाख रुपये) को उसके निर्माण हो जाने की तारीख से ही रहने के लिये इसलिये उपयोग में नहीं लाया गया क्योंकि यह स्थान कार्यालय बाजार से बहुत दूर था ।

और जब कार्यालय बाजार से बहुत दूर था तो क्वार्टर क्यों बनाये गये और जब यह पूछा गया तब सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया कि यहां पर जंगली जानवरों का भय था और इसके लिये सितम्बर, 1966 से जून, 1969 की अवधि के दौरान इन खाली क्वार्टरों के लिये एक चौकीदार रखा गया जिसके वेतन और भत्तों पर 2,550 रुपये व्यय किये गये । मैं जानना चाहता हूं कि वह चौकीदार वहां अकेला कैसे रहा जब वहां जंगली जानवरों का भय था ।

इसी तरह का एक और उदाहरण है । इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 124 पर 'खरीद' शीर्षक में सड़क रोलरों के लिये फालतू पुर्जे की खरीद की बात कही गयी है कि वर्ष 1962 और 1966 के बीच अस्थायी विद्युत और यांत्रिक प्रभाग सीमा निर्माण-कार्य, लखनऊ के कार्यपालक इन्जीनियर द्वारा खरीदे गये सड़क रोलरों के फालतू पुर्जे (मूल्य 6.90 लाख रुपये) बिना इस्तेमाल किये पड़े हैं (जुलाई, 1969) से लेकिन श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊंगा कि सन् 66 में दोबारा वही पुर्जे फिर खरीदे गये जिन पर 64 में और 65 में एतराज किया गया था और इसी तरह से बेकार की चीजें बार-बार खरीदी जाती हैं । इस प्रकार के उदाहरण मेरे सामने बहुत हैं । लेकिन समय न होने के कारण ये ही उदाहरण रखता हूं ।

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में जितनी महंगाई है उतनी कभी नहीं रही । हमारे प्रान्त में प्रति व्यक्ति पर आज 150 रुपये बाहर का ऋण है और अगर इसमें देश का ऋण जो उसके ऊपर है उसको भी लगा दिया जाय तो 350 रुपय प्रति व्यक्ति आता है । जब अंग्रेज यहां से गय थे तो भारत का 13 सौ करोड़ रुपये विदेशी बैंकों में लगा हुआ था लेकिन आज यह स्थिति है कि हम पर 7027 करोड रुपये विदेशों का ऋण है और 15055 करोड़ रुपय इस देश का ऋण है जो हम लोगों को देना पड़ेगा । उन लोगों ने कभी देखा नहीं कि किस ढंग से होना चाहिए ।

हमारा एक निवेदन है उपाध्यक्ष जी आपसे कि पंचम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने से पहल आप इस विधान सभा में उसके लिए समय दीजिय । प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय प्रकट करे तब जाकर योजना बनायी जाय । एक निवेदन और है । इस विधान सभा की एक नियोजन समिति होनी चाहिए जैसा हाउस स्टैंडिंग कमटी है । उसमें जो भी नियोजन सम्बन्धी काम हों उस समिति में जाय ।

[श्री इन्द्रमणि]

क्यों हुआ ऐसा ? असल में हमारे इकानामिस्ट और हम सब लोग नकलची हैं। हमने पश्चिम की नकल करना चाही। हमारे अर्थ शास्त्रियों ने सब नकल सामने रख दी कि अगर इस देश का विकास इस ढंग से होगा तो यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। गांधी जी के दर्शन को बिलकुल एक तरफ रख दिया। हमने कहा कि गांधी जी का दर्शन गांधी जी के साथ चला गया आम आदमी के साथ लागू नहीं होगा। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री से स्वतन्त्र भारत की भेंट वार्ता हुई। उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारे विशेषज्ञ किसी योजना का जब तक बड़ा रूप उनके सामने आता है तो उसी तरफ जाते हैं छोटे रूप की तरफ उनको ले जाइये तो वह उसको देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि यदि बेरोजगारी और गरीबी दूर करनी है कि उत्पादन छोटे-छोटे केन्द्रों में बांट देना चाहिए।

गांधी जी ने चर्खे का सिम्बल दिया था। छोटी-छोटी योजनाओं की उन्होंने बात की थी। उसको हम भूल गये हैं। स्वयं नेहरू जी ने 1963 में एक स्पीच दी थी पार्लियामेंट में जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास दूसरा तरीका नहीं रह गया है सिवा इसके कि हम गांधी जी के मुताबिक चलें। हमारा देश इतना विस्तृत है। 53 करोड़ आदमियों में हर आदमी को काम चाहिए। जितनी बड़ी-बड़ी मशीनें लगाएंगे उतनी ज्यादा बेकारी होगी।

इसके साथ-साथ श्रीमन्, एक बात और कह देना चाहता हूं। इस विभाग के जो बी0 डी0 ओज0 और बी0एल0 डब्ल्यूज, ग्राम सेवकों का यहां पर सम्मेलन हुआ और बी0 डी0 ओज0 का भी सम्मेलन हुआ। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। प्रत्येक विभाग जैसे कृषि विभाग अपना अलग अलग काम करना चाहता है। हार्टिकल्चर वालों का अलग है ही। 1952 का आपको सुनाया है। जो सामुदायिक विकास योजना है उसको उसी रूप में रखें। सब विभाग को इसके अन्दर आना चाहिये तब जाकर काम आगे बढ़ेगा। समय की कमी है।

दिल्ली के आर्थिक विकास संस्थान के डा0 पूरनचन्द्र जोशी ने 'द कल्चरल डाइमेंशंस आफ इकानामिक डेवलपमेंट' नाम से एक शोधपत्र तैयार किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि "हमारे यहां आया राम गया राम के दौर के बाद गरीबी हटाओ का जो दौर आया वह एक नयी सांस्कृतिक चेतना का संकेत देता था। गरीबी हटाओ का नारा एक व्यापक आन्दोलन को जन्म दे सकता था लेकिन अभी तक वह नेतृवर्ग के लिए वोट खींचने का नुस्खा मात्र बना हुआ है। गरीबी हटाओ का नारा तभी सार्थक हो सकता है जब नेतृवर्ग पर जीवसंस्कृति पर प्रहार करे और राजनीति को आर्थिक लाभ का माध्यम बनाने से बाज आये। इसके लिए यही काफी नहीं होगा कि नेतागण व्यक्तिगत जीवन में गांधीवादी बाना अपनाएं बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उस समूची शिक्षा-व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता, उपभोक्ता संस्कृति और सम्पदा व्यवस्था को बदला जाय और सामाजिक व्यवस्था दोनों को परजीवीपन से मुक्त रखने का व्रत लिया था, यही व्रत हमें लेकर चलना होगा तभी हम एक नया समाज बन सकेगा। आर्थिक विकास और नैतिक उत्थान को परस्पर जोड़ना भी आवश्यक है।" मैं मंत्री जी को बता दूं कि आपके देश के इकानमिस्ट भी इस बात पर आ गये हैं अगर इस मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं तो जिस गांधी जी के रास्ते को आपने 25 साल से छोड़ रखा है उस रास्ते को अपनाइये। उस रास्ते के अपनाने में सबसे पहले चरित्र की बात है तभी आपका काम आगे बढ़ सकेगा।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन जो मामला इस वक्त डिस्कशन में आया उससे मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक है। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं अगर भारत की तरक्की को शहरों की तरक्की से, बड़ी-बड़ी फैक्टरीज की तरक्की से आंका जाय तो देखने वालों की समझ में यह बात आ सकती है कि भारत की बहुत तरक्की हुई। लेकिन यह तरक्की तभी समझ में आ सकती है और उनके दिमागो पर उस तरक्की का असर हो सकता है जिसमें गांव की

तरक्की हो। गांव की तरक्की का जरिया ये लोग हैं बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० तथा ग्राम सेवक। इनसे गांव में हर किस्म का काम लिया जाता है। ये एग्रिकल्चर, कोआपरेटिव, विलेज डेवलपमेंट सभी कामों में दिलचस्पी लेते हैं और उनसे उम्मीद यह की जाती है कि हाईजीन के काम में भी वे दिलचस्पी लें। हर काम गांव में उनके सर जाता है लेकिन उसका क्रेडिट कभी उनको नहीं मिलता। जब रिपोर्ट आती है एग्रीकल्चर, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की उसमें क्रेडिट वह विभाग लेते हैं कि उन्होंने यह सब किया लेकिन वाक्या यह है कि उनके पास कोई आदमी नहीं है जो गांव तक पहुंच सके और असल में बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० तथा विलेज डेवलपमेंट यूनिट्स हैं उनके जरिये से काम होता है और वे इस बात से असन्तुष्ट रहते हैं कि उनको अपने काम का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता और क्रेडिट विभागों को क्यों जाता है जिनका वह काम करते हैं ?

बहुत दिनों से उनकी मांग है कि उनका एक सेपरेट डायरेक्टोरेट हो। सन् 61 में सरकार का एक जी० ओ० भी इश्यू हुआ था बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० तथा ग्राम सेवकों को तरक्की देने के सम्बन्ध में लेकिन उसका निफाज नहीं हुआ। मेरी मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि उनका एक सेपरेट डायरेक्टोरेट कायम कर दिया जाय ताकि उनको महसूस हो कि उन्होंने गांव की सेवा की है। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि मुख्तलिफ विभागों के लोगों को मैंने देखा है। कुछ विभाग केवल रिप्रेशन की मशीन बन कर रह गये हैं। जब आपको सप्रेस करना होता है तो आप पुलिस मजिस्ट्रेट तथा जिलाधीश को इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब जनता की खिदमत करने का सवाल होता है तो आप बी० डी० ओज०, ए० डी० ओज० तथा ग्राम सेवकों को इस्तेमाल करते है लेकिन उनको प्रोटेक्शन कोई नहीं है। हमारे जिले में एक वाक्या हुआ था। एक बी० डी० ओ० को उसके आफिस में उसी क सबार्डिनेट्स के सामने सैकड़ों गालियां दी गईं। मैंने डी० एम० से कहा कि अगर आपके आफिसर्स के साथ इस तरह का बर्त्ताव होता है तो गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे काम कर सकती है ? इसलिये उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वैसे बहुत होशियार हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही एक वाक्या बाराबंकी का है कि एक बी० डी० ओ० को पुलिस वालों ने मारा। तो मतलब यह है कि काम करने वालों को आज प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। उनकी सेलरी का भी सवाल है। कोई वजह नहीं है कि अगर आप दूसरों की सेलेरी का रिवीजन करें और जो छोटे कर्मचारी हैं, जो गांवों की सेवा करते हैं, जिनकी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी नहीं है, उनकी सेलेरी रिवाइज न की जाय। अभी दो रोज हुये, ग्राम सेवकों की एक मीटिंग हुई थी जिसको कि मैंने प्रिसाइड किया था। उन्होंने जो कम्प्लेन्ट्स की उनमें सब से बड़ी यह थी कि उनकी सेलेरी बहुत कम है। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि जिस प्रकार से अन्य मामले एनामाली कमेटी के सामने रखे गये हैं उसी तरह से इनका मामला भी उसके सामने भेज दें। मुमकिन है वे इनकी सेलेरी रिवाइज कर दें। इन अल्फाज के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और डाइरेक्टोरेट बनाने का जो सुझाव मैंने दिया है, उसके सम्बन्ध में मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे क्योंकि उनकी यह बहुत पुरानी मांग है, वह पूरी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

5–5 मिनट का समय ही सब लोग लें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जैसा कि हम लोगों के प्रस्ताव से ही विदित है कि जो सरकार की नीति है उसी की आलोचना हम करेंगे। श्रीमन्, आज जो हमारी नियोजन की नीति है, वह इतनी बिगड़ी हुई है और उसी का यह कुफल हुआ है कि महंगाई है, अकाल है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और विषमता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

देश में आज जो शासन में विषमता फैली हुई है उसका एक ही कारण है कि हमारे नियोजन की गलत पद्धति है। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद नियोजनकर्ताओं ने देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नियोजन का सीधा मतलब यह होता है कि देश के साधनों को समयबद्ध, कार्यक्रमबद्ध तथा सुनियोजित ढंग से संचालित और नियोजित किया जाय। देश के साधन कौन हैं? पहला भूमि है, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। श्रीमन्, हमारे देश में भूमि सीमित है। इस भूमि को अगर नियोजित तरीके से इस्तेमाल किया गया होता तो हमारे देश की भूमि का उत्पादन उसी रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था जिस प्रकार से आज जापान तथा अन्य देशों की भूमि का उत्पादन है। हमारी भूमि का अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए था, वह नहीं हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन में कमी हो रही है। हमारा मूल आधार अर्थ व्यवस्था है। कृषि के क्षेत्र म हम पिछड़े हुये हैं। उसका एक मात्र कारण यह है कि हमने कृषि को प्राथमिकता नहीं दी। अन्यथा हिन्दुस्तान में ऐसी जमीन है, जो बंजर है, परती है, कृषि के काम म लाई जा सकती है लेकिन वह काम में नहीं लाई जाती है। यह सरकार के आंकड़ों से विदित हो जायेगा। फिर आप सोचते हैं कि जमीन के बाद नम्बर आता है खाद, बीज और पानी का पानी की व्यवस्था आप करते। मुझे दुख होता है कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी, 20, 25 या 35 सैकड़ा और किन्हीं किन्हीं राज्य में तो 1/5 और 1/3 भूमि को ही पानी दे पा रहे हैं सोचिये चीन की हालत। चीन आपके बाद स्वतंत्र हुआ। आज चीन की एक एकड़ भूमि भी ऐसी नहीं है जिसको पानी न मिल सकता हो और उसका उत्पादन बढ़ गया है। उसकी आबादी ज्यादा बढ़ गयी है लेकिन अकाल रूस में पड़ता है, चीन में अकाल नहीं पड़ता। ह्वांगहो नदी जो वहां के लिये अभिशाप थी वह आज चीन के लिये वरदान सिद्ध हुई है और उनके जरिये वहां पानी की खपत बहुत है।

जहां तक श्रम की बात है, हमारे यहां श्रम की बहुतायत है और इसीलिये गांधी जी कहते थे कि हमारे यहां जो काम होना चाहिये उसमें श्रम अधिक से अधिक लगना चाहिये। और इसीलिये उन्होंने छोटे-छोटे उद्योग धंधों पर और खास कर कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर बहुत बल दिया था। आपने क्या किया? आपने बड़े उद्योग धंधों को बढ़ाया। बड़े उद्योग धंधों में पूंजी ज्यादा लगती है और श्रम कम। आपके सोचने का तरीका क्या है? जब आपके पास श्रम अधिक है और पूंजी कम है तो आपके उत्पादन की पद्धति ऐसी होनी चाहिये थी जिसमें श्रम अधिक से अधिक खप सके और पूंजी कम लगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने बड़े-बड़े कारखाने लगाये जिसमें पूंजी तो अधिक लगी लेकिन श्रम कम खप सका। जब पूंजी अधिक लगेगी और आपके पास पूंजी नहीं है तो फिर आप उसके लिये हाथ पसारेंगे विदेशों के आगे। हमें यह देख कर लज्जा आती है कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी, जहां हम पहले साहूकार थे, और दूसरों को कर्ज देते थे वहां दूसरे देशों के ऋणी बन गये और आज हमारी राष्ट्रीय आमदनी का आधा भाग केवल विदेशों को सूद देने में चला जा रहा है।

आपने धर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 करोड़ रुपया खर्च करके अगर 5 बड़े कारखाने लगाये जायं तो केवल 500 आदमियों को काम दे सकते हैं और एक करोड़ रुपया छोटे छोटे कारखाने लगाने में खर्च करें तो 1,500 आदमियों को काम दे सकते हैं और अगर कृषि पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधों पर एक करोड़ रुपये खर्च करें तो 4,000 व्यक्तियों को कारोबार दे सकते हैं। आपके यहां की रिपोर्ट में यह चीज दी हुई है, फिर मसला क्या हुआ? मुझे तो हंसी आती है जब मन्त्री लोग कहते हैं कि हरिजन आयोग बन गया है। कितनी कमेटियां बनायीं इस सरकार ने लेकिन क्या उसके कान पर उन सारी रिपोर्टों का कोई असर है? आपने एक कमेटी बनायी और उसने अपनी राय दे दी। अगर उस ओर आपने ध्यान दिया होता तो आज हिन्दुस्तान से बेरोजगारी मिट गयी होती। आजादी के बाद आपकी जनसंख्या करीब 20 करोड़ से अधिक बढ़ी है और सारे उत्पादन के साधनों में आप अब तक केवल 20 लाख

आदमियों को काम दे पाये हैं। इससे अधिक को आप काम देने वाले भी नहीं हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इस बेरोजगारी को दूर करने का एक ही तरीका है जैसा कि गांधी जी का तरीका है और जिसे भारतीय क्रांतिदल भी कहता है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों को अपनाओ। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर प्रश्रय दे देंगे ताकि हमारे श्रम की ज्यादा से ज्यादा खपत हो सके।

हमारी जो पूंजी की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी लम्बी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिये। लेकिन हमारे नियोजनकर्त्ता, यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है ऐसे लोग हुए जिन्हें भीख मांगने की आदत पड़ी है। उन्होंने अपनी पूंजी से आगे निकल कर योजनायें बनाईं। एक बार मैं पढ़ रहा था कि रूस की चौथी पंचवर्षीय योजना में यह चर्चा होती है कि ग्रामीण और शहरी विषमता कैसे मिटाई जाय। श्रमिक और अश्रमिक लोगों की विषमता को कैसे मिटाया जाय। रूस में तो इसकी चर्चा होती है लेकिन हमारे देशका दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में विषमता ज्यादा है फिर भी हमारे नियोजन-कर्त्ता इस पर विचार करने की जरूरत नहीं समझते। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो विकास हुआ है वह सीमित रह गया है। आपने विकास का माध्यम लाखों रुपया खर्च करने का बनाया और आपको कोई योजना चलाने से पहले अच्छा भवन, अच्छी कार और ऐश इशरत का सारा सामान चाहिये। श्री अइयर रूस गये थे। जब वे लेनिनग्राड में उतरे तो ऐसा मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान का कोई देहाती स्टेशन है। अन्य देशों में पैसा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पर खर्च नहीं किया जाता है। लेकिन आपके यहां 60/70 प्रतिशत पैसा गैर उत्पादन के कामों पर खर्च किया जाता है। उत्पादन कार्यों पर पैसा कम खर्च किया जाता है। फिर विकास कहां से आ सकेगा।

आपकी योजनाओं के सफल होने का एक ही लक्ष्य है कि कितना पैसा किसी योजना पर खर्च होगा। लेकिन आप यह नहीं सोचते कि उस खर्चे से क्या मिलता है। यह सोचते नहीं हैं कि मनुष्य का निर्माण क्या हुआ, वस्त्र का निर्माण क्या हुआ इससे आपकी योजनायें नहीं आंकी जाती हैं बल्कि खर्चे के हिसाब से आपकी योजनायें आंकी जाती हैं। हम तो बजट पास कर देंगे और पैसा मिलेगा मार्च, 74 में। अगर इलेक्शन फरवरी में हुआ तो फरवरी में मिल जायगा। आप विभागों को पैसा जल्दी कार्य करने के लिये देंगे मैंने देखा है कि लोग रिश्तेदारों को नौकरियों में भर देते हैं या ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिनका विकास कार्यों में खर्च नहीं होता।

मानवता का विकास होना चाहिये। हिन्दुस्तान का मनुष्य गिर गया है। अधिकारियों के लिये कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ गरीब किसान की एक फाइल बिना घूस के आगे नहीं चलती। अगर किसी से कुछ कहा जाता है तो वह कह देते हैं कि मन्त्री जी को क्यों नहीं देखते, उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी को क्यों नहीं देखते हो, उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं देखते हो बात मानव विकास की कहां है? मनुष्य तो बिगड़ गया है, यह सब कुछ मानव को बिगाड़ने के लिये हुआ है, मानव बना कहां है? गांधी जी मानव विकास की ओर मनुष्य को बनाने की बात सोचते थे लेकिन दुख की बात है कि उन के मरने के बाद कोई नेता कांग्रेस में पैदा नहीं हुआ बल्कि उल्टे शासन के लिये, सत्ता हथियाने के लिये कुर्सी के लिये तमाम पैदा हो गये हैं। लाभ और लालच सर्वत्र पैदा हुआ है मानव में क्योंकि 56 करोड़ जनता के नैतिक स्तर को उठाने के लिये कुछ नहीं किया गया और सारी योजना आपकी बिगड़ी है इस ओर आप ध्यान दें।

श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सामुदायिक विकास विभाग की जिम्मेदारी है कि वह सारे विभागों का समन्वय करके योजनाओं को कार्यान्वित कराये, यह कार्य वह करता है और उससे प्रदेश के और देश के सभी क्षेत्रों में ऐसा विकास हो कि जिन चीजों की जहां पर आवश्यकता है, उन चीजों की वहां पर पूर्ति करायी जा सके। लेकिन इस विभाग में बावजूद मन्त्री जी की

[श्री महराम सिंह---]

कोशिश के, मन्त्री जी और राज्य मन्त्री जी इन सब बातों को स्वयं महसूस भी करते होंगे और पूरी चेष्टा भी करते हैं कि विभाग को शक्तिशाली बना कर प्रदेश की जनता के लिये उपयोगी बनाया जाय । लेकिन फिर भी स्थिति उन की आज नाजुक है । इस विभाग का बजट और विभागों से सब से, करीब करीब कम ही है । सारे प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी इस विभाग की ही है और इतनी जिम्मेदारी किसी अन्य विभाग की नहीं है । इस विभाग के बारे में पूछा जाय तो उसका कोई ऐसा सीधा सादा काम नहीं है जिसको कि प्रभावी बनाकर वह जनता के लिये कर सके । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज बहुत चर्चा चल रही है कि इस विभाग का एक निदेशालय अलग से हो, मैं भी चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय और एक अलग निदेशालय नियोजन का हो । यह विभाग एक ऐसा समन्वय का काम करे, चाहे कोई फैक्टरी लगती हो या कृषि क्षेत्र के किसी विकास का काम हो उस सब पर एक पूरी सतर्कता और निगरानी की जरूरत है क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है कि कहीं कोई फैक्टरी लगाई जाती है तो ऐसे क्षेत्र में लगा दी जाती है जहां पर पहले से बड़ा शहर होने के कारण फैक्टरियां लगी होती हैं और जहां पहले से भीड़भाड़ रहती है । अगर एक सीमेन्ट फैक्टरी लगी है तो वहीं पर खाद का भी कारखाना लगा दिया जाता है ।

कहा जाता है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है और तमाम तरह की आवास की और स्थान की दिक्कत हो रही है । जहां पर कारखानों की पहले से बहुतायत होती है वहीं पर नई फैक्टरी और लगा दी जाती है । इससे लेबर के मिलने और सामान और स्थान के मिलने में दिक्कत होती है और वह क्षेत्र नहीं पनप पाते जहां पर लेबर और स्थान बेकार पड़ा है जिन छोटे स्थानों पर फैक्टरीज की जरूरत है और लेबर खाली है या जहां रा मटीरियल है वहां पर यह कारखाने अधिक लगने चाहिये । जहां पर जिस चीज का उपयोग हो वहां पर फैक्टरी बननी चाहिये और अगर उपयोग न हो तो नहीं बननी चाहिये । फक्ट्रियों के लगाने के लिये रेलवे स्टेशन, सड़क, पास में दरिया, या छोटा मोटा कस्बा होना आवश्यक हो सकता है लेकिन और किसी प्रभाव के कारण किसी भी स्थान पर फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिये । हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें कृषि के विकास के लिये उन कारखानों को लगाना चाहिये जिनसे कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य पूरा किया जा सके । लेकिन आज यह नहीं होता है । मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि फर्रुखाबाद में श्रीमन्, आप भी जानते हैं और हमारे मन्त्री जी भी जानते हैं फर्रुखाबाद हिन्दुस्तान में आलू की पैदावार में प्रथम नम्बर रखता है और जब हमारे प्रदेश में खाद्यान्न की कमी रहती है, पोटेटोज की कमी रहती है, कई वर्ष तो ऐसी हालत हुई कि आलू को खेतों से निकलवाना किसानों के लिये बड़ा कठिन हो गया था और यह प्रश्न सरकार के भी विचाराधीन रहा । यहां की सरकार और भारतीय सरकार दोनों जानती हैं कि फर्रुखाबाद आलू की पैदावार में नम्बर एक का स्थान रखता है लेकिन फिर भी वहां पर एक भी फैक्ट्री नहीं लगायी जाती है । यदि वहां पर आलू की एक फैक्ट्री लगा दी जाय तो इससे हमारे खाद्यान्न की समस्या भी पूरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार के उचित दाम भी मिल सकेंगे । मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस बात को मन्त्रि मण्डल में स्वीकृत कराने की कृपा करें । दूध की फैक्ट्री ऐसी जगह पर लगायी जाय जहां पर तराई का एरिया हो और आलू की फैक्ट्री ऐसी जगह पर लगायी जाय जहां पर आलू का उत्पादन हो, ऐसा न हो कि पैदा तो फर्रुखाबाद में होता हो और फैक्ट्री कानपुर में लगाई जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष जी आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास खंड की स्थापना के उपरान्त में इन निश्चित राय का हूं कि कब प्रदेश में तहसीलों की कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवश्यकता नहीं है और शासन को इन्हें तोड़कर जो इनके काम हैं, उन तमाम कार्यों को विकास खंडों क कार्यों में समावश कर देना चाहिय । अनुभव में देखा गया है कि छोटे-छोटे काश्तकार जो ऋण लना चाहत हैं, विकास खंडों के माध्यम से, उनको अपने फार्मों की पुष्टि तहसीलों से करानी पड़ती है । जो प्राथना-पत्र विकास खंडों को दिये जाते हैं, उनका वेरीफिकेशन तहसील क कमचारियों से कराना पड़ता है और उसमें उनको बड़ी कठिनाई होती है । उन्हें वहां पटवारियों, अमीनों, कानूनगो और तहसीलदार आदि के पास जाना पड़ता है । नतीजा यह होता है कि ऋण लेने के पूर्व उन्हें काफी पैसा देना पड़ता है और उनके काम में बड़ी देरी हो जाती है । तो मेरा सुझाव है कि शासन इन तहसीलों को समाप्त करके उनके सभी कामों को विकास खंडों में वितरित कर दें ।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि इन विकास खंडों में बी0 डी0 ओ0 के जो पद हैं वे बड़ी जिम्मेदारी के होंते हैं, गांवों की प्रगति करन में, किसानों को तरह-तरह की सहूलियतें और सुविधायें प्रदान करने में सारी जिम्मेदारी बी0 डी0 ओज0 के ऊपर आती है । यह अधिकारी एसा होता है जिससे सम्पर्क करने में किसानों को बड़ी सहूलियतें होती हैं । देखने में आया है कि किसान को तहसीलदार तथा एस0 डी0 ओ0 तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है लेकिन हम देखते हैं कि इन बी0 डी0 ओज0 को किसान लोग सबेरे से लेकर शाम तक घेरे रहते ह । उन्हें उसे जगाने में भी कोई हिचक नहीं होती है । लेकिन इसकी जिम्मेदारियों को देखते हुए पे कमीशन ने उनका वेतनमान बहुत कम अर्थात् 400–750 रुपया ही रखा है । कितने कार्यों को वह समन्वय करता है, कृषि सहकारी, अल्प-सिंचाई योजना, परिवार नियोजन, इतन विभागों के काय का वह समन्वय करता है । वेटेनरी सर्जन, जो बी0 डी0 ओ0 के नीचे काम करता है और छुट्टी भी उसी के माध्यम से लेता है, उसका वेतन, वेतन आयोग की रिपोर्ट में 450–850 कर दिया गया है, चिकित्सा अधिकारी का वेतन, 550–1200 कर दिया गया है, लेकिन बी0 डी0 ओ0 का वेतन 400–750 ही रखा गया है । वेतन आयोग की इस प्रकार की रिपोट आ जान पर, बी0डी0ओज0 को बड़ा असंतोष है । उनकी बैठक यहीं चल रही है । प्रदेश के समस्त बी0 डी0 ओज0 आये हुए हैं जितने विभागों का अभी मैंने जिक्र किया, उसमें अगर किसी अधिकारी से बी0 डी0 ओ0 का वेतन कम रहता है, तो यह विडम्बना की बात होगी । इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी इसलिये मेरा सुझाव है कि बी0 डी0 ओ0 का वेतनमान 500–1,250 होना चाहिए ।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ग्राम सेवकों की हालत बड़ी नाजुक है । न उनके लिये रहने की व्यवस्था है और न उनके लिये कोई सायकिल की व्यवस्था है, यद्यपि उनको बहुत दौड़-धूप करनी पड़ती है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके लिये मकान और साइकिल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये । वे खाद और बीज ब्लाक से ले जाते हैं और गांव में किसी के घर में रख देते ह, क्योंकि उनके पास कोई आवास नहीं होता कोई अगर चुरा लेता है, तो परेशानी होती है । इसलिये उनके लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि वे बीज और खाद वगैरह अपने ही आवास में रख सकें और उसका इन चीजों पर नियन्त्रण रहे । और समय पर उनका वितरण हो ।

इसी सम्बन्ध में, मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि हर विभाग में डाइरेक्टोरेट होते हैं और नीचे के विभाग के कर्मचारियों की दिक्कतों की देख-रेख करते हैं । लेकिन सामुदायिक विकास विभाग का कोई निदेशालय नहीं है । इसलिये इस विभाग की यही दशा है जसे बिना मां-बाप के बच्चे की होती है । यहां और बाहर भी कई बार सामुदायिक विकास मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि वे इसके ऊपर विचार करेंगे । आज इस मांग के संबध में मे यहां बहस हो रही है, तो वे निश्चित रूप से घोषणा करेंगे कि इस विभाग के लिये भी एक निदेशालय कायम किया जाय और बी0 डी0 ओ0 का वेतन 500 से 1,250 करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री इन्द्रमणि---

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय में विचार व्यक्त किया है कि यहां जो प्लानिंग हो, वह गांधी जी के आदर्शों के मुताबिक हो इसलिये मैं मन्त्री जी ने निवेदन करूंगा कि वे इस बात को सोचें और एक निदेशालय की जो बात है, उसकी भी आज ही घोषणा कर दें। बी० डी० ओ० और ग्राम सेवक के बारे में भी निश्चित रूप से आज घोषणा कर दें। तो बहुत सुन्दर होगा। ? इसके साथ विधान सभा के हरेक कार्यकर्त्ता को, पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पहले यह मौका मिलना चाहिये कि वह अपने विचारों को रख सके, ताकि योजनाओं का अच्छा स्वरूप हो।

मान्यवर, हमारा प्रान्त बहुत बड़ा प्रान्त है। 9 करोड़ का प्रान्त है, यह। इसका सही ढंग से विकास होने के लिये यह जरूरी है कि इसको कमिश्नरीवाइज बांट दें और जितना पैसा दे सकते हैं और जितने आपके पास रिसोसेज हैं, उतने दिये जायें। वहां कमिश्नरी में सरकारी अफसर, कर्मचारी और प्रतिनिधि होते हैं। उनसे कहा जाय कि वे लोग योजना बनायें और उस योजना का कार्यान्वयन होना चाहिये। कारण वह है कि यहां से इतने बड़े प्रान्त की योजना चलने वाली नहीं है ? मैं माननीय मन्त्री जी के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र को भी अब बिलकुल प्रान्त को जितना धन देना चाहे उतना देकर छोड़ देना चाहिये कि वह जिस तरीके से चाहे काम करे। किसी चीज के लिये कोई सीलिंग फिक्स नहीं होनी चाहिए। मुझे अनुभव है कि गत वर्ष पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में हमने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे जिले को 6 लाख रुपया किसी दूसरी योजना में खर्च करने के लिये दिया जाय। हमारे जो नियोजन सचिव हैं उन्होंने उत्तर दिया कि इस मद का बाहर हम ऐसा नहीं कर सकते। यह केन्द्र सरकार से निर्धारित कर दिया गया है। इस तरह से काम चलने वाला नहीं कि केन्द्र वहां से यह कह दे कि यह करो और हम वैसा ही सब करने लगें। इससे फायदा नहीं है। मैं मन्त्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि वह विकेन्द्रीकरण की ओर विशेष ध्यान दें और साथ ही इस योजना विभाग को व्यवहारिक रूप दें।

दूसरी बात यह है कि चाहें एग्रीकल्चर विभाग हो चाहे हेल्थ विभाग हो उनका यह प्रयास हो रहा है कि वह बी० डी० ओ० से हट जायं और अपने विभाग के अधीन आ जांय। अगर यह बात चलेगी तो फिर आपका यह कम्युनिटी डेवलेपमेन्ट का जो स्वरूप है, वह समाप्त हो जायगा। इसके अतिरिक्त एक बात और इसी सन्दर्भ में कह देना चाहता हूं कि बी० डी० ओ० जो ब्लाक का सबसे बड़ा अधिकारी है। उसका वेतन क्रम तो 400 रु० से 700 या 800 रु० है और उसके नीचे जो आफसर हैं उनका 400–1200 है, तो ठीक नहीं है और इस ओर भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)---

मान्यवर, सदन में कोरम का अभाव है।

(घण्टी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़े बहुमूल्य सुझाव दिये हैं नियोजन और समन्वय के सम्बन्ध में। वास्तव में हमारा जो बजट है वह लगभग 25 करोड़ का है और इसमें सारे कार्य पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण से सम्बन्धित हैं। जैसा कि मैंने आरम्भ में संक्षेप में निवेदन किया था हमारे जो कार्य हैं वह सारे प्रदेश में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा हो रहे हैं। विकास खंडों की संख्या सारे प्रदेश में 875 है। कृषि प्रसार, पशुपालन, सिंचाई, भूमि को कृषि योग्य बनाना, ग्राम विकास एवं स्वच्छता के अन्तर्गत यह रुपया खर्च हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है । प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण पर 1.38 लाख रुपया व्यय कर रहे हैं । इसी तरह से समाज शिक्षा पर .81 लाख, संचार साधनों के लिये 3.20 लाख रुपया, ग्रामीण कला कौशल के लिये .388 लाख रुपये का प्राविधान है ।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)––

सड़कों के लिये जो रुपया रखा है वह कहां बटेगा यह बतलाइये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

थोड़ा रुपया है । उसको ही बांटने की कोशिश की जायगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

बरेली में सबसे ज्यादा सड़कें बनवायी हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

आपके शाहजहांपुर में भी कम नहीं बन रही हैं । वहां कुछ ज्यादा ही होंगी । मान्यवर, लगभग 4 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें सारे प्रदेश में बननी हैं इस योजना के अन्त तक बंधी भूमि संरक्षण, गूल्स और चरागाह भी बनने हैं । इसी प्रकार से ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अच्छी तरह से चल रहा है । चौथी योजना में करीब 12 करोड़ रुपया की सहायता भारत सरकार से उपलब्ध की जा रही है । हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा योजना, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, भी प्रारम्भ की गयी है । इसके द्वारा विकास खण्ड के भवन, वेटरनरी हास्पीटल्स के भवन बनने हैं क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था । उसके पास काफी काम था ।

इसका कार्य भी सारे प्रदेश में पूरी तौर से शरू किया गया है और इसमें 1973–74 में 97 लाख रुपये व्यय करने का अनुमान है ।

लघु सिंचाई कार्यक्रम भी इसी प्रकार सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष––

जो सवाल उठाये गये हैं उनका जवाब दे दें ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)––

सामुदायिक विकास का अलग निदेशालय स्थापित करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है वह बड़ा अच्छा है । सरकार इस पर पहले से ही गम्भीरता से विचार कर रही है । जब समय आयेगा तो उस पर निणय ल लिया जायेगा ।

श्री जयराम यादव––

क्या चुनाव से पहले निर्णय हो जायेगा ?

श्री राज बहादर चन्द (जिला बस्ती)––

समय निर्धारित कर दें कि कब तक कर देंगे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

इस पर हम जल्दी ही निर्णय करेंगे ।

श्री करन सिंह—

यह घोषणा तो मुख्य मन्त्री जी ने बहुत पहले ही की थी कि अलग निदेशालय बनेगा। वह कब तक स्थापित हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वैसे ही हम अनुभव कर रहे हैं। वह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मन्त्रीजी ने माना कि सुझाव बड़ा अच्छा है। अब सवाल यह रह गया कि टेक्निकल या फाइनेन्सियल डिफिकल्टीज हो सकती है। एसेम्बली एडजर्न होने जा रही है। कितने दिन में निदेशालय की घोषणा कर देंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस पर हम विचार कर रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे कह दिया जाये।

चाहे पंचायत सेवक हों, ग्राम सेवक हों या बी० डी० ओज० हों हरित क्रान्ति और पंच मुखी विकास के कार्य उनके द्वारा हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

राज्य कृषि मन्त्री ने यह कहा था कि हरित क्रांति कृषि विभाग के कारण हुई है और प्लानिंग डिपार्टमेंट व बी० डी० औज० की वजह से नहीं हुयी है। यह आज के पेपर में भी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हमारा ध्यान उस तरफ गया है और आपकी तरफ भी गया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी सैलरी की बात है। हमारी सहानुभूति बी० डी० औज० के साथ है। एनोमली कमेटी बन गयी है। उनकी शिकायतें उस कमेटी में जायेंगी और वह कमेटी उन पर विचार करेगी। उसके पश्चात् सम्भवतः उनकी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी, ऐसा मेरा खयाल है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ब्लाक बिल्डिंग्स के बारे में क्या बी० डी० सी० का बहुमत मान्य होगा, यह सरकार तय करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दोनों बातों का खयाल रखा जाता है।

श्री जयराम यादव—

क्या एनोमली कमेटी वेतन के ऊपर विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

हां, वह विचार करेगी। कुछ असंगतियां हैं। उन्हीं असंगतियों की मिटाने के लिये एनोमली कमेटी है। उसके सामने वे मामले जायेंगे।

श्री राज बहादुर चन्द—

एनोमली कमेटी कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

ये कहते हैं बहुत जल्दी करेंगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

आप इनसे बुलवा दीजिये । मन्त्री जी बैठे हैं । बी० डी० औज० की कांफरेंस में गये थे । उनको प्रेरित कर दिया कि हल्ला करो ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज शाम को मुख्य मन्त्री जी उनको सम्बोधित करेंगे । उनकी उदारता से सभी परिचित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26 के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान 26–नियोजन तथा समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25, 56, 96, 500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय

*सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,75,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, सूचना विभाग की इस बात की जिम्मेदारी है कि जितने सरकार द्वारा किये हुए काम हैं वे जनता के पास ले जाये और उनसे उसको अवगत करायें । आज कल के युग में कोई भी योजना चल नहीं सकती है जब तक उसमें जनता का सहयोग न हो । सूचना विभाग में जो काम हुए हैं उनकी एक पुस्तिका छप चुकी है और वह आपके सामने मौजूद है । आप अपनी राय जाहिर करेंगे हम उनका जवाब देंगे और जो आप सुझाव देंगे उनको हम मानेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 28–के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये । क्रम संख्या 2, 3 व 5 तीनों ही मेरे प्रस्ताव हैं ।

कमी करने का उद्देश्य है—विभागीय नीति की आलोचना करना और यह बतलाना कि जिस उद्देश्य से सूचना विभाग कायम किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति यह विभाग नहीं कर सका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम—]

और साधारण जनता की तथा ग्रामीण अंचलों में बसे लोगों की सेवा करने में यह विभाग पूर्ण रूप से असमर्थ रहा ।

(इस समय 2 बजकर 49 मिनट अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, सूचना विभाग को सरकार ने आजादी मिलने के बाद कायम किया था कि जनता को पता लग सके कि सरकार क्या करती है और प्लानिंग की क्या बातें हैं । इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिले में सूचना अधिकारी भी रखे गये थे जो बाद में हटा दिये गये थे । मैं सूचना विभाग के बारे में बाद में कहूंगा, पहले प्रेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । श्रीमन्, यह चाहते हैं कि प्रेस भी कमिटेड हो और इनका गुलाम बनकर रहे । जो प्रेस वाले इनकी बात नहीं मानते हैं उनको यह सहूलियतें नहीं देते हैं । मैं इस सम्बन्ध में आल इंडिया रेडियो के बारे में कहूंगा । वांचू साहब इसमें रिपोर्टर थे । उन्होंने इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की हड़ताल को निष्पक्ष रूप में जनता के सामने रक्खा था क्योंकि वह इन्डेपेन्डेन्ट व्यूज के थे । वह इनको पसन्द नहीं आई, उनको दिल्ली जाकर इन्होंने हटवा दिया । इसी तरह से नैनीताल में मकान अलाटमेन्ट की बात आती है । उस विभाग के मन्त्री श्री महमूद अली साहब हैं लेकिन पत्रकारों को मकान सूचना मंत्री देते हैं । यह उन्हीं लोगों को मिल पाते हैं जो इनकी हां में हां मिलाते हैं । एक मकान के लिये मुख्य मन्त्री जी तक ने लिखा लेकिन फिर भी वह इनके कारण नहीं दिया जा सका । तो इस प्रकार से स्टेट मिनिस्टर होते हुए भी कैबिनेट मिनिस्टर की बात नहीं मानी जाती है । अगर इसी प्रकार की धांधली करेंगे तो स्टेट कैसे चलेगी । प्रधान मन्त्री जी जब उत्तर प्रदेश में दौरे पर आती हैं तो पत्रकारों को ले जाने में लाखों रुपया खर्च करते हैं । तो क्या यह सुविधा जो अन्य पार्टियों के नेता आते हैं, उनके लिये भी मन्त्री जी देंगे ?

श्रीमन्, इसी तरह की स्कूटर वाली बात है । इसका अलाटमेन्ट भी पत्रकारों को मन्त्री जी द्वारा ही किया जाता है । वैसे तो इस कार्य के लिये कमेटी बनी हुई है लेकिन पत्रकारों के लिये अलाटमेंट का काम इन्होंने ले रक्खा है । जिसको यह चाहते हैं उसी को स्कूटर मिल रहे हैं । ऐसे भी पत्रकार हैं जो स्कूटर पर चढ़ना नहीं जानते हैं क्योंकि उनके पास कार और वह पत्रकार की हैसियत से मिली है , फिर भी स्कूटर दिया गया है, । इसको मन्त्री जी देख लें ।

इनके विभाग में श्रीमन्, कोई कन्फर्म नहीं होता है । घूम फिर कर एक ही अधिकारी रहते हैं । असिस्टेंट सेक्रेटरी और ज्वायन्ट डायरेक्टर एक ही हैं । इनके विभाग में लाखों रुपये का माल मंगा लिया है । इसकी जांच कर ली जाय कि वह क्यों पड़ा हुआ है ।

यह लाखों का गड़बड़ क्यों है ? बहुत से फिलमी और प्रवी कैमरे इन्होंने मंगा लिए हैं जिनको ये बदला करते हैं। श्रीमन्, यहां तो केवल वह डायरेक्टर कहलाते हैं, लेकिन हरियाणा में उनको पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर कहा जाता है और ऐसा ही अन्य सूबों में कहा जाता है । यहां हालत यह है कि स्वतन्त्र विचारधारा वाले लोगों को परेशानी होती है । एक पत्रकार बन्धु हैं उनको कोई सामग्री नहीं मिलती है । वह अगर कोई फोटो का मैटीरियल चाहें या कोई स्टटमेंट चाहें तो नहीं मिल सकता क्योंकि कोई इनका आफिस नहीं है । केन्द्रीय पत्रकारों के लिये तो दिल्ली में मकान हैं । जब लोग वहां जाते हैं तो लिस्ट बनी हुई है, वहां उनको मकान अलाट हो जाते हैं और वहां के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो अपना मकान छोड़ देते हैं । यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । रेडी रेफरेंस की भी कोई यहां व्यवस्था नहीं है जैसी कि अन्य सूबों में है ।.....(व्यवधान) पास तो करा ही लेंगे क्योंकि आप बहुमत में अन्धे हैं । लाखों रूपयों का गड़बड़ चल रहा है । आपके अधिकारी मद्रास जाते हैं थर्ड क्लास में और फर्स्ट का चार्ज करते हैं टी० ए० इससे ज्यादा गड़बड़ घोटाला क्या हो सकता है । एक स्वतन्त्र भारत के भूतपूर्व एडीटर हैं, रिटायर्ड हैं, लेख लिखते रहते हैं । जब व इनके कार्यालय में गये तो उनको मैटिरियल भी नहीं दिया गया और अभद्र व्यवहार

किया गया । यहां तक हुआ कि कहा गया आप पत्रकार रह चुके हैं वरना मैं निकलवा देता, यह आपके पब्लिक रिलशन आफिसर की कर्टेसी है । पिछले साल असेम्बली में झगड़ा हो चुका है दो असोसिएशंस ह पत्रकारों की । एक वर्किंग जर्नलिस्ट असोसियेशन और एक जर्नलिस्ट असोसियेशन । ये दोनों मान्यता प्राप्त हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन इनका जो पक्षपातपूर्ण रवैया है दोनों के कार्यकर्ताओं को मकान और स्कूटर के सम्बन्ध में वह बिलकुल प्रजातांत्रिक नहीं है और गलत है । इसी तरीके से जो बाहर ले जाये जाते हैं प्रेस वाले तो उनके लिये यहा कोई व्यवस्था नही है कि उनकों यहा कंटैक्ट करें । उनके हेड आफिस को लिख देते हैं । नतीजा यह होता है कि कोई पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता । इनका विभाग सफेद हाथी हो गया है और दिन-प्रति-दिन गिरावट की ओर जा रहा है । मैं तो समझता हूं कि इनफार्मेशन मिनिस्टर हमारे टंडन साहब फेल हो गये ऐज मिनिस्टर । उनको इस्तीफा दे देना चाहिये । जब पत्रकार थे तो ज्यादा अच्छे थे । क्योंकि पत्रकारिता का एक बड़ा भारी सम्बन्ध रहता है ईमानदारी और स्वतन्त्र विचारधारा से । अब इनकी विचारधारा बिलकुल कुंठित हो गयी है और इस तरह से गलत-बयानी करते हैं तथा शुद्ध झूठ बोलते हैं । कौंसिल में कुछ अपशब्द कह दिये, "टुच्चा" इत्यादि है जाने क्या कह दिया कि बाद में माफी मांगनी पड़ी.....

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

माननीय सदस्य जरा धीरे-धीरे बोलें, कुछ समझ में नहीं आता । इनकी सब बातों को सुनकर मैं इंक्वायरी कराना चाहता हूं और आदर से सब बातें सुनना चाहता हूं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ठीक है धीरे-धीरे बोलूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी के लिये जो कहें वह स्पष्ट स्पष्ट कहें, ताकि उत्तर में सब जवाब दे सकें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इनका जो सूचना विभाग है उसमें विभिन्न विभाग हैं, जैसे पत्रकार विभाग, विज्ञापन विभाग, निरीक्षण शाखा, वितरण शाखा, फिल्म की फोटो शाखा, टेक्निकल शाखा । इसके साथ ही सूचना विभाग के कार्यालय में भी तीन सेक्शन हैं "क", "ख" और "ग" ।

सरकार के अन्य विभागों में विभाग तथा निदेशालय अलग अलग होते हैं । इनका यह एक ऐसा विभाग है जिसके निदेशक और सेक्रेटरी एक ही हैं । इनको अलग-अलग होना चाहिये ।

पत्रकार विभाग—सूचना निदेशालय का पत्रकार विभाग बहुत ही आवश्यक है । इसमें बहुत संख्या में पत्रकार होते हैं । उनका वेतन भी बहुत अधिक होता है और काम इनके जिम्मे कुछ नहीं होता है । एक पत्रकार एक महीने में मुश्किल से एक या दो लेख लिखता है और वह भी सरकार के हित में, पब्लिक हित में कुछ नहीं लिखता ।

इनके यहां से जो पैम्फलेट्स छपते हैं लाखों की तदाद में उनकी रसीद कटती है जबकि छपते केवल हजारों में ही हैं । सब पैसा खा लिया जाता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि इसकी जांच विजिलैन्स से करायेंगे । मेरी निजी जानकारी है कि एक पैम्फलेट था जिसकी ढाई लाख प्रतियों की रसीद काटी गयी जबकि केवल 10 हजार पैम्फलेट्स छपे थे ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

विज्ञापन विभाग--सूचना विभाग के माध्यम से सभी विभागों के विभिन्न विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं को दिये जाते हैं। यह उन्हीं पत्र, पत्रिकाओं को दिये जाते हैं जो इनके अनुरूप भाषा बोलते हैं। इसमें भी भारी घोटाला होता है। इसलिय मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसकी भी जांच कराने की घोषणा करें।

निरीक्षण शाखा--इस शाखा में भारत के कोने-कोने से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएं हजारों रुपये की मंगायी जाती हैं। कुछ पत्र तो मन्त्री तथा अधिकारी वर्ग में मुफ्त बांट दिये जाते हैं और जो बचते हैं उनकी निरीक्षा, अर्थात् उनमें छपी हुई खबरों की कटिंग सम्बन्धित मन्त्री, अधिकारी आदि को भेजी जाती है। मन्त्री महोदया या अधिकारी वर्ग को इन खबरों को पढ़कर उसके अनुसार ही अपने कार्यों में ध्यान देना चाहिये। किन्तु बड़े दुःख की बात है कि कोई भी मन्त्री या अधिकारी बिरले ही पढ़ता है। इस तरह से निरीक्षण शाखा के कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता और इससे जनता के धन का भारी दुरुपयोग हो रहा है।

एक श्रीमन्, इनके यहां फिल्म की फोटो शाखा है। उसका काम यही है कि कोई मन्त्री दौरे पर जाय तो उनकी विभिन्न अदाओं की फोटो ली जाय कि मन्त्री जी किस से बात कर रहे हैं, कैसे मुस्करा रहे हैं। उसका और कोई कार्य नहीं है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

वह छपी हुई किताब हमको भी दिलवा दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम ---

कौन सी ?

श्री राजबहादुर चन्द---

जो आप पढ़ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं, मैं पढ़ता हूं। आप बे-पढ़े लिखे हैं, आप क्या पढ़ेंगे।

तो मैं कह रहा था कि इस फोटो शाखा को इससे कोई मतलब नहीं कि देहात में क्या हो रहा है, राशन शाप पर कितनी भीड़ लगी हुई है, इसकी भी फोटो ले। उनको इसकी भी फोटो लेना चाहिये कि बिजली ट्यूबवेल में नहीं आ रही है, खेत सूखे जा रहे हैं। उनको यह भी फोटो लेना चाहिये कि पैरिल्ला के प्रकोप से 98 प्रतिशत गन्ना पीला पड़ गया है। क्या इसकी कोई फोटो ली सिवाय इसके कि मन्त्रियों के दौरे कवर कर लिये, मन्त्री और प्रधान मन्त्री का फोटो ले ली और एक कटिंग उनको भेज दी ?

तो श्रीमन्, इनके फिल्म फोटो शाखा की यह हालत है।

इनकी एक टैक्निकल शाखा है। इसमें टेकनीशियन्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं। वहां क्या होता है कि जितनी मशीनें हैं वह खराब की जाती हैं और इसलिये की जाती हैं कि तभी पार्ट्स मंगाये जावेंगे और उसके लिये फिर बिल बनेंगे उसमें फिर आमदनी होगी। तो चारों तरफ से सोचा जाता है कि किस तरह से आमदनी की जाय। इनके यहां बड़ा गड़बड़ घोटाला इस मामले में भी है, इसकी जांच होनी चाहिये।

इनका एक प्रदर्शनी विभाग है। बेगम हजरत महल पार्क में जो प्रदर्शनी हुई थी उसके दुकानों के एलाटमेन्ट में बड़ा गड़बड़ घोटाला है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी दूसरी ओर ध्यान न देकर मेरी बातें सुनें।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

मेरा ध्यान चाह जहां हो लेकिन कान आपकी तरफ रहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं प्रदर्शनी विभाग की बात कह रहा था कि उस प्रदर्शनी में कोई फायदा नहीं हुआ और लाखों रुपये का गड़बड़घोटाला किया गया है। इनके विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं किस तरह से उन्होंने विभाग को लूटा है और खुली डकैती की है और यह तभी सिद्ध हो सकता है जब उसकी जांच ठीक से हो। मैंने जो आरोप लगाये हैं मैं चाहता हूं कि आप उत्तर देते समय आश्वासन दें कि उनकी जांच अवश्य होगी ।

श्रीमन्, सूचना विभाग से जितनी फोटों निकलेंगी उनमें मन्त्री जी की फोटो जरूर निकलेगी, गरीबों की फोटो नहीं निकलेगी । इस विभाग के खोले जाने का अभिप्राय क्या था ? सरकारी नीतियों और प्लानिंग के द्वारा सरकार क्या क्या करना चाहती है उसके बारे में आम जनता को अवगत कराना और यह इसलिये था कि सरकार के क्या क्या कार्य हो रहे हैं वह आम जनता तक पहुंचाए जावें। आम जनता की जो परेशानियां हैं और जो उनके प्रावलम्स हैं जउनको फिल्म करके, उनके फोटो ले करके लाया जाये, इसके लिये यह सब था। लेकिन आज जितनी रिपोर्ट आती हैं जितनी फोटो आती हैं उनसे शायद ही सही स्थिति मालूम हो सके। इनका विभाग कहीं नहीं गया है। बड़े-बड़े कस्बों तथा गांवों में ही मन्त्रीजी के दौरे के सिलसिले में गये होंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे प्राविधान करें कि जिससे प्रत्येक गांवों की समस्या जनता के सामने आ सके। बहुत सी स्कीमें चल रही हैं, जैसे अभी प्रोक्योरमेंट की स्कीम चल रही है, बी० डी० ओ० को , तहसीलदारों को और कलेक्टरों को हुक्म दिया गया है कि इतना काम फेमिली प्लानिंग का करोगे और इतना प्रोक्योरमेंट का करोगे तब उसको देहातों में जाने की बात की भी सूचना होनी चाहिये। क्यों नहीं मन्त्रीजी का विभाग देहातों में गया और बतलाया कि आबादी बहुत बढ़ रही है और इससे क्या-क्या समस्यायें बढ़ रही हैं? आपका फिल्म डिवीजन गांवों में जाता, कम से कम हर पंचायत सेंटर में जाता और जितनी सूचनायें हैं और उनके फिल्मस् हैं उनको वहां दिखलाते जिससे उनको जानकारी होती। लेकिन यह सब नहीं किया गया और यह विभाग यहीं तक महदूद रहा।

अभी हाल में ताम्रपत्र बनाये गये और 15 दिसम्बर को बांटे गये और इसके लिये एक अधिकारी बनाये गये। उसमें ताम्बे की खरीद हुई और उसमें भी घोटाला हुआ। विभाग जैसा मैंने कहा कि एक सफेद हाथी है और जब से मन्त्री जी के हाथ में यह विभाग आया है तब से यह सफेद हाथी और मोटा हो गया है। तो ताम्रपत्रों के लिये तांबे खरीदने का काम इस विभाग को दिया गया और तांबा खरीद लिया गया। मैं मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि वह किसी एक्स्पर्टस से दिखलवा लें कि कितना तांबा खरीदा गया और उससे कितने ताम्रपत्र बनवाये जा सकते थे और कितने बने और अगर नहीं बने तो वह तांबा कहां चला गया।

इस प्रदर्शनी विभाग का एक अधिकारी मद्रास गया। पिछले साल मैंने विधान सभा में एक प्रश्न किया था और उसमें मेरा उस पर यह चार्ज था कि उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास का टी० ए० और डी० ए० चार्ज किया। एन्क्वायरी करायी गयी और पता चला कि जिस तारीख को टिकट खरीदने की बात थी उस तारीख को कोई फर्स्ट क्लास का टिकट ईशू ही नहीं हुआ। माननीय मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि वे इस बात की इन्क्वायरी करवायेंगे लेकिन उनके खिलाफ इन्क्वायरी में क्या हुआ? उस इन्क्वायरी के बाद एक जी० ओ० ईशू हुआ। उस जी० ओ० का नम्बर है 1090 (सूचना), दिनांक 20- 3- 63 और यह 250 रुपये दिया गया। इस जी० ओ० के अनुसार उनको 250 रुपये का इनाम दिया गया। एक और जी० ओ० जिसका नम्बर है—2552/मई सूचना–45–72, दिनांक 1–8–72 इसके द्वारा उनको स्थायी किया गया है। उनका नाम है चन्द्रवल्लभ शर्मा। माननीय मंत्री जी इसका पता लगा लें।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

मान्यवर, पत्रकारों के साथ जो इनका रवैइया रहा है उसके ऊपर यहां सदन में भी चर्चा हो चुकी है। विधान सभा में मैंने एक प्रश्न भी रायबरेली के एक पत्रकार सम्पादक, श्री रामदेव त्रिवेदी के संबंध में पूछा था। यह बड़ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र विचाराधारा के पत्रकार हैं। इन्होंने अपने अखबार में एक सही खबर छाप दी थी जिसे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं---यह पेपर है "वीर बंसवारा" दिनांक 9 दिसम्बर, 1972, इसमें छपा है "रंगीन अधिकारी हसीन महिला जनपदीय प्रशासन की दुर्दशा" (3) में पाठकों ने महसूस कर लिया होगा कि राजस्व विभाग के अधिकारी किस तरह लूट-खसोट मचाये हैं। "मारे जायं बन्दर, मौज करे कलन्दर" जनपद में पूर्णतया चरितार्थ है। इसी संदर्भ में यह भी सुना जाता है कि बहुचर्चित नगर के डाक्टर परिवार की एक हसीन महिला अपनी नाजुक अदाओं से जिला प्रशासन पर बुरी तरह हावी हैं। 45 रु0 प्रति दिन की अंग्रेजी शराब विशेष कृपापात्र मातहत कर्मचारियों द्वारा भेंट की जाती है। गदरीय यौवन का खुला आमंत्रण देने वाली उक्त महिला को बाहों में रात दो बजे तक मदहोश बना रहता तथा कथित सम्मानित रंगीन अधिकारी झूमता रहता है। सिनेमाओं, क्लबों आदि में खुला प्रेमालाप, जुआ, नृत्य आदि का प्रदर्शन जनपदीय प्रशासन को लज्जित बनाये हैं...!"

मान्यवर, यह छोटा-सा पत्रकार है जिसने पत्रकारिता की एक मिसाल कायम कर दी वरना किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह जिलाधिकारियों के विरुद्ध कोई सच्ची बात इस तरह की लिख सके। बहुत कम ही लिख पाते हैं। मगर इस जनसेवी पत्रकार के साथ वहां के जिलाधिकारी ने बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे हथकड़ी पहना कर जेल भिजवाया। उसकी पत्रकारिता पर रोक लगवा दी। मैंने उसके संबंध में जब यहां प्रश्न किया तो रायबरेली के सूचनाधिकारी जीप में बैठ कर मेरे पास यहां आये और मुझे कहने लगे कि मैं इस प्रश्न को यहां सदन में न उठाऊं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे मेरे पास क्यों आये और उनको इस तरह इस काम के लिये सरकारी जीप का इस्तेमाल करने का क्या अधिकार था?

इस विभाग में मान्यवर, बहुत से अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं मगर आज तक कन्फर्म नहीं हुए हैं। 3-4 ज्वाइन्ट डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह की सारी गड़बड़ी करते रहते हैं और उनका कहीं ट्रान्सफर नहीं होता। वे वर्षों से अपनी जगह पर बने हुये हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो इन बातों पर भी प्रकाश डालें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सूचना विभाग के इस महत्वपूर्ण अनुदान का समर्थन करने के लिये मुझे अवसर दिया। मान्यवर, लोकतंत्र में राज्य की समस्त शक्ति जनता में निहित रहती है। जन आकांक्षाओं के द्वारा ही लोकतंत्रीय सरकार का गठन होता है। इसीलिये इस व्यवस्था में सूचना, प्रचार एवं प्रसार का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिशा में सूचना विभाग की भूमिका बड़ी व्यापक और उपयोगी हो सकती है।

यह विभाग जहां प्रशासन की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्देशवाहक है वहीं पर जनता की भावनाओ और प्रतिक्रियाओं से प्रशासन को अवगत कराता है। इसके लिये प्रेस और और सूचना विभाग का अन्योन्याश्रित संबन्ध आंवश्यक है। जिससे समाचार-पत्र पीपुल्स बायस, जनता की आवाज बनकर जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसी पृष्ठ-भूमि में आप से सर्वप्रथम निवेदन करुंगा कि जिला सूचना अधिकारी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के स्तर पर अदा करते थे किसी कारणवश माननीय चौधरी साहब के समय में उनके सारे पदों को समाप्त कर दिया गया। बाद में इस प्रशासन ने जब अपने को पदासीन किया तो निश्चित घोषणा की गयी कि सारे पदों को पुनर्जीवित किया जायगा। लेकिन मान्यवर, जिस प्रकार हाफ हार्टेड यह कार्य हुआ उससे मुझे निराशा हुई मात्र 26 पदों को पुनर्जीवित कर संतोष किया जा रहा है। निश्चय ही यह दुख का विषय है कि सृजित पद जो हैं, न उनको आफिस दिया गया है ठीक से, न स्टाफ का प्राविधान किया गया है और न पर्याप्त इक्विपमेंट है। इस स्थिति

में जो जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी समस्यायें शासन तक पहुंचने का कार्य है वह अधूरा रह सकता है। कितने दुख की बात है कि उनका वेतनक्रम वहां के लोएस्ट स्टाफ से कम है। एक प्रकार से उनका संपर्क बड़े स्तर के लोगों से रहता है लेकिन उनको हेय भावना से देखा जाता है। जिला प्रशासन के अधिकारी उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, विभाग के लोग, यहां के विभाग के अधिकारी, मंत्री तक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यदि यह परम्परा चलती रही तो आपका स्वप्न अधूरा रह जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना डाइरेक्टरेट को सम्भवतः सेक्रेटरिएट से अलग करने का बिचार हो रहा है। उसका भले ही स्वागत हो किन्तु उसमें जिस प्रकार टेक्निकल हन्ड की आवश्यकता होती है, प्रचार और प्रसार के कार्य के विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उस दृष्टि से सचिवालय से उनका जुड़ाव आवश्यक है ताकि उन नीतियों को उसी स्पिरिट में समझ कर कार्यान्वित कर सकें।

यहां पर प्रायः 40 जर्नलिस्ट्स हैं इनकी अकिंचन स्थिति देखकर तरस आता है।

उनका वेतनमान अपर डिवीजन क्लर्क के समान है। जब कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट तथा अन्य विभागों में पब्लिक रिलेशंस आफीसर जोहोते हैं उनका वेतन उनकी अपेक्षाबहुत अधिक है और इस प्रकार कोई इंसेंटिव नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि युग की आकांक्षाओं के अनुरूप उनके वेतनमान में अमूल परिवर्तन किया जाय।

बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूब्ड हैं और लगभग 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उनको आज तक स्थायी नहीं किया गया, उन्हें तुरन्त स्थायी किया जाय। दो डिप्टी डायरेक्टर के पद हैं। मुझे बतलाया गया है कि वे सरेंडर कर दिये गये हैं अथवा रिक्त पड़े हैं। यह स्थिति बहुत ही दुखद है। असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर जो हैं उनकी स्थिति भी एक प्रकार से दयनीय है। अगर ये अधिकारी प्रचार, प्रसार की दिशा में निश्चित और उपयोगी भूमिका अदा करने में असफल हों तो अवश्य उनको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन अगर उचित तथा उपयोगी भूमिका वह अदा कर रहे हैं तो उनको ड्यू शेयर मिलना चाहिये। उनका वेतन-क्रम अन्डर सेक्रेटरी के बराबर भी नहीं है। आखिर क्या कारण है कि उनकी उपेक्षा की जाती है जब कि ये सब जर्नलिस्ट केडर हो कर आये हैं और आवश्यक तथा उपयोगी भूमिका निबाहते हैं?

एक बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। किसी के ऊपर लांछन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जनतंत्र तथा लोकशाही को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रशासन के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिये, लालफीताशाही पर अंकुश लगाया जाय, योग्यता के अनुसार काम दिया जाय यह तभी सम्भव है जब ऐसे स्थानों पर विशेष प्रशिक्षित लोगों को रखा जाय। मैं इस निश्चित मत का हूं कि प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी तथा पोलिटिकल लीडरशाही में कोआर्डिनेशन तथा कोआपरेशन होने चाहियें। मिनिस्टर और उनके अफसरों में घोड़े तथा घुड़सवार का सम्बन्ध है। घोड़े को एड़ लगाने का दम हो और साहस हो तभी घोड़ा गंतव्य मंजिल पर पहुंच सकता है वर्ना घोड़ा अनाड़ी घुड़सवार को गिरा देगा। वह स्थिति बड़ी दुखत और दयनीय स्थिति होती है। टेक्निकल स्थानों पर ही नहीं, पत्रकारिता में भी क्या कारण है कि आई० ए० एस० लोगों को बिठा दिया जाता है जिसके कार्य करने की पद्धति, विचार करने का तरीका निश्चित रूप से विशेषताओं तथा पत्रकारों से भिन्न होता है। अगर आप प्रदेश तथा देश का उत्थान करना चाहते हैं, अपने कार्यों में, लक्ष्यों में सफल होना चाहते हैं और देश तथा प्रदेश की योजनाओं को जन जीवन के उत्थान हेतु प्रयुक्त करना चाहते हैं तो आई० एस० लोगों को हटा कर ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित करें जो निष्ठावान एवं उन स्थानों के लिये उपयुक्त हों। (व्यवधान)

मेरी दृष्टि में रूल्स ऐंड रेगुलेशंस की खींचातानी, विभागों में आफिशियलडम और कार्यों में अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने के लिये किसी अनुभवी, राष्ट्रीय ममता का और प्रगतिशील सोच विचार के पत्रकार को निदेशक पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। यदि हम देश और प्रदेश

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी]

के व्यापक हित में हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन को बदल सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि छोटे-छोटे रूल्स ऐन्ड रेगूलशन्स के लेक्यूने हमारे प्रदेश को जाने-अनजाने निम्न स्तर की ओर ले जाने की चेष्टा करें। हमें उनमें आमूल परिवर्तन करना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं जिला सूचना अधिकारियों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मुझे मालूम हुआ है जिला अधिकारी पत्रकारों को डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स की तरह मानते हैं। यदि इस बात में तथ्य हो तो यह बड़ी निन्दनीय बात है और यदि आपको इसकी जानकारी न हो तो जानकारी होनी चाहिये और उसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये। इसमें उनके कार्य संचालन में बड़ी बाधा उपस्थित होती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि निश्चय ही इस प्रवृत्ति को बदला जाना चाहिए।

अब मैं प्रेस रिलेशन के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि पत्रकारों का सूचना विभाग से अन्योनाश्रित सम्बन्ध होना चाहिये। इन्होंने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी मातृभमि के लिये आत्म समर्पण किया है, साम्राज्यवाद पर प्रहार करने के लिए लेखनी को नोकीला किया है और अपने शरीर का खून गार-गार कर स्वतंत्रता की आत्मा को सिंचित किया है! देश की एकता और अखंडता के लिये गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी थी। स्वदेश के दशरथ ने पूर्वांचल में आजादी का मंत्र फूका था। इसलिये पत्रकारों का सम्बन्ध सूचना विभाग से सीधा होना चाहिये।

अब उनको दी जानेवाली सुविधाओं का प्रश्न आता हूं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं कि उन्हें समाचार संकलन की पूरी और निश्चित सुविधा होनी चाहिये। जिस प्रकार से कि दिल्ली में रिफरेंस बने हैं उसी तरीके से यहां पर भी होना चाहिये ताकि वे रिफरेन्स आदि उससे देख सकें। मेडिकल फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की गई इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं तथ्यों के निरूपण के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं, मात्र आलोचना के लिय नहीं। इसलिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी पत्रकारों को प्रोवाइड की है। किन्तु उसका कार्यान्वयन अधूरे मन से नहीं होगा। जिम्मेदारी से अलग भागनेसे काम नहीं चलेगा थोड़ी सी भूल से लक्ष्मी कान्त तिवारी की मृत्यु हो गई। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत त्रिपाठी की विधवा के मिटते हुये सिन्दूर की लालिमा जब हम से प्रश्न करती है उनकी दवा में देर क्यों हुई तो हम सभी निरुत्तर हो जाते हैं, सारा सदन निरुत्तर हो जाता है। क्या आप उनकी जिन्दगी लौटा सकते हैं?

मान्यवर, मैं पत्रकारों की सिक्योरिटी के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा उन्हें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिये। छोटे-मोटे रूप से उनको यह सुविधो प्रदान की जाय, इससे काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा में अर्पण कर दिया है इसलिये निश्चित रूप से उनको सेक्योरिटी होनी चाहिये। आपको मालूम होगा कि गोरखपुर में ज्ञान पत्रकार की क्या परिणति हुई। प्रयाग के लीडर का क्या हस्र हुआ? मैं अपने मित्र माननीय टंडन जी से कहूंगा कि चूंकि वे भी एक पत्रकार हैं, उन्हें गम्भीरता से इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिये।

मान्यवर, जर्नलिस्टों की एक कालोनी खोलने के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि जर्नलिस्ट्स को सर्वस्व दिया जाय, मैं यह भी नहीं कहता कि उनको डिमारेलाइज किया जाय लेकिन जो उनका जन्मजात स्थायित्व हैं, उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिये। जब इस तरह की कालोनी अन्य दूसरे प्रदेशों में हैं तो कोई कारण नहीं है कि इन्हें भी वही सविधा प्रदान की जाय। मुझे पता चला है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में आदेश प्रसारित कर दिये हैं। लेकिन उन आदेशों को क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया। उनके दिल में पीड़ा होती होगी, उनको दर्द होता होगा। जब उन्होंने आज और संसार की उस पृष्ठभूमि में उस साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी तो उन्हें उस पृष्ठभूमि की विशेष स्थिति को देखते हुए इसमें निश्चित रूप से सुधार करना चाहिये और आदेशों की अवहेलना करने वालों को दंड देना चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करूं मकानों के एलाटमेंट के बारे में। पश्चिमी बंगाल जहां के लोग फुटपाथों पर सोते दिखलायी पड़ते हैं, यदि वहां एक दो सप्ताह के अन्दर पत्रकारों के लिये मकानों की व्यवस्था हो सकती है तो कोई कारण नहीं है कि हमारे यहां पत्रकारों के लिये मकानों के एलाटमेंट की व्यवस्था न की जाय और उन्हें मकान प्रोवाइड्स न किये जायं जब कि हमारे यहां की स्थिति पश्चिमी बंगाल जैसी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उदासीनता है, उपेक्षा का भाव है और टालने की प्रवृत्ति है। इसको सीरियसली लिया जाना चाहिये।

अब मैं स्कूटर के कोटे के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पत्रकारों को स्कूटर का कोटा दिया जाय, वह मैं इसलिये नहीं चाहता हूं कि वे बड़े आदमी कहलावें बल्कि मैं तो इस निश्चित मत का हूं कि धन का डिवेल्यूएशन होना चाहिये। डिवेल्यूएशन करेंसी में नहीं बल्कि मानव मूल्यों के संदर्भ में उसका डिवेल्यूएशन होना चाहिये ताकि पैसा न्याय पर हावी न हो। लोगों को सोशल जस्टिस प्राप्त हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि 2 के स्थान पर 10 स्कूटर का प्राविधान पत्रकारों के लिये होना चाहिये।

यहां पत्रकारों की दो यूनियन्स हैं दोनों जिनुइन हैं। सरकार की तरफ से डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि स्कूटर्स के आवंटन में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इसके साथ ही साथ मान्यता समिति 7 वर्ष में केवल दो ही वर्ष रही। मुझे एक-एक प्वाइंट को कहना है इसलिये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना कहूंगा कि यह दुखद स्थिति है। मैं चाहता हूं कि इस सारे सदन की जानकारी में जो और बातें हैं उनके विषय में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि नीचे के स्तर पर न जाकर जो कार्यक्रम है उसके प्रकाश में ही बात कर रहा हूं। यदि कहीं शिकायतें हैं गलतियां हैं, भ्रष्टाचार है जिनको कहना संगत नहीं समझते तो उन सारे तथ्यों की छानबीन करने के लिये और जनहित में प्रचार और प्रसार के लिये तथा प्रभावकारी ढंग से कार्य संचालन के लिये एक समिति के गठन करने की मांग आपके माध्यम से करता हूं।

एक बात और है। किसी पब्लिसिटी विभाग में मूवमेंट आवश्यक होता है कि इसके लिये उनको वेहिकिल्स सप्लाई किये जायें ताकि उनके अधिकारी प्रभावकारी ढंग से प्रचार कार्य कर सकें। ताकि रायबरेली, मुरादाबाद और देहरादून की पुनरावृत्ति न हो सके। विभाग की ओर से 35 हजार रुपये की कोई इमपोर्टेड गाड़ी ली गयी है, शायद वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से ली गयी है और निश्चित रूप से वह व्यक्तिगत प्रयोग में आती है। इसके दो वर्जन्स हैं। कुछ का कहना है कि वह ठप पड़ी है और कुछ का कहना है कि वह बाम्बे तक भेजी गयी थी लेकिन उसके इंस्ट्रूमेन्ट्स नहीं मिल सके और वह किसी गैरेज में पड़ी है। मान्यवर, ये गम्भीर बातें हैं और इस सदन को इसे गम्भीरता से लेना चाहिये और इस प्रवृत्ति को टालना चाहिये। प्रचार के लिये भी वेहिकिल्स की जरूरत पड़ती है। अखबार वाले प्रचार के लिये जायेंगे तो उनके लिये वेहिकिल्स देना पड़ेगा। जो प्रचार साहित्य होता है, उसके लिये भी गाड़ी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिये मंत्री जी ही हैं, यदि वे अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो अन्य जिम्मेदारी दी जाय। मान्यवर, प्रचार साहित्य का उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन सूचना विभाग में लोग भय के साम्राज्य में रहते हैं इसलिये मुंह नहीं खोलते। प्रचार साहित्य रेलवे बुकिंग से कई स्थानों पर नहीं पहुंचा है। इसके पहुंचने में समय अधिक लग जाता है। जब समय से चीज न पहुंचे तो उसका उपयोग बेकार हो जाता है।

मान्यवर, कुछ और बातें हैं जैसे प्रोक्योरमेंट का प्रश्न है, भाषा, हरिजन समस्याओं का प्रश्न है। इनका योजनाबद्ध प्रचार होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि प्रचार नहीं हुआ है। इनका प्रचार हुआ है और प्रकाशन भी हुआ है। लेकिन इसमें गतिशीलता होनी चाहिये, वह नहीं है। इस संबंध में न तो विभाग ने ध्यान दिया और न कोई योजना ही बनाई गई और न सरकारी दृष्टिकोण को पूरी तरह से परिचित कराया गया। प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में हिन्दुस्तान टाइम्स और फाइनेंस एक्सप्रेस में सप्लीमेंट आये जो बहुत अच्छे आये। इसको और अच्छा और व्यापक बनाया जा सकता है। हिन्दी समाचार पत्रों को भी दिया जाना चाहिये था। इनकी

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

उपेक्षा क्यों की गई है। अंग्रेजी ब्रिटिश दासता का चिन्ह है । अब उसे जाना ही चाहिये। वहां कोई प्रैसेस पसन्द नहीं करता वे उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं दूर से ही नियत होमिश कहकर अपना भाव व्यक्त करते हैं । हर विषय का अध्ययन उनकी भाषा में होता है। फिर भी मैं साहित्य की दृष्टि से उसका विरोधी नहीं हूं। मुझे मान्यवर, जाने का सौभाग्य मिला । हमें अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करना चाहिये। लेकिन श्रद्धा नहीं होनी चाहिये। श्रद्धा राष्ट्र भाषा के प्रति होनी चाहिये। हम अंग्रेजी के विकास में बाधक न हों लेकिन इसके साथ ही साथ हिन्दी के विकास में साधक हों।

मान्यवर, हिन्दी समिति में बड़ा झगड़ा है। सरकार द्वारा हिन्दी समिति को स्वायत्तशासी संस्था बनाने की घोषणा की गई थी। उसका इम्प्लीमेन्टेशन क्यों नहीं हुआ ? क्या इसमें नौकरशाही बाधक है ? इसके चेयरमैन ने त्याग-पत्र दे दिया है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है । इसका मर्जर ग्रन्थ एकेडेमी के साथ हो जाना चाहिये। इससे डुप्लीकेशन समाप्त हो जायगा। प्रेस नोट की क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिये। अब तक के प्रेस नोटों में बैक ग्राउंड मैटीरियल और कल्पना का अभाव है और सफल सम्पादन नहीं है। इसी प्रकार से टीचर्स सर्विस के लिये लोगों की एक साल पहले से नियुक्ति कर ली गई है लेकिन इसको अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

विज्ञापनों में छोटे समाचार-पत्रों की सहायता के लिये केवल 50 हजार रुपया रखा गया है, जो बहुत ही कम है और यह 5 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिये। साप्ताहिक 250 हैं इनकी उपादेयता की दृष्टि से सहायता की जाय। ऐसे पत्रों को विज्ञापन दे दिये जाते हैं जिनका सरकुलेशन बहुत कम है। कागज का उचित प्रयोग होना चाहिये। पी0 ए0 सी0 की आपत्तियों को दूर किया जाना चाहिये। इसी के साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ विभागों द्वारा समाचार-पत्रों को डायरेक्ट विज्ञापन दे दिये जाते हैं। इसमें ब्लैकमेलिंग होती है। इसलिये यह विज्ञापन सूचना विभाग के द्वारा ही दिये जाने चाहिये। छोटे स्तर के घृणित भूमिका वाले पत्रों पर अंकुश रखना चाहिये जो भले लोगों को ब्लैक मेल करके पैसा वसूलते हैं।

मान्यवर, यह देखने की बात है कि कितना ओवर एक्सपेंडीचर हो जाता है। ब्योरेवार मैं नहीं कह सकूंगा क्योंकि समय नहीं है। टूरिज्म पर और अन्य स्थानों पर बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडीचर हुआ है। इसके साथ-साथ मैं एक दो बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे कुछ भय भी लग रहा है। मैं आपकी कृपा से केवल लाल बत्ती से डरता हूं। वैसे मैं किसी से नहीं डरता। आपकी कृपा से भगवान से भी नहीं डरता हूं और चाटुकारिता तो मैं ईश्वर की भी नहीं करता।

अभी हजरतमहल पार्क लखनऊ में एक नुमाइश हुई थी। इस पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। इस पर 2 लाख की जगह साढ़े चार लाख का व्यय हुआ है। उस समय किया गया। और बिजली का अपव्यय हुआ। जब धरती प्यास के मारे तड़प रही थी, जब गांवों में बिजली नहीं जाती थी, ट्यूबवेल और नहर सूखी पड़ी थी और किसान हाथ मल रहा था। उस समय आपका हजरतमहल पार्क बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। यह जनहित की उपेक्षा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, महादेवी वर्मा की फिल्म बनी या नहीं। सैनानी सूची के पुनर्गठन का कार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोर्ड को दे दें। उत्तर प्रदेश पत्रिका बहुत अच्छी निकली है। उसका

गेट अप और जनरल कांटेंट अच्छा है। राष्ट्रीयगीत, स्वतंत्रता का इतिहास और पत्रकारिता की यात्रा के अच्छे कार्य हुये हैं। चेतना के स्वर और गुलामी से आजादी तक की रचनाएं प्रभावी हैं। स्वर में ऐसे कार्य हुये हैं जिन्हें पूरे सदन की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि सूचना विभाग सीधे-सीधे जनतन्त्र के अनुकूल एक उपादेय भूमिका अदा कर सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर के निवेदन करूंगा कि बजट की धनराशि तो वैसे ही नगण्य है उसमें कटौती करने का प्रश्न ही क्या है, करना भी चाहें तो इस से क्या और कम कर सकते हैं। यह वैसे ही कुल 46 लाख रुपया रह गया है जब कि यही बजट पहले 62 लाख का था। इस बजट को तो कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिये था वर्ना सूचना विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी और वह कोई सेवा कार्य न कर सकेगा। मैं हाउस में कहूंगा कि पिछले साल दैव योग से मैं चुनकर आया तो रुपया लेप्स हो गया था, मैं चाहता हूं कि इस साल उसका उचित उपयोग किया जाय। जो तथ्य मैंने रखे हैं उनके प्रकाश में मुझे आशा है कि हमारे मित्र माननीय टंडन जी और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर सूचना विभाग को जनतन्त्र के अनुरूप और उपयोगी बना सकेंगे।

*श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सूचना मंत्री जी ने अपने विभाग का जो अनुदान प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में कहा कि सूचना विभाग का कार्य सरकारी नीतियों को, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि सूचना विभाग का काम केवल सरकार की नीतियों और उसके कामों को ही जनता तक पहुंचाना नहीं है बल्कि जो जनता की भावनायें हैं जो उसकी प्रतिक्रियायें हैं, जो जनमत है उस को भी सरकार तक पहुंचाने का काम सूचना विभाग का ही है। अपनी नीति को और कार्यों को जनता तक पहुंचाने के अतिरिक्त सूचना विभाग का यह भी कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं को, उसकी भावनाओं को, उसकी प्रतिक्रियाओं को भी वह सरकार तक पहुंचायें। उसके माध्यम से जनता की भावनायें, जनता की प्रतिक्रियायें सरकार तक पहुंचें और उसके माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों की और मान्यता प्राप्त विरोधी दल के सभी नेताओं की भावनायें जो समय-समय पर अनेक विषयों पर प्रतिबिम्बित होती हैं वह शासन तक पहुंचें, जैसे इंगलैंड में शासन के मंत्रियों के वक्तव्य, वहां के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को अगर गवर्नमेंट प्रेस रिलीज करता है तो उसके साथ ही अपोजीशन पार्टी के लीडर का भी वक्तव्य और भाषण सूचना विभाग के माध्यम से पत्रों को दिया जाता है। यदि यहां का सूचना विभाग भी सही मानों में अपने कर्तव्य और उद्देश्य को पूरा करना चाहता है और यदि इस सरकार की लोकतंत्र में आस्था है और लोकतन्त्र को वह यहां सफल बनाना चाहते हैं उसे स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो उसके लिये यह आवश्यक है कि विरोधी दलों के नेताओं की भावनाओं को और उनकी प्रतिक्रियाओं को भी वही स्थान दिया जाय जो मंत्रियों और मुख्य मंत्री के भाषणों को और वक्तव्यों को दिया जाता है। जिस तरह से उनके वक्तव्य सूचना विभाग से प्रसारित और प्रकाशित होते हैं पत्रकारों को दिये जाते हैं उसी तरह से विधान सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के नेताओं के भाषणों और वक्तव्यों को भी सूचना विभाग के कार्यालयों से, उसके माध्यम से पत्रों में प्रकाशित होना चाहिये। परन्तु हमारे देश में जनभावना को प्रतिबिम्बित करने की बात तो क्या यहां तो अब कमिटेड जूडीशियरी, कमिटेड प्रेस और कमिटेड एक्जिक्यूटिव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह समझ में नहीं आ सकता कि कलकत्ते में सेशन हो वहां पर बंगाल की सरकार प्रदर्शनी लगाये तो ठीक लेकिन यहां के सूचना विभाग ने वहां पर प्रदर्शनी लगाई कांग्रेस के अधिवेशन में और वहां के अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यहां के साहित्य और प्रसारणों का पैकेट दिया गया। आप इस प्रदेश में क्या करना चाहते हैं इन सब को उस कांग्रेस के अधिवेशन में बांटने की क्या आवश्यकता थी? और यदि वह आवश्यक था और सारे देश को आप को बताना चाहिये था तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

कानपुर में जनसंघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में क्यों यहां के सूचना विभाग में उस साहित्य को वितरित किया और वहां क्यों नहीं प्रदर्शनी लगाई ? कांग्रेस का प्रचार केन्द्र बना लेते हैं, सूचना विभाग द्वारा कांग्रेस का प्रचार करना चाहते हैं । संगठन कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, आपने वहां पर क्या साहित्य बांटा, आपने वहां पर प्रदर्शनी नहीं लगायी ? आप सूचना विभाग को कांग्रेस के प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हैं, नेताओं का नहीं मंत्रियों और मुख्य मंत्री जो हैं उनका प्रचार हो रहा है, उनकी फोटोज छप रही हैं, उनकी पब्लिसिटी हो रही है । सूचना विभाग का जो पावन लक्ष्य था, जो सूचना विभाग को स्थापित करते समय उद्देश्य निहित था, उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं आपके विभाग का समान दृष्टिकोण होना चाहिये, समान व्यवहार होना चाहिये । अगर आप कलकत्ता में साहित्य बंटवा सकते थे तो आपको बी0 के0 डी0 के अधिवेशन, इलाहाबाद में और कानपुर के जनसंघ के अधिवेशन में बंटवाना चाहिये था । मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी जब जवाब दें तो अपने उत्तर में स्पष्ट करने का कष्ट करें कि यह दुर्लक्ष्य, यह मतभेद, यह भिन्नता क्यों उन्होंने की कि कांग्रेस के अधिवेशन में साहित्य बंटे और प्रदर्शनी लगे और अन्य दलों के अधिवेशनों में कुछ न किया जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब से इस विभाग को संभाला है उस समय से इनकी विभाजन की नीति रही है, विभाग को बांटने की इनकी नीति रही है । विभाग में में उनके कार्य करने के तरीकों से, इनके व्यवहार से एकरूपता आयी हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि विभाग बंटा है । इस विभाग में 2 प्रकार के अधिकारी हैं, एक सूचना प्रसार अधिकारी, न्यूज ओअिसर्स, हैं और दूसरे वे लोग हैं क्लर्कर्स हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, वे इस सचिवालय के अन्तर्गत आते हैं । इस विभाग में जो न्यूज अधिकारी हैं, वे इस विभाग के निदेशक के अन्तर्गत आते हैं । लेकिन जो अन्य लोग हैं उनकी छुट्टी आदि का नियंत्रण सचिवालय से होता है । यही नहीं, आपके प्रदेश में 2 पत्रकारों के संगठन हैं । हो सकता है कि आप किसी एक से संबंधित हों । आप स्वयं पत्रकार रह चुके हैं तो आपको चाहिये था कि आप इन दोनों संगठनों में मेल कराते, एक रूप लाते लेकिन आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया । और जो मान्यता समिति कई वर्षों से चली आ रही थी, पहले तो उसकी आपने बैठक नहीं होने दी और उसके बाद आपने मान्यता समिति को ही भंग कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर सभी जिलों के अन्दर मान्यता के लिये आपके सूचना विभाग में दरख्वास्तें पड़ी हुयी हैं और आपके निदेशक अस्थायी रूप स मान्यता दे देते हैं । पत्रकारों के जो प्रतिनिधि वहां बैठकर सोच सकते थे, जो उनके अधिकार हैं, आज आप उनसे उन्हें वंचित कर रहे हैं । मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब इस प्रदेश का सूचना मंत्री एक पत्रकार हो और उनके समय में पत्रकारों के अधिकार छीने जायं । आपको सामञ्जस्य बनाना चाहिये, मान्यता समिति बनानी चाहिये । कई सालों से मान्यता समिति की बैठक नहीं हुयी । आपके निदेशक जिसको चाहें उसको अस्थायी रूप से मान्यता दे देते हैं । इन दोनों संगठनों में जो मतभेद पैदा हो गया है, उसे दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए । दोनों संगठनों के प्रतिनिधि आकर दोनों को मान्यता दें लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इसका परिणाम यह हुआ कि वह मान्यता समिति भंग कर दी ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । हमारे माननीय द्विवेदी जी ने पत्रकारों की बड़ी वकालत की है कि उनको बड़ी सहूलियतें मिलनी चाहिए । मैं समझता हूं कि इससे सभी सहमत होंगे परन्तु इन सुविधाओं के नाम पर सूचना मंत्री अपने अधिकार से वितरित करें, चाहे उन्हें पक्ष करने का और विरोध करने का अवसर मिल जाय । सारे स्कूटर्स परिवहन विभाग से वितरित किये जाते हैं । आप पत्रकारों को स्कूटर्स आबंटित करने का कार्य आप क्यों करें ? अगर वरीयता के आधार पर वितरण होता है तो पत्रकारों को भी वरीयता के आधार पर दें लेकिन सूचना मंत्री ने इन पत्रकारों को बांटने का विशेष अधिकार क्यों अपने पास रखा है ? आप जिस पत्रकार को चाहें उसे दे दें और जिसको न चाहें उसे

न दें। इससे पत्रकारों में भी गुटबाजी हो जायगी। आप जिससे प्रसन्न हों, उसको तो एलाट कर दें और आपके समाचार प्रकाशित न करें, उसको न दें। इसलिये सारे प्रदेश के लिये स्कूटर के आवंटन का एक आधार होना चाहिये। सरकारी अधिकारियों के स्कूटर का आवटन चीफ सेकेटरी नहीं करता, परिवहन विभाग ही करता है। जो आवंटन समिति बनी है, वही करती है तो पत्रकारों को भी स्कूटर का आवंटन वही समिति करे। इस संबंध में सूचना मंत्री को विशेष रूप से अधिकार देने की, मैं समझता हूं, कोई जरूरत नहीं है।

हिन्दी समिति, एक अच्छ[illegible]म था। यह प्रदेश हिन्दी-भाषी प्रदेश है। हिन्दी भवन बने और हिन्दी को प्रो[illegible]हन मिले, हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखवाई जांय और उनको सारे देश के अन्दर भेजा जाय, यह अच्छी बात है। लेकिन हिन्दी समिति भी एक सफेद हाथी साबित हुई। जितनी पुस्तकें छपवाईं, उनको बेंच नहीं पाये क्योंकि उनके इतने ऊंचे मूल्य रखे गये कि हजारों पुस्तकें वैसे ही पड़ी हैं। हिन्दी समिति ने बहुत से लोगों से पाण्डुलिपि ले लीं, लेकिन उनको छपवाया नहीं, बहुत से लोगों से किताबें लिखवा लीं और छपवाया नहीं और उन्हें कुछ पैसे दे दिये। तो इस प्रकार इसका समन्वय होना चाहियें, एक नीति निर्धारित करनी चाहिये कि जिससे पांण्डुलिपि ले ली जाय, तो उसको छपवाना चाहिये, जिससे पुस्तक लिखवा ली जाय तो उसको छपवाना चाहिये। लेकिन जो पुस्तकें छपी, उनका प्रचार नहीं हुआ और उनके इतने ऊंचे मूल्य रखे कि पुस्तकों का अम्बार लग गया। इसलिये अच्छा हो कि उनकी कीमत को 50 प्रतिशत घटाकर उनको बेचा जाय और आगे जो पुस्तकें छपवायी जांय, ऐसी मौलिक पुस्तकें छपवायी जांय, और उनका मूल्य इतना ऊंचा न हो कि वे बिक न सकें। पुस्तक छपने में भी घोटाला हुआ। कितना कागज चाहिये था, और कितना खरीदा गया।

मान्यवर, आज हम देखते हैं कि अखबारों में विज्ञापन देने का कोई आधार नहीं है। उस संबंध में सरकार की कोई निश्चित नीति होनी चाहिये। विज्ञापन सर्कुलेशन के आधार पर देना चाहिये। यह नहीं कि जो अखबार आपकी और आपकी सरकार की तारीफ करे, उसको ही ज्यादा विज्ञापन दें। कांग्रेस का मंदलीय सम्मेलन हो रहा ह। उस पर बहुत अखबारों ने विशेषांक निकाले। आपने उनको खूब विज्ञापन दिया। रायबरेली और बदायूं में एस0 एफ0 डी0 स्कीम पर एक सप्लीमेंट निकाल दिया। यह आपकी नीति है कि कुछ लोगों को विशेष लाभ पहुंचाया जाता है। सरकार की यह विभेदपूर्ण नीति अच्छी नहीं। मान्यवर, प्रेस का संबंध सूचना विभाग से है और सूचना विभाग का संबंध लोकतंत्र से है। अगर लोकतंत्र का खाली ढोल नही पीटना है, अगर लोकतंत्र में आपको विश्वास है, तो सभी अखबारों को समान रूप से विज्ञापन दें, और उस संबंध में स्वस्थ नीति निश्चित करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो सूचना मंत्री की या उनकी सरकार की आलोचना करें, उन अखबारों को भी आपको संबर्धन करना चाहिये मान्यवर, जो छोटे-छोटे जिले हैं, वहां पर जो पत्र निकलते हैं, उनको भी विज्ञापन मिलने चाहिये। क्योंकि छोटे जिलों के अन्दर के पत्र उतना नहीं बिकते हैं। छोटे जिलों की जो समस्यायें हैं, जो घटनायें हैं, वे दिल्ली के हिन्दस्तान टाइम्स या लखनऊ के नेशनल हेराल्ड में नहीं आती हैं। बदायूं की खेती और सड़कों की दशा का वर्णन लखनऊ के पत्रों में नहीं आ सकता है। उसके लिये उनका एक सप्ताहिक पत्र हो सकता है। उनका भी संवर्धन करें। वह नीति स्वस्थ नीति होनी चाहिये, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो सूचना मंत्री और मुख्य मंत्री के गुणगान करेगा, उन्हीं को विज्ञापन मिलेगा, यह शासन को शोभा नहीं देता। मान्यवर, पहले एक कहावत कही जाती थी कि यदि राजा पक्षपात करेगा, तो जनता भी पक्षपात करेगी। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, त्रिपाठी जी की सरकार और उनके मंत्रियों ने पक्षपातपूर्ण काम करके, विभेदपूर्ण काम करके, सारे कर्मचारियों और सारे प्रशासन को एक-पक्षीय बना दिया है और उनके विवेक को हानि पहुंचाई है।

प्रदर्शनी के बारे में कहा गया कि आपने प्रदर्शनी लगायी। लेकिन ऐसे समय में लगायी जबकि बिजली नहीं थी और लाखों रुपये का अपव्यय हुआ। आप जानते होंगे कितने लोगों ने प्रदर्शनी में

[श्री कृष्ण स्वरूप वश्य]

भाग लिया । मैं इस बात से सहमत हूं कि 'उत्तर प्रदेश' नाम की हिन्दी मासिक पत्रिका जो निकलती है वह अच्छी है । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की हिन्दी पत्रिकायें और निकलनी चाहिये, इससे काम अच्छा होगा ।

आपका विभाग राष्ट्रीय पर्वों को मानता है और उनका आयोजन करता है । सूचना विभाग की जो पत्रिका है उसमें जिन कामों का वर्णन किया गया है उनमें राष्ट्रीय पर्वों का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से आप गांधी जयन्ती मनाते हैं, मैं आपके माध्यम से सूचना मंत्री से तथा सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के संविधान की जिसने रचना की,जिसने पिछड़े हुये पद-दलितों को ऊंचा उठाया, ऐसे महान् व्यक्ति स्वर्गीय, श्री भीमराव अम्बेदकर की भी आप जयन्ती मनायें । यह एक ऐसा काम होगा जिससे सारा देश यह जान सकेगा कि आज वह दिन है जिस दिन पिछड़े हुये, दबे हुये लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ करता था,एक समाज में स्थान दिया और जिसने इस देश के संविधान की रचना की । इस लिये जिस प्रकार बापू की आप सरकारी तौर से जन्यती मनाते हैं उसी स्तर पर इनकी जयन्ती मनाई जाय । मान्यवर, दो मिनट और दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप बैश्य--

मुझे मालूम हुआ है कि आप 13 न्यूज आफीसर्स की और पोस्ट क्रियेट कर रहे हैं सम्भवतः बजट में उनको दिखाया नहीं गया है । इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो न्यूज आफीसर्स इस समय विभाग में हैं उनके पास ही काम नहीं है तो नई पोस्ट क्यों क्रियेट की जा रही है । एक दूसरी बात इसी सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आपने तीन फीचर्स आफीसर्स बनाये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने फीचर्स लिखे हैं,फीचर्स तो न्यूज आफीसर्स लिखता है लेकिन जिनसे आप प्रसन्न थे, उनको आपने फीचर्स आफीसर बना दिया और पुरस्कृत कर दिया, लेकिन आपके विभाग में ही न्यूज आफीसर्स 15-15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक स्थायी नहीं किया लेकिन आपने बहुत से लोगों की वरीयता को लांघ कर उनको फीचर आफीसर्स बना दिया ।

आपके यहां प्रेस टुअर्स होते हैं उनमें 5 तो प्रेस वाले होते हैं और 10 आपके विभाग के, मैं समझता हूं कि यह विभागीय टुअर्स हैं न कि प्रेस टुअर्स । आप इसको भी देखें । मैं यह भी चाहूंगा कि सारे जिले में सूचना विभाग के कार्यालय खुलें और हर जिले में एक सूचना अधिकारी हो । जिस प्रकार से वाचनालय यहां है उसी प्रकार से प्रत्येक जिले में खोलने की व्यवस्था की जाय ।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । विधान सभा की कार्यवाही के लिये जितना स्थान समाचार-पत्रों में मिलना चाहिये, उतना नहीं मिलता । इसके लिये मैं पत्रकारों को दोष नहीं देता बल्कि सूचना विभाग को देता हूं । लोकसभा की कार्यवाही के लिये जितना स्थान दिल्ली के समाचार-पत्रों को मिलता है, उतना यहां के अखबारों में नहीं मिलता । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस सदन के बैठने से पहले 11 बजे तक जितने प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं उनकी प्रतियां पत्रकारों को भी उपलब्ध हों, जिस प्रकार से काउन्सिल में होता है और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि पत्रकार विधान सभा की कार्यवाही को, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को जो विधान सभा में प्रतिबिम्बित होती हैं उनको समुचित स्थान दें और अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक सामग्री जो विधान सभा से संबंधित होती हैं उनको छापें । पहले एक लाउड स्पीकर बाहर लगा रहता था जिससे कि जो लोग गलरी में नहीं आ सकते थे वह बाहर सुन लिया करते थे । हम लोग जो यहां कहते हैं मतदाता को वह जानना चाहिये । सूचना विभाग

प्रेस रिलीज भेजता है तो उसमें सब प्रश्नों के उत्तर भेजे जाने चाहिये। आप इसके लिये समाचार पत्रों के संपादकों से बात करें जिससे कि विधान सभा की कार्यवाही को अधिक से अधिक स्थान मिले। अन्त में मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि यह हिन्दी प्रदेश है, हिन्दी का प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए, मान्यता समिति की स्थापना होनी चाहिए और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार महात्मा गांधी की जन्यती मनाती है उसी प्रकार से भीमराव अम्बेदकर की भी जयन्ती मनायी जानी चाहिये।

*श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह बजट केवल 46 लाख 75 हजार रुपये का है। हमारे प्रदेश का कुल बजट लगभग 76 करोड़ का है। हम कुल बजट का आठ आना प्रतिशत भी इस महत्वपूर्ण विभाग पर खर्च नहीं कर रहें हैं। यदि आठ आना प्रतिशत भी इस विभाग पर खर्च करें तो इस सूचना विभाग का बजट 3 करोड़ का होना चाहिये।

जो पुस्तकें सूचना विभाग ने प्रकाशित की हैं तो पहले उद्देश्यों में लिखा है कि जनतंत्र में समस्त अधिकार जनता में निहित होते हैं इसलिये राज्य का सारा काम जनता की इच्छानुसार जनता को शासन की गतिविधियों से अवगत कराते हुए किया जाता है। जिस प्रदेश की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा हो, जिसमें 54 जिले हों, जिसकी लम्बाई चौड़ाई इतनी अधिक हो वहां आप इतना कम व्यय कर रहें हैं इस विभाग पर तो यह कैसे सम्भव है कि हम सूचनाओं को जनता तक पहुंचा सकें और सरकार क्या कर रही उसको जनता तक पहुंचा सकें। आपने इस पुस्तक में लिखा है कि जनवरी, 1972 से फरवरी, 1973 तक 2,445 संवाद, 180 लेख अखबारों में दिये। यह भी इसमें लिखा है कि कार्यालय प्रातः 10 बजे से 9 बजे रात तक खुला रहता है। रविवार और अवकाश के दिन भी खुला रहता है। अगर आप हिसाब लगायें तो 7 समाचार एक दिन में पड़ते हैं। आपके 40 विभाग हैं। उनकी कितनी समस्यायें हैं यह आप समझ सकते हैं। कितनी सूचना आप जनता तक पहुंचा रहे हैं इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। श्रीमन्, प्रतिदिन हम अखबार पढ़ते हैं और कोई दिन ऐसा दिन नहीं जाता कि इन 40 विभागों में से 10 या कभी कभी 15 विभागों के बारे में चर्चा न रहती हो। यदि उनका प्रतिवाद भी किया जाय तो उससे ज्यादा समाचार देने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि रुपये की कमी के कारण सूचना विभाग जनतंत्र की महत्वपूर्ण सेवा नहीं कर पा रहा है। श्रीमन्, अभी दो महीने पूर्व उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने एक दिन की प्रतीक हड़ताल की थी और अपनी मांगों का एक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। श्रीमन्, उनकी मांग यह थी कि 6 साल पहले द्वितीय वेतन आयोग पत्रकारों के लिये गठित किया गया था। इन 6 वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिये तृतीय वेतन आयोग की नियुक्ति की जाय। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संस्तुति भारत सरकार को करें क्योंकि यह मामला भारत सरकार का है। मैं नहीं समझ पाया कि जब प्रदेशीय सरकार नेअपने कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग गठित किया है तो फिर पत्रकारों के लिये तृतीय वेतन आयोग की जो मांग है उसकी भारत सरकार को संस्तुति क्यों नहीं की जाती है। सरकार को यह कार्य शीघ्र करना चाहिये और जब तक भारत सरकार वेतन आयोग गठित न करे तबतक राज्य सरकार पत्रकारों को अन्तरिम सहायता देने की घोषणा करे। यह कई मानों में आवश्यक है। महंगाई बहुत बढ़ गई है और पत्रकार को जो वेतन मिलता है उससे वह अपना और अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता है।

श्रीमन्, कुछ अन्य सुविधायें भी दूसरे राज्यों ने पत्रकारों को दे रखी हैं। दिल्ली, हरियाना और मध्य प्रदेश राज्यों में उनको आवास की सुविधा दी जाती है। यह सरकार जनतंत्र की दुहाई देती है तो मैं कहता हूं कि इस प्रकार की सुविधा उनको दी जाय। स्थानीय निकायों और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश गांधी]

सरकारी मकानों में उनके लिये कुछ प्रतिशत मकान रिजर्व किये जा सकते हैं। यह प्रतिशत आप 5 या 7 प्रतिशत जो भी उचित समझें हो सकता है। अभी हाल ही में केरल सरकार ने पत्रकारों को बस की सुविधा दी है। उनको जगह जगह पर जाकर जनता की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। अगर यह सुविधा उनको मिल जाय तो वे आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। आपने जो सुविधा बसों के बारे में विधायकों को दे रखी है वह पत्रकारों को भी दे दी जानी चाहिये। यह जो आपके सूचना अधिकारी हैं यह पहले विभागों से सम्बद्ध थे लेकिन कुछ दिनों से मन्त्रियों से सम्बद्ध कर दिये गये हैं, इस कारण विभागों के कार्यों की पब्लिसिटी नहीं हो पाती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो सूचना अधिकारी है वह मन्त्रियों के बजाय विभागों से अटैच किये जायं। मान्यवर, 54 जिलों में अभी 19 जिलों में ही सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, 33 जिलों में नहीं हैं।

श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीश गांधी--

मान्यवर, 19 जिलों में जहां जिला सूचना अधिकारी हैं उनमें से एक जिला अलीगढ़ की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां जिला सूचना अधिकारी के पास जीप नहीं है और जो जीप है, वह जिलाधीश के चार्ज में रहती है। परिणाम यह होता है कि वह कहीं भी जाकर यदि कोई सूचना एकत्रित करना चाहे तो नहीं कर पाता और जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो न ही वह पत्रकारों को ले जा पाता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा शासन कि यह बड़ी आवश्यक बात है कि जहां जहां आपने जिला सूचना अधिकारी आपने नियुक्त किये हैं वहां सुविधायें दें जीप की और दूसरे उन्हें वहां पर कार्यालय, आवास, स्टेशनरी और कागज इत्यादि की भी आवश्यक सुविधायें प्रदान करें। होता यह है कि जिला सूचना अधिकारी केवल जिला अधिकारियों की प्रशंसा करने के कार्य में लगे रहते हैं। जिलाधीश ने कहां उद्घाटन किया, कहां गये उसी की खुशामद में और खुश करने में ही वह लगे रहते हैं। तो शासन के उनको यह आदेश होने चाहिये कि शासन की नीतियां क्या हैं और जिले के अन्दर जितने विभाग हैं, कृषि है शिक्षा विभाग है, सामुदायिक विभाग इत्यादि उनके मातहत जो कार्य होते हैं जिले में उनको हाई लाइट करें।

जो आपका साहित्य प्रकाशित हो रहा है जिला लेविल पर, वह ब्लाक लेविल पर करें। 800 ब्लाक हैं पूरे प्रदेश में और एक ब्लाक स्तर पर ब्लाक अधिकारी होता है। जितने भी काम होते हैं सचमुच वह उनके द्वारा ही गांव वालों तक पहुंचते हैं और उसी से उनका संबंध होता है। यदि जिला लेविल पर आप रखते हैं तो गांव तक वह पहुंच नहीं पाते और न ही वह ब्लाक के व्यक्तियों के लिये उपयोगी होते हैं। दूर दूर के ब्लाकों के बारे में आप जानकारी करें। इसलिय मेरा सुझाव ह कि आप जो भी साहित्य बनायें वह ब्लाक स्तर पर भी बनायें जिससे कि उस ब्लाक के अन्तगत जितन गांव हैं उन गांवों के लोग उसका फायदा उठा सकें।

आपका एक फिल्म विभाग है। उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि आपकी कुछ फिल्में ऐसी भी बनती हैं जिनकी उपयोगिता नहीं होती। मिसाल के लिये लखनऊ की बाढ़ पर एक फिल्म बनी और जब बाढ़ समाप्त हो गयी उसके 6 महीने या साल भर बाद वह फिल्म बन कर आयी और आज तक किसी को कहीं भी दिखायी नहीं गयी। बाढ़ पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? उससे आप कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं और वह भी तब जब कि बाढ़ निकल गयी उसके साल भर बाद। फिल्म तो आपको ऐसी बनानी चाहिये कि प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, वह कैसे रुकें, साम्प्रदायिक झगड़ों की आग अक्सर सुलग जाया करती है वह कैसे रोकी जा सकती है, जाति-पांति का भेदभाव कैसे घटाया जा सकता है। आज और भी

समस्यायें हैं। जैसे, गल्ले की वसूली एक तत्कालिक विषय है। इस पर हमारी फिल्म बननी चाहिये। किसानों को एजूकेट करिये कि शासन क्या चाहता है इस स्कीम के अन्तर्गत। हमारी क्रैश स्कीम्स चल रही है। इन सबकी जानकारी देने के लिये भी हमारी फिल्में बन सकती हैं। इसके अलावा जो विधवाओं,वृद्धों और राजनीतिक पीड़ितों को जो पेन्शन मिल रही है,बिजली के संकट के समय हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या जनता का कर्तव्य है,इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है जिनका जनता से सीधा सम्बन्ध है उनकी जानकारी देने के लिये फिल्म बनें तो अच्छा होगा। सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा के ऊपर फिल्म बनाना भावनात्मक दृष्टि से तो है कि हम किसी साहित्यकार का सम्मान करते हैं लेकिन जो प्रदेश की समस्यायें हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, हरिजनों पर अत्याचार, साम्प्रदायिकता आदि, इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। फिल्मों का सम्बन्ध हमारी वर्तमान समस्याओं से होना चाहिये। अभी थोड़े दिन पहले रायबरेली की घटना भी हमारे सामने हुई कि पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया और समय से पूर्व वे पहुंच नहीं सके। एक सुझाव उस समय भी आया था और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि वी0आई0पी0 का जो कन्वाय बनता है उसके नियमों में प्राविजन कर दिया जाय कि पत्रकार भी उसमें शामिल होंगे तो अच्छा होगा। फिर इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं घटेगी।

मैं और ज्यादा न कहते हुये केवल इतना निवेदन करूंगा कि सूचना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें कोशिश करनी चाहिये कि इसका बजट बढ़े। म आपके माध्यम से वित्त मंत्री से भी और कैबिनेट से भी और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना विभाग हमारे प्रदेश का एक नेगलेक्टेड विभाग है। उस पर उचित ध्यान न देने का ही परिणाम है कि आज जनतंत्र में हमारे लोगों की आस्था मानो कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे मालुम है कि मेरे यहां टेस्ट वर्क्स में बहुत काम हुआ है। यह सूचना विभाग का काम है कि जो भी काम शासन कर रहा है उसकी अधिक से अधिक पब्लिसिटी हो। आज एक सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता भी है। सूचना विभाग का यह भी कत्तव्य है कि इस ओर ध्यान द और बालकों और युवकों के लिये अच्छा साहित्य निकाले बजाय इसके कि मोटी मोटी पुस्तकें निकाल रह ह और बड़े-बड़े दाम उसक रखते हैं। श्रीमन्, मने अभी रूस में जाकर देखा कि वहां का सूचना विभाग छोटी-छोटी पुस्तकों बहुत सस्ते दामों पर प्रकाशित करता रहता है और वह विद्यालयों में विद्यार्थियों में पहुंचाता है। श्रीमन्, मैंने देखा कि वहां पर हर बालक बालिका के हाथ हाथ में सूचना विभाग की कोई न कोई पुस्तक या पुस्तिका होती है और उन्ह ज्ञान रहता है कि देश और प्रदेश में सरकार की ओर से क्या क्या काम हो रहे हैं और आगे होंगे। तो ऐसे ट्रीटाइजेज निकालने जरूरी है जिससे बालक बालिकायें प्रभावित हों और उनको जानकारी होती रहे तो अच्छा होगा।

इसी तरह से बालक बालिकाओं की बहुत सी समस्यायें हैं। उनमें राउडिज्म हैं, उनमें अनुशासन हीनता है। उनके लिये अच्छी फिल्में इस विषय में बनायी जा सकती हैं। चिड़ियों और जानवरों पर ज्यादा फिल्में न बना कर ऐसी फिल्में बनाई जावें जो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण रचनात्मक बना सकें तो देश और प्रदेश का अधिक कल्याण हो सकेगा। इतना कह कर मैं इस मांग का समर्थन करता हुं और कहता हूं कि इस अनुदान में रुपया कम है और इसमें और रुपया बढ़ाया जावे।

*श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सूचना विभाग के अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं। आज इस प्रदेश में जो सूचनायें सूचना विभाग की तरफ से प्रकाशित होती है उनको देखने से पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जिले में, जैसे अन्य जिलों में सूचना विभाग है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं होता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

जिसमें पब्लिक की आवश्यकता की सूचनायें दी जाती हो। सरकार की नीतियां क्या हैं उनके सम्बन्ध में पब्लिक को ज्ञान कहां कराया जाता है? हमारे जिले में तो मैं देखता हूं कि सूचना अधिकारी सिवाय कलेक्टर के यहां बैठे रहने के और क्या काम करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह क्या काम कर रहा है या क्या करेगा। छोटे छोटे अखबार वाले हैं जिनको मान्यता नहीं हैं उनके साथ वे सिवाय ब्लैक मेल करने के और कोई काम होता नहीं है। ऐसे दो सौ ढ़ाई सौ अखबार होंगे लेकिन उन सबकी यही हालत रहती है। इस डर के मारे वे इन अधिकारी लोगों की तारीफ ही करता रहता है। बड़े बड़ अखबारों की भी यह हालत है कि हाउस में यहां जो कुछ होता है उसका भी ज्ञान लोगों को नहीं होता। कहीं कुछ मामूली सी बात निकाल दी तो निकाल दी, यह निकल जाता है कि फला एम0 एल0 ए0 ने यह कहा कि एक लाइन में निकाल दिया लेकिन उसने जो कुछ महत्व की बात कही है और जितनी भी महत्व की बात है वह नहीं आतीं। सूचना विभाग का यह कर्त्तव्य है कि वह इन बातों को इस तरह से प्रेजेन्ट करे जिससे लोगों को सारी बातें मालूम हो जायें। जो हरिजनों के प्रति अत्याचार होते हैं उसके बारे में जनता को पता ही नहीं चलता है कि सरकार उनके बारे में क्या करने जा रही है या क्या करेगी, यह कहीं नहीं हमें अखबारों में मिलता। गांवों की जनता को आज हजारों परेशानियां हैं उसके लिये उनको सही सूचना मिले इस सिलसिले में सूचना अधिकारी बहुत काम कर सकता है। लेकिन होता क्या है। जैसा मैंने अभी कहा कि सूचना अधिकारी कलेक्टर साहब की खुशामद तक अपना काम समझते हैं। लाखों रुपयों का सामान पड़ा रहता है, रेडियो पड़े हुये है, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है लेकिन यह सब क्या होता है। सूचना मंत्री साहब कहेंगे कि यह विभाग बड़ा अच्छा प्रचार का कार्य कर रहा है लेकिन सारी बातें पब्लिक को मालूम नहीं है कि सूचना अधिकारी क्या करता है और सूचना विभाग उनके लिये क्या क्या कर रहा है और क्या आगे करने वाला है। हम थोड़े पढ़े लिखे लोग तो थोड़ा बहुत जानते होंगे लेकिन जिले में पता नहीं है कि सूचना अधिकारी क्या काम कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि सूचना अधिकारी की जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं, उसके अधिकार क्या-क्या है? सरकार ने उनको सूचनायें निकालने के लिये कहा। जहां 10 हजार का काम होगा तो दो हजार रूपये तक खर्च कर दिया गया और एक पाम्पलेट निकाल दिया। छोटे छोटे फिल्म जो बनाये जाते हैं तो उनको भी कोई नहीं देखता। सूचनाधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं। हमें नहीं मालूम इस विभाग से क्या लाभ है। पहले इस विभाग को तोड़ दिया गया था, मगर फिर कायम कर दिया गया। यह विभाग बिलकुल भांड़ की तरह है जो सरकार की सदैव प्रशंसा ही किया करता है। लोगों की भलाई का कोई काम नहीं करता। जो भी सरकारी साहित्य होता है वह गांव तक नहीं पहुंचता है। गांव वालों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है। केवल एक डायरी जरूर हम लोगों को मिलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। पता नहीं उस पर भी कितना रुपया व्यर्थ खर्च होता होगा? यह अधिकारी यदि करना चाहे तो बहुत काम कर सकते हैं। प्रदेश में आज खाद्य की समस्या है, सीमेंट की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी दे सकती है। लोगों को यह पता ही नहीं रहता कि कब बिजली में कटौती कर दी जायेगी। यकायक जब बिजली कट जाती है तो लोगों को परेशानी होती है।

मान्यवर, देखा जाय तो पता चलेगा कि इन सूचना अधिकारियों का काम केवल यही रह गया है कि वे जब भी मंत्री जी जाय तो उनके फोटो आदि छाप कर भेज दें। समाज में कितनी ही त्रुटियां हैं जिनकी ओर यह विभाग जनता का ध्यान आकर्षित कराता रहे तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है, मगर इधर इसका ध्यान नहीं रहता। जनता को किस बात की तकलीफ है, जनता की क्या परशानियां हैं, उनकी क्या मांगे है, इन सबकी ओर को भी यह लोग सरकार का

ध्यान आकर्षित नहीं करते। कभी डी0 एम0 की तारीफ लिख कर भेज देंगे तो कभी मंत्री जी के दौरों के बारे में लिख कर भेज देंगे। जो भी लिटरेचर यहां से जाता है वह जनता को तो पढ़ने के लिये मिलता ही नहीं है। वहां पर जिलों में कोई भी दफ्तर या रीडिंग रूम ऐसा नहीं है जहां पर जनता जाकर उसे पढ़ सके और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिये कोई सविधा प्रदान नहीं की गयी है। सरकार को चाहिये कि वह हर जिले में एक रीडिंग रूम की व्यवस्था कराये।

(इस समय 4 बज कर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात और कहना चाहता हूं। छोटे-छोटे अखबार वाले जो ब्लेकमेल करते हैं उनको रोकिये। एक अखबार ने अगर साल भर में एक खबर किसी जिलाधिकारी के खिलाफ निकाल दिया तो अधिकारी उसे दवाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी बात निकाल दें तो दबाने की कोशिश करें। छोटे-छोटे अखबारों पर प्रतिबन्ध लगाइये। ये हर आदमी की बदनामी करने को तैयार रहते हैं। वहां के अधिकारी भी अखबारों से दबे रहते हैं। जितने अखबार वाले हैं किसी की राशन की दूकान है, किसी ने किसी का कोटा ले रखा है। ब्लैक मेलिंग का काम कर रखा है। छोटे-छोटे अखबार ने क्या कर रखा है? जाकर डी0 एस0 ओ0 से दुकान ले रखी है, मुकदमे में पहुंच गये। छोटे-छोटे अखबार वालों की वजह से चैन नहीं है। सूचना अधिकारी आप से इस बात को कहते ही नहीं हैं।

एक बात और कह दूं। प्रचार के तरीके से आप कोई काम नहीं करवा रहे हैं। पहले सूचना अधिकारी कुछ लोगों को गांवों में ले जाकर प्रचार के रूप में फंक्शन करवाते थे ताकि जनता को पता हो जाय कि सरकार की क्या नीतियां हैं और उनको कैसे अपनाया जाय। सूचना अधिकारी किस मर्ज की दवा हैं। सिवा इसके कि यहां से लिटरेचर छपवा कर भेज दिया जाता है उसको पढ़ने की भी ख्वाहिश कोई नहीं रखता। किसी जिले का सूचना अधिकारी सही बातों की सूचना पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। आज कोर्टों को देखिये। हाईकोर्ट का तो अखबारों में निकल आता है लेकिन जिले के सूचना अधिकारी कभी नहीं कहेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति न ऐसा क्राइम किया था उसके साथ यह हुआ। अगर वह इस बात को कर तो जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको रोकने में मदद मिले। कम्युनल रायट्स होते हैं उनको रोकने के लिए पहले से सरकार को सूचना नहीं देते कि कम्युनल रायट्स होने वाला है। सूचना अधिकारी का कोई काम नहीं है। जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचती। कम से कम इस काम को करवाएं।

गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं वहां आपकी सचना का काम ही नहीं है। छोटे-छोटे ऐसे केन्द्र बना दें, जहां सूचना के तरीके से लोग पढ़ें। लोगों में ऐसा प्रचार करवा दें कि लेबर को इससे यह-यह फायदा होगा या गरीबों के लिये हम यह यह करने जा रहे हैं। किसी को सूचना नहीं है। जब तक सूचना अच्छी नहीं होगी कोई देश उन्नतिशील नहीं बन सकता। सूचना विभाग का कुछ काम नहीं है सिवा इसके कि साल भर के बाद कलेंडर और डायरी दे दिया ताकि खुश हो जायं। सूचना का कार्य आप नहीं कर पायेंगे। अखबार निकलते हैं, पढते हैं, उनमें मंत्रियों की बात पढ़ लेते हैं। कोई दूसरा आदमी सही सजेशन भी दे दे तो क्यों नहीं निकलता है? इस बात को सूचना अधिकारी नहीं देखता। क्योंकि उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी गयी है कि आपको सरकारी प्रचार ही करना है। जो चीजें हैं उनको आप छिपा नहीं पायेंगे। सूचना अधिकारी इस बात को देख लें कि इन चीजों से कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है। उनको रोकने के लिये कौन सा साधन है। आप डी0 एम0 की रिपोर्ट पर कायम रहना चाहते हैं। सूचना अधिकारी आपका ऐसा मजबूत हाथ है कि आपका वह सारा काम कर सकता है लेकिन डी0एम0 की सूचना सही मानी जाती है और सूचना अधिकारी की सही नहीं मानी जाती क्योंकि वह इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वह इंडिपेंडेंट हो जो उसके माध्यम से सूचना को आप अच्छी तरह से संग्रह कर सकते हैं और उससे आप जनता की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। छोटे-छोटे

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

बच्चों की किताबें आप संग्रह कर सकते हैं, गरीब बच्चों को वह किताबें आप उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना के आधार पर हमारे यहां के हर आदमी को देश तथा प्रदेश की सूचना की जानकारी हो सकती है कि कितने करोड़ रुपया अमुक डैम पर खर्च किया गया, कौन सा कंस्ट्रक्शन कहां पर हो रहा है और कौन से बड़े बड़े काम हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। इन चीजों पर आप ध्यान दें और केवल तारीफ का काम ही सूचना अधिकारियों से मत कराते रहिये और अपने ऐबों को छिपाते रहिये, इससे काम चलने वाला नहीं है।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं। जितने भी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह समझ में आता है कि सूचना विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से हम यह अपेक्षा करते हैं कि शासन की नीतियों का यह निर्देशन करे तथा प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि का यह दिग्दर्शन कराये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस विभाग के प्रति उपेक्षा की नजर रखी जा रही है और सबसे कम बजट इस विभाग का है। सूचना विभाग के सूचना अधिकारी कितना काम करते हैं लेकिन उनको वेतन अपर डिवीजन एसिस्टेंट्स के बराबर दिये जाते हैं। अधिकतर ये मिनिस्टरों के साथ जाते हैं और उनके साथ रह कर जिस प्रकार के काम की उनसे अपेक्षा की जाती है वह उनसे पूरी नहीं हो पाती। हरियाना प्रदेश सबसे छोटा प्रदेश है लेकिन वहां 13 लाख रुपया प्रति वर्ष इसलिये दिया जाता है कि पत्रकारों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायं जिससे ये अच्छे-अच्छे संवाद दे सकें और प्रदेश में शासन सुदृढ़ हो सके। हमारे प्रदेश में कुल बजट इस विभाग का 50 लाख का है और अपेक्षा अधिक से अधिक कार्य की है। रेडियो टेलिविजन तथा फिल्म्स निर्माण का कार्य भी करता है। आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली से पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक घंटे का प्रोग्राम "उत्तरायण" नियंत्रित होता है लेकिन उसका प्रसारण उस क्षेत्र में सुनाई तक नहीं देता और एक आदमी भी उसे नहीं सुन पाता। 45 मिनट का हिन्दी कार्यक्रम होता है। उसकी भी यही गति है मान्यवर, यह बात समझ में नहीं आती है कि सूचना विभाग के कार्यकलापों के बारे में इतनी उपेक्षा क्यों की जाती है। अगर इसी तरह से उपेक्षा इस विभाग की की जाती रही तो इससे अच्छे काम होने की आशा नहीं की जा सकती। मान्यवर, जो यहां से 45 मिनट का शिक्षा का कार्यक्रम भी होता है उसको भी एक घंटे का कर दिया जाना चाहिये और उस पर प्रदेशीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

जहां तक छपे हुये साहित्य का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि वे इस तरह की पुस्तिका मासिक, यहां पर छाप रहे हैं। वह पत्रिका भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों के जितने प्रश्न हैं उन्होंने जितने अद्भुद् कार्य किये हैं वे भी उसमें आने चाहिए। इसमें भी परिवर्द्धन और संशोधन की आवश्यकता है ताकि उसमें लगातार जागरूकता आती रहे। क्षेत्रीय प्रचार का जहां तक सवाल है, इस दिशा में मैं निवेदन कर दूं आपको प्रचारकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जहां अन्य प्रदेशों में एक-एक क्षेत्र में 5-5 और 6-6 प्रचारक हैं वहां हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 19 प्रचारक ही हैं और मालूम हुआ है कि इनकी संख्या बढ़ा कर 26 करने जा रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिला सूचना अधिकारी जो होते हैं वे जिलाधीश के सामन उसकी चाटुकारिता करते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी उपेक्षा उसकी कर दी गई है। उसका जिले में कोई स्थायित्व नहीं है। जिलाधिकारी जिले में ऊंचा अधिकारी होता है, इसी प्रकार से जिला एग्रीकल्चर आफीसर होता है और अन्य अधिकारी होते हैं उनके सामने इस सूचना अधिकारी को भीख मांगनी पड़ती है कि हमें कोई सूचना दे दीजिये। इस प्रकार यह उपेक्षा का ऐसा पहलू है जिस ओर सरकार का ध्यान अवश्य होना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विज्ञापन के सम्बन्ध में भी यहां पर बात आई। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल 40 हजार रुपये वार्षिक विज्ञापनों के लिये आप उन्हें देते हैं। दो सौ रुपये प्रतिमास के हिसाब से विज्ञापन दिया जाता है। तो इसमें सूचना विभाग का कोई दोष नहीं है। यहां पर यह बात भी कही गई कि विज्ञापन इकट्ठा कर लिये जाते हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन अलग-अलग विभागों से उसे दिये जाते हैं और 6-6 महीने और साल-साल भर तक का समय उनके पेमेंट होने में लग जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जितने भी विज्ञापन अन्य विभागों से दिये जाते हैं वे सभी इस विभाग के द्वारा दिये जाने चाहिए। इस विभाग में आरटिस्ट और टेक्निकल लोग होने चाहिए जो कि विज्ञापन सुचारु रूप से कर सकें। मान्यवर, इस हेतु सारे विभाग को री-आर्गनाइज करना अति आवश्यक होगा। यह दुख की बात है कि यू0पी0 में अभी इन्फारमेशन सर्विस नहीं बनी है। जब इस विभाग की कोई सर्विस नहीं है वहां कार्य कैसे सुचारु रूप से चल सकता है और कैसे इस विभाग से अच्छे कार्य की अपेक्षा की जा सकती है? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मैं उन सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने कि इस वाद-विवाद में भाग लिया है और मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। विशेष रूप से मैं माननीय रामकृष्ण जी द्विवेदी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने कि वही बातें कहीं हैं जो कि मैंने कही थीं कि एक तरफ प्रदेश में बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो रही है और दूसरी ओर लखनऊ में रंगरेलियां की जा रही हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विभाग के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरी बातों को नोट कर लिया होगा और उत्तर देते समय वे उन सभी का स्पष्टीकरण कर मुझे बता देंगे। सिर्फ एक-दो बातें मैं आपके जरिये से और निवेदन कर देना चाहता हूं। श्रीमन्, भगवती चरण वर्मा यहां पर एक हिन्दी समिति का सम्मेलन करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने दूसरे नान-हिन्दी स्पीकिंग प्रदेशों के विद्वानों से भी सम्पर्क स्थापित कर लिया था और उन्हें राजी भी कर लिया था। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि माननीय मंत्री जी ने उस पर अपनी असहमति प्रकट की है और भगवती चरण वर्मा जी ने रुष्ट होकर अपना त्याग-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को भेज दिया है। तो श्रीमान्, एक बात माननीय मंत्री जी के संबंध में कही जाती है कि उन्होंने अपने कुछ सम्बन्धियों को गलत फायदा उठवाया है, इसका स्पष्टीकरण वे अपने जवाब में कर देंगे। मैंने एक और बात बतलायी गयी कि वे अपने आर्टिकिल्स छपवाते हैं और गलत काम करवाते हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को पत्रकारों के नाम पर नैनीताल में मकान एलाट कराय हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नैनीताल में पत्रकार के लिये मकान के एलाटमेंट में कोई पक्षपात न किया जाय, स्कूटर्स के एलाटमेंट में भी कोई पक्षपात न किया जाय। सब को बिलकुल ईमानदारी से जितने मेम्बर हैं उनकों हिसाब से दिया जाय।

मान्यवर, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अंग्रेजी में लिखा गया है लेकिन आज तक उसका हिन्दी में अनुवाद नहीं हो सका है। जब सरकार ने स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाली ह तो इस साल के अन्दर उसका हिन्दी में अनुवाद हो जाना चाहिये था। इसी तरह से पत्रकार लोग जब जो सम्पर्क के लिये बद्रीनाथ या कारबेट पार्क गये तो वे तमाम सुविधाओंसे महरूम रह गये जिससे जो खबरें छपनी चाहिये थीं वे नहीं छप सकीं। आपके एक अधिकारी बड़े ही बदनाम हैं। जब वे मथुरा में गय तो उनको एक सिपाही पकड़ ले गया और उनको ताल में बन्द कर दिया। जिला अधिकारी से जब सम्पर्क स्थापित किया गया तब वे छोड़े गये। जब आपके विभाग का जनता से सम्बन्ध है तो आपके ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिये। आपको चाहिय कि इसकी जांच के लिये एक समिति बनावें। आपका सूचना विभाग जब तक देहात के कोने-कोने में नहीं पहुंचता कि सरकार की क्या-क्या स्कीम्स ह, सरकार उन काश्तकारों के लिय क्या कर रही है, काश्तकारों के लिय उर्वरक कहां कहां नहीं पहुंचा, तथा उसक क्या-क्या फायदे

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

हैं आपके प्रोजेक्टर द्वारा सिनेमा रात में काश्तकारों को दिखलाना चाहिये ताकि देहात वाले शहर वालों की बातों को समझ सकें और शहर वाले देहात वालों की बातों को समझ सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे सुझाव दिये और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उनपर अमल करनेका पूरा प्रयास करूंगा। मान्यवर, मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे विभाग की कटु निन्दा की है क्योंकि बहुत सी बातें जो नीचे दबी हुई हैं जिन्हें कि जल्दी होना चाहिये था वे शायद इतनी तेजी से न हो पायी और वे अब की जायेंगी। मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि आज कल के युग में प्रचार का काम एक टेक्निकल काम हो गया है, उस पर न हर व्यक्ति आलोचना ठीक से कर सकता है और न हर व्यक्ति उसको आसानी से चला सकता है। यह एक बड़ा कठिन काम हो गया है। आज जो इसको चलाते हैं वही इसको जानते हैं।

मेरे वतन के साथी माननीय सुरेन्द्र विक्रमजी ने कुछ बातें कहीं, मुझे दुख है कि कोई भी बात अगर सही होती तो मैं उनका बड़ा आभार मानता। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय भगवती चरण वर्मा ने हिन्दी साहित्य समिति को इसलिये छोड़ दिया क्योंकि हमने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दे रखा है और वह करेंट में छप भी चुका है क्योंकि माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी जैसे और भी लोग हैं जो इस तरह की बातें कहते रहे हैं और उनमें कोई भी सच नहीं है। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे रखा है और वह करेंट में छप चुका है कि सूचना विभाग से मुझे पूरा सहयोग मिला.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह भी बतला दें कि मुख्य मंत्री जी को उन्होंने त्याग-पत्र क्यों दिया ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

मैंने उनको हर तरह से सहयोग दिया है और उन्होंने जो पत्र मुझे लिखा है उसमें आभार प्रकट किया ह। मैंने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि आप हिन्दी साहित्य समिति में अपना काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े उपन्यास लिख रहा हूं और समय उनके पास नहीं है इसलिये समय नहीं दे पायेंगे। माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी से मेरी प्रार्थना है कि वे भगवती बाबू से बात करके पूछ लें कि उनकी बात में कितना तथ्य है या नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूटर सूचना मंत्री जी पक्षपात से देते हैं। इससे गलत और कोई बात नहीं हो सकती है। पिछले महीने में पत्रकारों को जितने स्कूटर मिले हैं उतने कभी किसी को नहीं मिले। लेकिन थोड़ी सी हमारी दिक्कत है, मैं चाहूंगा कि हमारे भाई उसको समझें एक अनार सौ बिमार का मामला है। केवल दो स्कूटर मिलते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं। पिछले महीने दो स्कूटर मिले। एक स्कूटर उस पत्रकार को दिया गया जिसका स्कूटर चोरी चला गया था और पी0 टी0 आई0 के थे और दूसरा यूनाइटेड के पत्रकार को दिया गया जो 15 मील से साइकिल से आते हैं। मैं उनको ही स्कूटर दूंगा और देता आ रहा हूं जिनको दिया जाना जरूरी समझता हूं। मैं पत्रकारों को भी कंसल्ट करता रहता हूं। मुझे पत्रकारों का सम्मान करने और सहयोग देने की शिक्षा भी दी गई। यह तो हमारा काम है और यह हमारे फायदे के लिये है। अगर हम उनको सहयोग देते हैं और वह हमें सहयोग देते हैं तो हमारा काम बनता है उनका सम्मान हमारा सम्मान है इसलिये हमें किसी की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।

यह भी कहा गया कि आप लिटरेचर बांटते हैं। लेकिन आपने जन संघ के कानपुर अधिवेशन में लिटरेचर क्यों नहीं भेजा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, प्रदर्शनी के लिये कहा था।

(व्यवधान)

डाक्टर पुरुषोत्तमदास टंडन—

कानपुर के लिए भी कहा गया था। जहां मैं जनता को देखता हूं वहां बंटवाने का प्रयास करता हूं। जब हमारे विभाग में पर्चे छपते हैं तब हमारे विरोधी भाइयों का दिल खुश नहीं होता है और वे उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भेजा था ?

(व्यवधान)

डाक्टर पुरुषोत्तमदास टंडन—

मैं उसी का स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप आ गये हैं। लोग कह रहे थे कि आपने नहीं कहा। आपसे कहा कि कानपुर के जनसंघ के सम्मेलन में लिटरेचर क्यों नहीं बाटा गया ? हम बताना चाहते हैं कि हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पुस्तकों से आपका दिल दुखता है। आप हमारे सरकारी प्रोपोगंडा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको हमारी बात बुरी लगती है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय . . .

(व्यवधान)

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह जनतंत्र के विरोध में है। (व्यवधान) हम रूस का प्रोपेगंडा बर्दाश्त नहीं कर सकत हैं। हम इस देश की स्वस्थ परम्परायें चाहते हैं। इस देश की जो परम्परा है उसके आधार पर यदि प्रोपेगंडा हो तो हमें उसे स्वीकार करेंगे।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जब मुर्गा बोले तभी सबेरा हो हमने उत्तर प्रदेश पुस्तिका की भी प्रशंसा की है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कलकत्ता में प्रदर्शनी लगी लेकिन भारतीय क्रांति दल के अधिवेशन में नहीं लगी और जनसंघ के कानपुर अधिवेशन में नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में तो आपने साहित्य नहीं बांटा और कलकत्ता में बांटा। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है मन्त्री जी ने अभी कहा कि वे किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते मगर मन्त्री जी पत्रकारों का दिल दुखाते हैं। कानपुर में प्रधान मन्त्री आयीं तो उस समय पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। उनका दिल आज भी दुखा हुआ है। उधर मन्त्री जी कोई ध्यान नहीं देते। जहां-जहां प्रधान मन्त्री गईं वहां वहीं पत्रकारों के साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ। यह बतायें कि कैसे वह कहते हैं कि व किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सूचना है ।

डाक्टर पुरुषोत्तमदास टंडन---

मान्यवर, समय बहुत कम है। मैंने सारी बातें सुनीं और मैं अपनी बात कहने की आज्ञा चाहता हूं । मैं आपसे यही कहूंगा कि आप को हमारी बात गलत लगे तो न मानें और अगर अच्छी लगे तो माने, गलत अगर लगे तो आप उसकी नामन्जूर कर दें। माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी आपने ही सही बोलने का ठेका नहीं लिया है, आप हमारे वतन के हैं लेकिन आप ने कोई सही बात नहीं कही....

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

शाहजहांपुर में अशफाक अहमद, रोशन सिंह जैसे लोगों को पैदा किया है, यह तो इत्तिफाक है कि मन्त्री जी भी वहां के हैं।

श्री पुरुषोतम दास टंडन---

कहा गया कि हमारे सूचना विभाग को किसी आई0ए0एस0 आफिसर के नीचे न रखा जाय। यह बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हमारे विभाग इस दिशा में एक्सपेरीमेंट किये हैं, हमने एक बड़े पत्रकार के पहले भी रखा था और अब भी दो चार दिन के बाद इसी विभाग में फिर एक बड़े पत्रकार आने को हैं और वह हमारा सहयोग करेंगे और हमारे कार्य को आगे बढ़ायेंगे ।

कहा गया कि यहां का सूचना विभाग कमजोर है । हमारे वैश्य जी ने कहा कि सूचना विभाग की जो पत्रिका निकलती है वह देश की किसी भी अन्य स्टेट की पत्रिकाओं से कम नहीं हैं, उन्होंने इस को माना है और उस की सराहना की है। लेकिन मुझे खेद है और तकलीफ भी है कि और मुझे माफ करेंगे अपनी बात कहने के लिए कि हजरतमहल पार्क में जो हमारी प्रदर्शनी हुई उस की भी कटु आलोचना हुई। जबकि मेरा दावा है कि लखनऊ में बीसों और पचीसों साल में ऐसी प्रोग्राम जनता के लिए कभी नहीं रखा गया जिस में रातों में जनता ने बैठकर दिलचस्पी से प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और रविशंकर जैसे कलाकारों को सुना। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसी प्रदर्शनी तो दिल्ली तक में भी मुश्किल से होती है। हम लोग उम्मीद करते थे कि वह हमारी हिम्मत बढ़ायेंगे और हमारे कार्यों की सराहना करेंगे लेकिन जब उस की भी आलोचना हुई तो सही बात है कि हमारा दिल दुखा है ।

हमारे यहां हर तरह के पैम्फलेट छपते हैं और नुमायशों में और मेलों में हम प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यकलापों का जनता में भली भांति प्रचार हो। हमारे विभाग ने माननीय सुमित्रा नन्दन पन्त पर एक डाकुमेंटरी तैयार की है जिसकी बहुत सराहना हुई है। दूसरी एक रामलीला पर बन रही है।

तीसरी एक डाकुमेंटरी हम श्रेष्ठ कवियत्री महादेवी वर्मा पर बना रहे हैं। कहा जाता है इस पर कि विभाग गुब्बारे उड़ा रहा है। वह तो वहां उड़ाये जाते हैं कि जहां पर धन अधिक होता है, यहां तो इतना बजट ही नहीं है, हम तो गरीबी की बीमारी से मुकाबला हैं। हम उस बजट का मुकाबला नहीं कर सकते जो अन्य प्रदेशों में सूचना विभाग पर व्यय किया जाता है लेकिन जो भी हमें मिला है उससे ही हम अच्छी तरह से काम करेंगे और हम आप से सहयोग की आशा करते हैं। पिछले दिनों में संविद सरकार ने जो विभाग को धक्का लगाया था और उस के जो उसने टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे हमें उस को जोड़ने में और चलाने में अभी भी थोड़ी मुश्किल आ रही है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा विभाग जनता की अच्छी तरह से सेवा करेगा और आप का अनुमोदन प्राप्त करेगा। इतना

निवेदन करूंगा कि यदि प्रयास किया जाय और अच्छे कार्य किये जायं और फिर भी आलोचना दूसरे ढंग से की जाय तो उस का दुख होता है। अन्त में मैं फिर आप को विश्वास दिलाता हूं और आश्वासन देता हूं कि सूचना विभाग जनता की और माननीय सदस्यों की हर सम्भव सेवा करता रहेगा। आशा है सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 28 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,75,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इनमें एक माननीय माता प्रसाद की है जिसकी एक ही प्रति मिली थी अतएव इसपर विचार नहीं किया जा सकता है।

दूसरी सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की पुलिस कर्मचारियों द्वारा कानपुर में परेड के समय हथियार डालकर परेड छोड़कर प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में है। इसमें निश्चित घटना की तिथि का उल्लेख नहीं है अतएव यह अनिश्चित हो गयी।

तीसरी माननीय मोहन लाल कपूर ने मेरठ जिले में बिजली नियन्त्रण के अन्तर्गत कनेक्शन के काटे जाने के सम्बन्ध में चर्चा चाही है। यह एकाधिक बार दी जा चुकी है।

चौथी सूचना माननीय चन्द्रभान शर्मा और माननीय सईद मुर्तजा की है वकीलों के सम्बन्ध में, यह अनिश्चित है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात है। इसलिए इसे अस्वीकृत किया गया है।

पांचवीं सूचना माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह आदि की है जिसमें श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, एडवोकेट के प्रति बघौली थाने के थाना इंचार्ज द्वारा अभद्र व्यवहार एवं पिटाई के बारे में है। इसमें भी घटना की तिथि का आपने कोई जिक्र नहीं किया है। अतएव आपकी सूचना अनिश्चित हो गयी है और स्वीकृत नहीं की गई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

जरा सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कल दे दीजियेगा ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि पिछली 30 अप्रैल से मुजफ्फरनगर के वकीलों में और एस० डी० एम० में झंझट चल रहा है। उन्होंने एक वकील को दफा 101/117/51

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

में बन्द कर दिया है। वकीलों ने जमानत भी दी लेकिन जमानत की तस्दीक करने के लिए तहसील को भेज दिया है। वकील लोग तहसील में गये तो उन्हें बताया गया कि मौखिक आदेश यह हैं कि दफा 107–117 में डिस्करेज किया जाय और उसके बाद डी0 एम0 के पास गये। 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया और 28 को छोड़ा गया चूंकि वे लोग डी0एम0 के पास चले गये। एस0डी0एम0, मनोरंजन सिंह का वकीलों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार है। उसने उनको हैरेस करना शुरू कर दिया है। जिसका नतीजा यह हुआ कि 4 मई, 1973 को पूरी बार एसोसियेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया और इस कोर्ट का बहिष्कार किया। इतने बेवकूफ और बदतमीज एस0 डी0 एम0 को आपने वहां पर नियुक्त कर रखा है उससे काम नहीं चलने वाला है। वह एक तरफा मुकदमें फैसला कर रहा है। कम से कम आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इसमें फौरन इन्टरवीन करें वरना मुजफ्फरनगर में स्थिति बड़ी खराब हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने सदन में उठाया है, उसमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। नियमतः जमानतों का उपचार अदालतों द्वारा होना चाहिये। यह चीज आपके पक्ष में नहीं जाती अगर आप चाहें कि सरकार उसमें इन्टरवीन करे।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इस समय सारे प्रदेश में यह हो रहा है कि बिजली की कटौती होने से यदि किसी उपभोक्ता ने बिजली का ज्यादा उपभोग किया है तो उसके कारण तमाम प्रदेश में कनेक्शन काटे जा रहे हैं आटे की चक्की, और तेल पेरने की मशीनों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक ओर तो यह कहा गया है कि निश्चित समय में उपभोग किया जाय, चीजों का वैसे ही अभाव है, और फिर इस बहाने से उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी आदेश दे दें कि विभाग उनको चेतावनी दे दें कि आपने ज्यादा बिजली का उपभोग किया है और उन्हें रिकनेक्ट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको कार्यवाही के लिये भेज देता हूं।

श्री सतई, सुत श्री चिरकुट वन मानुष निवासी, कटरा रानी रणजीत कुंवरि, जिला सुल्तानपुर की नसबन्दी के कारण मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सतई, सुत चिरकुट, वनमानुष, निवासी कटरा रानी रणजीत कुंवरि, तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर की नसबन्दी किये जाने के उपरांत मृत्यु होने के विषय में दिनांक 27 अप्रैल, 1973, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7–8 (नत्थी–ग) के सम्बन्ध में श्री जयराम वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958, के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्री सतई, पुत्र चिरकुट वनमानुष, निवासी कटरा रानी रणजीत कुंवरि, तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर, को नसबन्दी अभियान शिविर अमेठी में 5 फरवरी को कुछ कर्मचारियों द्वारा

ले जाकर नसबन्दी करायी गयी और 12 फरवरी, को श्री सतई का अपने घर पर देहान्त हो गया। श्री सतई की स्त्री देवमती ने एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री और कुछ दूसरे अधिकारियों के पास भेजा। उस प्रार्थना-पत्र में उसने यह शिकायत की कि उसके पति की नसबन्दी उसकी बिना जानकारी के करायी गयी यानी स्त्री को यह नहीं मालूम था कि उसके पति को नसबन्दी के लिये ले जा रहे हैं। कुछ कर्मचरियों ने उसे भुलावा दिया और उसे लेकर चले गये। उसका यह भी कहना है कि 15 वर्ष से उसके पति से कोई लड़का नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में उसकी नसबन्दी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन तब भी नसबन्दी कराने के लिये, महज इस वास्ते कि उनका कोटा पूरा हो जाय, चाहे उससे कोई लाभ हो या न हो, उसके पति को लेकर चले गये। नियम यह है कि नसबन्दी के बाद शायद 2 रोज तक उसको वहां रखा जाता है, सरकारी खर्च पर। लेकिन अक्सर होता यह है कि जिसकी नसबन्दी होती है, बजाय उसको रोकने के, उसको उसी दिन छुट्टी दे देते हैं और उसकी हाजिरी भर ली जाती है और उसके नाम का जो खर्च होता है, उसको बेईमानी करके वहां के कर्मचारी ले लेते हैं और वह आदमी घर चला जाता है। घर चले जाने के बाद भी यह जिम्मेदारी वहां के डाक्टर को होती है कि घर पर उसकी देखभाल की जाय जिससे कोई गड़बड़ी न होने पाये। लेकिन औव्वल तो उसको रोका नहीं गया और घर जाने के बाद, कोई देखभाल नहीं की गयी और सातवें रोज 12 फरवरी, को उसका देहान्त हो गया। उसकी स्त्री का यह कहना है कि एक तो अनजाने में उसके पति की नसबन्दी करायी गयी। उसका पति खेतिहर मजदूर था। उसके पति की कोई जमीन भी नहीं है और अब उसके गुजर-बसर का कोई साधन नहीं रह गया है। उसका यह भी कहना है कि पता नहीं, उसके पति से कौन चीज पर, किस बात पर, दस्तखत करा लिया गया। वह यह भी कहती है कि उसके पति का जब देहान्त हो गया, तो उसको बेहोशी आ गयी और अचेतनावस्था में उससे भी कागज तर दस्तखत कराया गया। उसे पता नहीं कि उसमें क्या बात लिखी थी। इन सब बातों की शिकायत उसने मुख्य मन्त्री जी के पास भेजी है, लेकिन उसके सम्बन्ध में जहां तक मेरी जानकारी है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। न उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई जिन्होंने भुलावा देकर उसके पति की बिला जरूरत नसबन्दी करायी और देखभाल नहीं की, जिसके कारण उसके पास अब गुजर-बसर का कोई सहारा नहीं रह गया है। उसकी गुजर-बसर का सहारा किया जाय, लेकिन उसका प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है। यह सवाल है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले को देखें कि इस तरह की बिला जरूरत नसबन्दी न करायी जाय और सरकार का बेकार का खर्च न कराया जाय, नसबन्दी होन के बाद, कोई देखभाल न की जाय और लोगों की मृत्यु हो जाया करे। तो इस तरह की गलत कार्यवाहियों को रोकें और जिसके साथ अत्याचार होता है, उसको समुचित सहायता दी जाय जिससे उसका गुजर-बसर हो सके।

स्वास्थ्य मन्त्री श्री (धर्मदत्त बैद्य)--

उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने जब यह प्रश्न उठाया था उस समय मैंने कुछ जानकारी दी थी। श्रीमन्, 5 तारीख को सतई को अमेठी बन्दी शिविर में प्रेरक द्वारा लाया गया और उसने जो फार्म भरा उसमें यह लिखा कि उसके 3 बच्चे हैं और उसकी नसबन्दी कर दी जाय। उसकी नसबन्दी हुई 5 तारीख को और 7 तारीख को वह वहां से डाक्टर के मना करन के बाद भी चला गया। 9 तारीख को उसके घर उसको देखा गया और ठीक पाया गया। 11 तारीख को पुनः उसके मकान पर देखा उस समय वह ठीक था लेकिन दस्त आ रहे थे। 12 तारीख को यह सूचना मिली कि उसकी तबियत ज्यादा खराब है तो उसको डाक्टर लेकर आये और कैम्प के बाद उसको अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। जसा कि प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कहा गया, वह मेरी जानकारी में है और उसी के

[श्री धर्मदत्त वैश्य---]

आधार पर हमने इन्क्वायरी कराई । उसकी पत्नी से जानकारी की उसने जो बयान दिया है, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाये देता हूं :---

बयान श्रीमती देवमती देबी बेवा सतई निवासी कटरा रानी रणजीत कुंवरि, मजरे जंगल रामनगर, परगना व तहसील अमेठी जिला सुल्तानपुर ।

शपथपूर्वक बयान किया कि मैं कक्षा चार तक पढ़ी हूं। मेरी उम्र 38 (अड़तीस) बर्ष के लगभग होगी । हमारे मृतक पति सतई की उम्र मृत्यु के समय लगभग 45 पैंतालिस साल की थी । मेरे एक लड़का व दो लड़कियां जीवित हैं । लड़के का नाम पलटू उम्र 22 साल व पहली लड़की कृष्णा उम्र 18 साल व दूसरी लड़की बिसुना उम्र 12 साल है । लड़का अलग-अलग परदेश में हैं सात साल से उसने कोई खबर नहीं ली है । दोनों लड़कियां विवाहित हैं हम लोगों के यहां बचपन में विवाह कर दिया जाता है । अभी लड़कियों का गौना नहीं हुआ है वह हमारे साथ रहती हैं। हमारे दो बच्चे पैदा होने के अन्दर सात दिन में ही मर गये थे । सबसे छोटा यदि जीवित होता तो उसकी उमर अन्दाजन चार या पांच साल की अब होती । सुनकर तसदीक किया । ह0 देवमती देवी ।

जो प्रार्थना-पत्र पहले आया था उसके आधार पर कार्यवाही की गई और एक हजार रुपया तथा कुछ भमि भी उसको गुजारे के लिये दे दी गई । श्रीमन्, जो प्रार्थना-पत्र उसने दिया था उसके आधार पर इन्क्वायरी हुई उसके बाद तहसीलदार ने जाकर इसके तथ्यों की जानकारी की और उसका यह बयान दिया जो मैंने पढ़कर सुनाया । इसमें किसी प्रकार की असावधानी नहीं हुई । कई डाक्टर ने उसको देखा था और आपरेशन में किसी प्रकार की असावधानी नहीं बरती गई और उसके टांके भी ठीक से कट गये । 11 तारीख को उसको दस्त आय और उसकी हालत गम्भीर होती गई । अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई । यह मृत्यु 12 तारीख को हुई । इस सम्बन्ध में यही कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की अवावधानी नहीं हुई और दस्तों से हालत गम्भीर हो जाने के कारण उसकी मृत्यु अवश्य हो गई ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मामले की गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी सी0आई0डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो जांच होने के बाद ही सब कुछ हुआ है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र पहले दिया जिसकी कापी आपको तथा श्री जयराम वर्मा को दी थी जिसके बिना पर यह सवाल उठा और अब तो बयान दिया है क्या उसके आधार हस्ताक्षर मिलते हैं क्या उसने यह भी इंकार किया है कि उसने पहले गल्ती से प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री धर्मदत्त वैश्य--

जो प्रार्थना-पत्र उसने दिया था उसमें उसने कहा कि मेरे पति की इस प्रकार से मृत्यु हो गयी है और मेरे पास गुजारे का साधन नहीं है । उसकी व्यवस्था कर दी गयी । जब इंक्वायरी हुई तो उसने कहा कि उसके तीन बच्चे जीवित ह और दो और बच्चे हुए जो मर गये ।

श्री जयराम वर्मा--

यह कब जानकारी हुई कि सतई को नई तकलीफ हो गयी है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य,—

11 फरवरी को ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मृत्यु का कराण क्या बतलाया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि दस्त आ रहे थे और जब उन्हें ले जा रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गयी ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मृतक की पत्नी ने एक प्रार्थना-पत्र पहले भी दिया था। मन्त्री जी उससे इंकार नहीं करते। एक बयान अभी मन्त्रीजी ने पढ़कर सुनाया। जो प्रार्थना-पत्र पहले दिया था उसमें और इसमें फर्क है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इनके पास जो प्रामाणिक हैं वह बतला रहे हैं। फर्क कैसे बतलावें।

श्री जयराम वर्मा—

एक प्रार्थना-पत्र उसने पहले दिया और उसने दूसरी चिट्ठी चौधरी चरण सिंह को लिखी 25 फरवरी को और पहले वाले प्रार्थना-पत्र की भी एक कापी नत्थी कर दी। उसने लिखा है कि अचेतनावस्था में किसी कागज पर दस्तखत कराये गये थे जो उसको नहीं मालूम। मन्त्रीजी कहते हैं कि 2 मई को दूसरा बयान दिया। वह यह नहीं कहती कि उसका प्रार्थनापत्र गलत था। इससे इसमें शंका हो जाती है। क्या मन्त्रीजी किसी दूसरे अधिकारी से इसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो प्रार्थना-पत्र उसने दिया था उसमें कुछ भूमि के लिये याचना की थी और उसी संदर्भ में कहा था कि उसके पति की मृत्य हो गयी है। इस पर कार्यवाही हो रही थी। इसी बीच उसने दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया और उसकी प्रति चौधरी साहब को भज दी। 2 मई को तहसील-दार ने जानकारी की और उससे बयान लिया। उसने स्पष्ट बयान दिया कि जो कि मन अभी पढ़कर सुनाया। इससे कोई विशेष आवश्यकता दुबारा जांच की नहीं रह जाती। अगर कहीं कोई संदेह वाली बात हो तो फिर इंक्वायरी करायी जा सकती है।

श्री जयराम वर्मा—

मुझे इसमें संदेह मालूम पड़ता है। इसमें सारी बात बना ली गयी है। मन्त्रीजी कहते कि उसने केवल गुजारे के लिये लिखा है। मैंने उसका प्रार्थना-पत्र उस दिन भी पढ़कर सुनाया था। मैंने शिकायत की थी कि कुछ कर्मचारियों ने भुलावा दकर उसकी नसबन्दी करायी। 15 साल से उसका कोई लड़का नहीं हुआ था। उसकी उचित देखभाल नहीं की गयी और उसकी मृत्यु हो गयी। मन्त्रीजी को दुबारा किसी बड़े अधिकारी से जांच कराने में क्या हिचक या गुरेज है ? सही बात आनी चाहिये।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वह 5 से 7 तारीख तक शिविर में रहा और उस बीच किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। उसकी पूरी देखभाल की जाती रही। नसबन्दी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

त्रुटि नहीं हुई। वर्मा जी ने कहा कि उसको बच्चों की आवश्यकता नहीं थी। उसके 3 बच्चे जीवित हैं और 2 बच्चे मर चुके हैं। क्या इसमें संदेह है कि उसके 3 बच्चे हैं या नहीं और या इसमें संदेह है कि उसके पूर्व 2 बच्चे और हो चुके हैं? अगर इसमें सन्देह है तो उसकी पुनः किसी और व्यक्ति द्वारा जांच करायी जा सकती है।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)—

तहसीलदार द्वारा जांच करायी गयी जो नसबन्दी के कार्य में रुचि लेकर काम कराते हैं। ऐसे अधिकारी से जांच कराना न्यायसंगत नहीं है। इस चीज को मन्त्रीजी भी महसूस करते होंगें। 15 वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। फिर नसबन्दी कराने की बात समझ म नहीं आती। ऐसी स्थिति में जांच हुई है वह अत्यन्त गलत है। क्या माननीय मंत्रीजी पुनः जांच करा लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब तो उन्होंने माननीय जगन्नाथ राव को दे दिया है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

यहां पर जो नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करायी गयी क्या उसके पहले आपने सहायता दे दी थी या उसके बाद दी है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रार्थना-पत्र पर ही कार्यवाही हो रही थी। 1000 रु0 और भूमि की सहायता दे दी गयी थी।

श्री जयराम वर्मा—

तहसीलदार नस बन्दी शिबिर के इन्चार्ज थे। उन्होंने अपनी बात को छुपाने के लिये यह बात लिख दिया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

तहसीलदार अभियान के इंचार्ज नहीं होते हैं। इन्चार्ज तो हेल्थ आफिसर होते हैं। जिस सम्बन्ध में इनक्वायरी चाहते हैं? उसने बयान दिया है। वे कहती हैं कि 3 बच्च हैं। 1 लड़का 2 लड़कियां हैं। 4 वर्ष पूर्व मेरे बच्चे और हुए थे।

श्री जयराम वर्मा—

मैं तो पूरे मामले की जांच चाहता हूं। उसने एक दरख्वास्त दी थी। उसने कहा कि नसबन्दी में लापरवाही हुई और किसी कागज पर अचेता अवस्था में दस्तखत कराये गये। तहसीलदार ने जो बयान दिया उसमें सत्यता कहां है। इस मामले की जांच डी0 एम0 से करायी जाय।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्यों को अगर सन्देह होगा तो इनक्वायरी कराने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सत्यता यह है कि नसबन्दी किसी को धोखे में रख कर या भ्रम में डाल कर नहीं होती है। आदमी आता है, फार्म भरता है कि इतने बच्चे हैं जिनकी उमर यह है। उसके बाद फिर वेरी-फिकेशन होता है और तब नसबन्दी होती है। नसबन्दी के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह 3 दिन तक अस्पताल में रहा। हमारे विभाग के लोगों ने जाकर उसको देखा और उसको स्वस्थ पाया। 9 फरवरी को उसके टांके भी काट दिये गये। 11 तारीख को उसको दस्त

की शिकायत हुई जिसके कारण उसकी स्थिति खराब हो गयी और अस्पताल में ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गयी । तो इसमें क्या जांच करायी जाये ?

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मुझे विरोधी दल के नेता ने जांच इन्सपेक्टर बनाया था । मैंने जांच की है । मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि नसबन्दी की खराबी के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है । उसकी पूरी देखभाल हुई है । नसबन्दी में कोई खराबी नहीं हुई है । 8, 9 दिन बाद उसको दस्त आये और उसकी मृत्यु हो गई । बीबी ने दरख्वास्त दी और सोचा कि हरिजन है तो कुछ भूमि मिल जावेगी ।

रामगंगा नव निर्माण में ठेकेदार की असावधानी से सुरंग की छत गिरने पर भी उसको धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

आपने यह लिखा है संख्या 18 के लिये कि उस पर लोक लेखा समिति ने पूर्णतया विचार किया है । उसको 26 जुलाई, 72 को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया । इसके पृष्ठ 27 पर लोक लेखा समिति ने इस तथ्य को बतलाया है कि इस बात के साक्ष्य मिल गये हैं और समिति ने पैरा 91 पर निष्कर्ष निकाला है कि मामले की उचित जांच कर ली जाय और दंड दिया जाय, यह प्रतिवेदन है । इसमें आप अपने को जांच करने और कर्मचारियों को दंड देने तक सीमित रक्खें । तो आप अपनी बातों पर प्रकाश डालें ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है कि लोक लेखा समिति ने रिपोर्ट पर इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं कि कर्मचारी दोषी ही नहीं हैं, बल्कि उनके आचरण पर भी सन्देह प्रकट किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो सदन का प्रतिवेदन है । उसके अमल करने की बात है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन और आडिट रिपोर्ट के खिलाफ मन्त्री जी ने उत्तर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि प्रतिवेदन के खिलाफ हो सकता है । उसके बारे में आपको पूछना है और उसके ऊपर कार्यवाही कराना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आप इनका बचाव कर रहे हैं । कहा गया है कि सुरंग की छत ठेकेदार की असावधानी के कारण नहीं गिरी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

लोक लेखा समिति के यह बिलकुल विपरीत है । उन्होंने दोषी कर्मचारियों को दंड देने के बजाय उनको बचाने का असफल प्रयास किया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

बचाव का प्रयास उन्होंने किया है तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने निदेशालय से सूचना मांगी लेकिन वह नहीं दी गई । जो छत गिरने का कारण माननीय मन्त्री जी ने बतलाया वह एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया है । छत के गिरने का कारण निरन्तर आधार न देना है । यह काम ठेकेदार का है । वह काम टेन्डर में 1964 में उल्लेख है और यही आडिट रिपोर्ट में है। और जिस मुख्य अभियन्ता ने भुगतान किया है..यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1970 में उन्होंने खुद वह टेंडर खरीद कर दिया और उसके बाद वही कांड हो गया । 1964 में वही मुख्य अभियन्ता थे जिन्होंने अपनी राय दी थी कि "आर्थिक रूप से इस प्रस्ताव को बिलकुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके परिणामस्वरूप भारी दावों की मांगें उठ सकती हैं । इसके अतिरिक्त मृदु शिलाओं में किसी बड़ी सुरंग बनाते समय गुफाओं, शैलपात आदि का होना सामान्य सी बात है । इस शर्त को स्वीकार करने का तात्पर्य होगा काम को समय पर पूरा किये जाने और अर्थ-दंड को उगाहे जाने से संबंधित खंड को बिलकुल अप्रभावी बना देना ।"

उसी मुख्य अभियन्ता ने 1964 में लोक-लेखा समिति के सामने जो छत गिर गयी, इस प्रकार का कांड हुआ तो विपरीत राय दी थी । यही नहीं, विभाग ने जो उस समय अपना स्पष्टीकरण दिया वह हमारे कथन की पुष्टि करता है कि "सुरंग लगाते समय पहाड़ी के स्खलन का सामान्यतः खतरा रहता है और इस प्रकार के स्खलन पर किया गया, अतिरिक्त व्यय इस समय निर्माण-कार्य का निष्पादन करने वाले ठेकेदारों को बताई गई दरों में ही शामिल होता है । यह साफ है । जब 1969 में इस प्रकार की घटना हुई तो विभाग ने कबूल किया कि ठेकेदार की दरों में वह अतिरिक्त शामिल होता रहता है और मुख्य अभियन्ता ने भी स्वीकार कर लिया कि यह जो सुरंग गिरी तो 67 वाली ठीक वही घटना घटी । डिजाइन निदेशालय ने उसी पर रिपोर्ट दी और कहा कि ठेकेदार को पैसा नहीं मिलना चाहिये, लेकिन तब भी....

श्री उपाध्यक्ष---

इनका यह कहना है कि चट्टान की संसंजन शक्ति ही समाप्त हो गयी, यानी "कोहेशन" ही खत्म हो गया जिससे वह गिर गयी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

"निरन्तर आधार न दिये जाने के कारण" ऐसा हुआ, यह उनका कहना है । यह तो ठेकेदार का काम था, वह सरकार का काम नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो कहते हैं कि जब चट्टान की शक्ति ही समाप्त हो गयी और कंटीनुअस सपोर्ट की कमी क कारण यह हुआ ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं भी यही कह रहा हूं कि निरन्तर आधार देना यह काम ठेकेदार का था ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह यह नहीं कहते कि ठेकेदार की असावधानी से गिरी, उनका कहना है कि यह शक्ति से परे था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जो आप कहते हैं 1964 में विभाग ने यह कहा कि सामान्यतः इस प्रकार की घटनायें होती हैं तो ठेकेदार जो निर्माण-कार्य का निष्पादन करता है उसकी दरों में ही शामिल होती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका पता लगा, जो आप कह रहे हैं उस सम्बन्ध में एक्सपर्ट की कोई राय ली गयी ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मौके पर लोक-लेखा समिति खुद गयी थी और निरीक्षण किया था । वहां चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब का साक्ष्य लेने के बाद इस संस्तुति को दिया । और टेक्निकल रिपोर्ट भी पहले ठेकेदार के खिलाफ थी । यह तो बाद में पता नहीं किन परि-स्थितियों में ....

श्री उपाध्यक्ष---

टेक्निकल रिपोर्ट कोई हुई होगी ?

श्री मैनेजर सिंह---

मन्त्री जी फिर से जांच कर लें उसकी ।

श्री उपाध्यक्ष---

उस साक्ष्य में पी० ए० सी० के सामने अगर कोई टेक्निकल विशेषज्ञ गया हो और उसने कोई बात कही हो.....

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यही तो मैं कह रहा हूं । रिपोर्ट तो हमको मिलेगी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो उनको कह लेने दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अगर वह निदेशालय की रिपोर्ट पढ़ दें तो ठीक है ।

*सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है उसमें ेकेदार के काम में कोई ऐसी बात नहीं है । केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय ने सुरंग की विशेष रीच में कन्टिनुअस लैंगिंग लगाने की संस्तुति नहीं की थी बल्कि यह कहा था कि ये उन रीचेज में लगा दी जाय जहां राक कमजोर हो । यह भी नहीं कहा कि सभी रीचेज में लगा दी जाय । उसी के आधार पर ठेकेदार ने काम किया । यह घटना एक असाधारण घटना थी और इतनी बड़ी घटना की कि यह नहीं कहा जा सकता कि ठेकेदार की असावधानी क कारण घटी । यह बहुत ही बड़ा फाल था जो कि टनेल क्राउन से 36 फुट ऊंचा था । यह नहीं कहा जा सकता कि ठकेदार की लापरवाही से हुआ या उसने डिजाइन के खिलाफ काम किया इस कारण हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

कंटीनुअस सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। इस तरह कहने के लिये विशेषज्ञ तो नहीं गलती पर था।

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसी प्रकार की एक सुरंग बनायी गयी थी। उसमें कोई फाल नहीं हुआ। तो जो पहले का अनुभव था उसी को देखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री उपाध्यक्ष---

पूर्व अनुभव के आधार पर उन्होंने इसको कर दिया और यह कह दिया कि कंटीनुअस, सपोर्ट मत लगाइये, कहीं कहीं लगा दीजिये। तो केदार ने वह काम किया। इसमें ठेकेदार तो मुक्त हो गया, उसने कार्य किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जो निदेशालय की रिपोर्ट है उसको पढ़ कर सुना दें।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मैंने यह साफ कहा है कि जैसा पहले कहा जा चुका है केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय ने सुरंग की विशेष रीच में कन्टिनुअस लैंगिंग लगाने की संस्तुति नहीं की थी बल्कि यह कहा था कि ये उन रीचेज में लगा दी जायं जहां राक कमजोर हो। इस संस्तति पर फील्ड इंजीनियर्स द्वारा कम खच तथा कार्य की शीघ्र समाप्ति को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित करना था। यदि अत्यधिक सावधानी वाले दृष्टिकोण से काम कराया जाता और सम्पूर्ण सैन्ड राक बेन्ड 20, 26 तथा 30 में सालिड लैंगिंग लगाई जाती तो अपार धनराशि का अतिरिक्त व्यय तथा अधिक समय व्यय होता। सुरंग बनाने के कार्य में कोई एक ही नीति नहीं अपनाई जा सकती वरन्, केवल अनुभव तथा पूर्वोदाहरण से ही कार्य किया जाता है। जिस राक जोन में सुरंग नं0 2 में कोलेप्स हुआ है वे ही सुरंग नं0 1 बनाते समय पार किये गये थे। तमाम सावधानियां जो सुरंग नं0 1 में इन राक जमीन को खोदने में बरती गई थीं वे ही सुरंग नं0 2 में भी बरती गईं। यह दुर्घटना जो सुरंग नं0 2 में आई उसको बचाने के लिये पूर्ण ध्यान रखा गया था तथा इसकी आशा नहीं की जा सकती थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यह किसकी रिपोर्ट है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय की टिप्पणी है। इस टिप्पणी में परिकल्प निदेशालय ने कहीं भी स्पष्टता से यह नहीं कहा है कि कन्टीनुअस सपोर्ट का अभाव सुरंग गिरने का कारण है। केवल इतना ही कहा गया है कि चट्टान में कन्टिनुअस सपोट का अभाव सुरंग क कौलप्स का सम्भावित कारण प्रतीत होता है। जब तक कि कोई असाधारण सावधानी असाधारण कीमत पर करन को तैयार हो और किसी प्रकार से भी कार्य को सस्ता एवं शीघ्र कराने के लिये अवसर न ले यह स्पष्ट है कि साफ्ट रांक्स में इस तरह की विपत्तियां पूर्णरूप से नहीं टाली जा सकतीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यह तो टिप्पणी पढ़ रहे हैं।

श्रीमन्, जांच इसमें हुई है तो वह जांच रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

जांच पर ही तो आधारित वह रिपोर्ट है जो वह पढ़ रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

वह तो टिप्पणी है ।

श्री उपाध्यक्ष- -

वह भी तो जांच ही पर आधारित है न । जांच रिपोर्ट क्या सरकार के पास है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, वह नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

लोक लेखा समिति के सामने जो जांच हो कर आयी वह तो होगी न उसको पढ़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष- -

अब हम उसको कैसे मानेंगे जब तक हम उसको देख न लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

तो किसी दूसरे दिन के लिये रख दें, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है । जो उनका वक्तव्य है उसमें आपको अविश्वास का कारण क्या है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अविश्वास का कारण यह है कि लोक लेखा समिति में जो रिपोर्ट आयी है....

श्री उपाध्यक्ष--

तो फिर जब लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर बहस हो तब आप उसको कह सकेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

निदेशालय की टिप्पणी बिलकुल भिन्न है और जो रिपोर्ट आयी वह बिलकुल भिन्न है उसको वह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि निदेशालय की रिपोर्ट हमको दे दी जाय ।

श्री बीर बहादुर सिंह--

वह तो यहां है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन वह तो लेखा समिति के प्रतिवेदन पर जब विचार होने लगे तो वह हो जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

वह तो अब इधर नहीं हो पायेगा । 11 मई के बाद तो फिर कब मौका मिलता है या नही मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो सब लोग चाहेंगे तो होगा ही । लेकिन अब इस समय वह समय नहीं है । इसलिये अब हम उठत हैं और कल पुनः 11 बजे से बठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
9 मई, 1973 ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के ता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 120 पर]

सर्वे रिपोर्ट तथा कटाव निरोधक कार्यवाही का विवरण

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़) सिंचाई विभाग ने इस क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण किया था। ग्राम मझिगावा पर 7 बल्ली की ठोकरें पहले से ही बनी हुई हैं। इन ठोकरों के बनने के बाद से नदी वहीं रुकी हुई है। चार ठोकरों की बल्लियों के बीच में ईट कम हो गई है जिन्हें पूरा करने के आदेश दे दिये गये हैं। इस बांध के निकट बने रिंग बांध पर ग्राम की जनता ने अनधिकृत रूप से झोंपड़ी इत्यादि का निर्माण कर लिया है जिसको हटाने के लिये प्रधान तथा जनता को कह दिया गया है जिससे कि बांध की मरम्मत और चौकीदारी सुचारु रूप से हो सके।

गांव के करीब एक मील नीचे से राप्ती नदी की गुर्रा नाले से जुड़ गई है और इसके नीचे से बाढ़ का अधिक पानी गुर्रा नाले में बहता है। ग्राम गजपुर, मलांब ग्राम से लगभग दस मील नीचे पुरानी धार पर बसा है। पिछले वर्ष किनारे के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे तथा एक कुंआ भी कटान में आ गया। गांव बांढ़ के स्तर से ऊंचा है मगर ढांग के गिरने से मकानों को क्षति पहुंचने का खतरा है। जो घर ऐसी ढाग पर बसे हुए हैं उन्हें बरसात से पहले अन्य सुरक्षित स्थानों पर बस जाने की सलाह दी गई है और ढाग को हल्के ढलान में करने के आदेश दे दिये गये हैं।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 38(2) के ता0 प्र0 सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 130 पर]

सूची

1--दोढ़घाट लेहरा मिश्रोलिया मार्ग
2--चौरहट नाला बेलसर मार्ग
3--हाटा बेला हरैया पृथ्वीपाल सहजनवां मार्ग
4--बजमनगंज महुआ घाट
5--मरचइया बाबा की कुटी ठाकुरनगर सेलरा बुजुर्ग
6--राजपुर महेवा कुरबल मार्ग
7--बरदाह बैसाढ़ हरिमढ़वा पुरन्दरपुर मार्ग

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 133 पर)

तालिका

	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण	स्वीकार किये गये प्रार्थना-पत्रों का विवरण
1--मन्त्री	8	8
2--राज्य मन्त्री	9	9
3--उप मन्त्री	5	5
4--विधायक	174	29

सत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 159 पर) ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--संक्षित नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972 की धारा 7 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (2) में शब्द "ऐसे दिनांक के पूर्व और" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे तथा शब्द "उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा" के स्थान पर शब्द "उसमें कमी नहीं की जायगी" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन), अधिनियम, 1972 की धारा 7 (2) के अनुसार राज्य सरकार तेंदू पत्तों के उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्य को एक बार निर्धारित करने के उपरान्त उस वर्ष के दौरान उसमें वृद्धि या कमी नहीं कर सकती। यह वांछनीय समझा गया है कि राज्य सरकार इस बात के लिये सशक्त हो कि वह परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसे वर्ष के दौरान भी उक्त दर में वृद्धि कर सके। प्रस्थापना यह है कि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उक्त धारा 7(2) का समुचित संशोधन कर दिया जाय।

2--तदनुसार उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित किया जाता है।

—

अजीत प्रताप सिंह,
वन मन्त्री।

प्रवाह पथ

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 48--एल० ए०--1974-835।